महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 21 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

'राष्ट्रवाद को अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता'

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली/रांची, 20 फरवरी।

राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख का कहना है कि राष्ट्रवाद शब्द में हिटलर की झलक है, इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए यह बात कही। संघ प्रमुख फिलहाल चार दिनों के रांची प्रवास पर हैं। उन्होंने अपनी ब्रिटेन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व में 'राष्ट्रवाद' को अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता है।

मोहन भागवत ने कुछ वर्ष पूर्व ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान वहां के एक आरएसएस कार्यकर्ता का हवाला देते हुए अपने संबोधन में कहा, 'अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है और आप जो पुस्तक में पढ़ें हैं उसके अनुसार बोलेंगे, परंतु बातचीत में शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं। इसलिए आप नेशनलिज्म (राष्ट्रवाद), इस शब्द का उपयोग न कीजिए। ...आप नेशन (राष्ट्र) कहेंगे चलेगा, नेशनल (राष्ट्रीय) कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी (राष्ट्रीयता) कहेंगे चलेगा। लेकिन नेशनलिज्म (राष्ट्रवाद) न कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। समाज में ऐसे ही शब्दों का बदलाव हुआ है।'

रांची में संघ के स्वयंसेवकों को संबोधन में कहा

आप नेशन (राष्ट्र) कहेंगे चलेगा, नेशनल (राष्ट्रीय) कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी (राष्ट्रीयता) कहेंगे चलेगा। लेकिन नेशनलिज्म (राष्ट्रवाद) न कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद।

मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान कहा, 'अगर हम देखें कि देश महाशक्ति बनकर करते क्या है? वो सारी दुनिया पर प्रभुत्व करते हैं। सारी दुनिया के साधनों का स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। सारी दुनिया पर राजनैतिक सत्ता अपनी चले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष... ऐसा प्रयास करते हैं। सारी दुनिया पर अपना ही रंग चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब चलता है और चल रहा है और इसलिए दुनिया के बड़े भू-भाग में विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्र बड़ा होना दुनिया के लिए खतरनाक बात है।'

संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं, उनसे **बाकी पेज 8 पर**

गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर कहा

अनुच्छेद 371 को कोई नहीं हटा सकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर कहा कि कोई भी इन राज्यों से अनुच्छेद 371 नहीं हटाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि 2024 तक उग्रवाद से आजादी दिला दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस पर ईटानगर में आयोजित समारोह में उन्होंने भरोसा दिया कि पूर्वोत्तर के राज्यों का विशेष दर्जा बना रहेगा। इस मौके पर उन्होंने उद्योग और सड़कों से जुड़ी अनेक परियानाओं की शुरुआत की।

अमित शाह ने कहा, 2024 तक उग्रवाद से आजादी दिला दी जाएगी।

उन्होंने उद्योग और सड़कों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की शुरुआत की।

अनुच्छेद 371 के जरिए ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों को विशेष अधिकार मिले हैं। इनके जरिए यहां की संस्कृति और पारंपरिक कानूनों की रक्षा की जाती है। पूर्वोत्तर की संस्कृति को बचाने के प्रति सरकार की कटिबद्धता जाहिर करते हुए शाह ने कहा कि अनुच्छेद 371 न ही कोई हटा सकता है और न उसे हटाने की कोई मंशा है।

अनुच्छेद 371 का **बाकी पेज 8 पर**

पूर्वोत्तर की संस्कृति को बचाने के प्रति सरकार की कटिबद्धता दोहराई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल।

दौरे पर चीनी आपत्ति खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन ने तीखी आपत्ति जताई है। इस आपत्ति को भारत ने 'बेवजह' बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'भारत का हमेशा से रुख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता।' उनसे गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की यात्रा पर चीन की आपत्ति के **बाकी पेज 8 पर**

चीन का एतराज
पड़ोसी देश ने कहा, भारत ने राजनीतिक विश्वास पर प्रहार किया

भारत का जवाब
विदेश मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा

शाहीन बाग पहुंचे वार्ताकारों ने मीडिया से बनाई दूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार गुरुवार को दूसरे दौर की बातचीत के लिए शाहीन बाग पहुंचे लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान मीडिया की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने मीडिया की मौजूदगी में बातचीत शुरू करने के प्रति अनिच्छा जताई। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि वे अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारों को बाद में जाने को कहा गया। रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा- आपने बुलाया हम चले आए। हमें इस बारे में सोचना होगा और विस्तार से बातचीत करनी होगी। हम आभारी हैं कि बुधवार को हमें यहां सभी दादियों का आशीर्वाद मिला।

प्रदर्शनकारियों से मीडिया की मौजूदगी में बातचीत के प्रति अनिच्छा जताई

उन्होंने बुधवार को भी शाहीन बाग का दौरा किया था और प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू करते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शन के उनके अधिकार को बरकरार रखा है लेकिन इससे अन्य नागरिकों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ राजधानी **बाकी पेज 8 पर**

तयशुदा रास्ते से ही गुजरेगा ट्रंप-मोदी का काफिला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

भारत की यात्रा के अपने पहले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में हिस्सा लेने के पहले साबरमती आश्रम जाएंगे। वह 24 फरवरी को अमदाबाद पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष पहले साबरमती आश्रम जाएंगे। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम जाएंगे।

पुलिस आयुक्त अजय तोमर के मुताबिक, अमदाबाद हवाईअड्डे से मोटेरा स्टेडियम तक लोगों की लंबी कतार मोदी और ट्रंप के काफिले का स्वागत करेगी।

ट्रंप के दौरे के सभी कार्यक्रम पूर्व योजना के मुताबिक ही होंगे। अमदाबाद के विशेष पुलिस आयुक्त अजय तोमर के मुताबिक, अमदाबाद हवाईअड्डे से मोटेरा स्टेडियम तक लोगों की लंबी कतार मोदी और ट्रंप के काफिले का स्वागत करेगी। इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप अहमदाबाद में जिस मार्ग से गुजरेंगे, वहां देश के विभिन्न हिस्सों की झलक दिखाने वाले 28 मंच तैयार किए जा रहे हैं, जिसे 'इंडिया रोड शो' कहा जा रहा है।

ट्रंप के मार्ग में गांधी जी के जीवन को दर्शाते विभिन्न दृश्य भी होंगे। मोदी और ट्रंप मोटेरा स्टेडियम बड़ी संख्या में दर्शकों को संबोधित करेंगे जिसमें देश की विविधता को दर्शाते भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग शामिल होंगे। अमदाबाद में कार्यक्रम के बाद ट्रंप अपनी पत्नी के साथ आगरा जाएंगे जहां वे ताजमहल में लगभग एक घंटा रुकेंगे। इसके बाद ट्रंप दिल्ली रवाना होंगे। इसके अगले दिन 25 फरवरी की सुबह ट्रंप और उनकी पत्नी का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। हैदराबाद हाउस में **बाकी पेज 8 पर**

> ट्रंप के दौरे के दौरान पांच सहमति पत्रों पर दस्तखत के लिए बातचीत चल रही है। ट्रंप के बयान का संदर्भ व्यापार संतुलन से था और उन चिंताओं पर ध्यान देने के प्रयास किए गए हैं।
> -रवीश कुमार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

'नमस्ते ट्रंप' में भाग लेने से पहले साबरमती आश्रम जाएंगे दोनों नेता। *हवाईअड्डे* से मोटेरा स्टेडियम तक लोगों की लंबी कतार मोदी और ट्रंप के काफिले का स्वागत करेगी।

सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्र को नोटिस जारी किए। ये अर्जियां केरल नदवातुल मुजाहिदीन, अंजुमन ट्रस्ट और दक्षिण केरल जमीयतुल उलेमा सहित 15 याचियों ने दायर की हैं। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने इन अर्जियों पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किए तथा इन्हें पहले से लंबित 150 से ज्यादा अर्जियों के साथ संलग्न कर दिया। इन याचिकाओं पर मार्च महीने में सुनवाई होने की उम्मीद है।

पहले से लंबित 150 से ज्यादा अर्जियों के साथ 15 याचियों की अर्जी संलग्न

इन अर्जियों पर मार्च में सुनवाई की उम्मीद

संशोधित नागरिकता कानून में आस्था के आधार पर उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर, 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुसलिम अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौध, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के सदस्यों को भारत **बाकी पेज 8 पर**

महिला पहलवानों ने भारत को दिलाए तीन स्वर्ण

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

दिव्या काकरान, सरिता मोर और पिंकी ने अपने वजन वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। इससे भारत ने एशियाई चैंपियनशिप की महिला स्पर्धाओं में पहले दिन दबदबा बनाया। पांच भारतीय पहलवानों में से चार फाइनल में पहुंचीं। दिव्या (68 किग्रा), पिंकी (55 किग्रा) और सरिता (59 किग्रा) ने शीर्ष स्थान हासिल किया। निर्मला देवी को 50 किग्रा में रजत से संतोष करना पड़ा। किरण (76 किग्रा) पदक हासिल नहीं कर सकीं। **विस्तृत खबर पेज 14 पर**

एशियाई चैंपियनशिप

नागौर में दलितों से बर्बरता, सात आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

राजस्थान के नागौर जिले में दो दलितों के साथ बर्बर तरीके से मारपीट का मामला उजागर हुआ है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान सरकार से कहा कि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सात आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि आरोपियों की तरफ से पहले पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज कराना गंभीर है। उन्होंने 16 फरवरी की वीभत्स घटना पर आज मामला दर्ज किए जाने पर भी आपत्ति जताई।

गरमाई राजनीति

राहुल ने तत्काल कार्रवाई करने को कहा, गहलोत ने सात आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला

गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के नागौर में दो दलित नौजवानों को बर्बरता के साथ प्रताड़ित किए जाने का हालिया वीडियो भयावह और वीभत्स है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि **बाकी पेज 8 पर**

मंदिर शिलान्यास का प्रधानमंत्री को न्योता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के अध्यक्ष प्रबंध महंत नृत्यगोपाल दास समेत ट्रस्ट के सदस्यों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री को मंदिर के शिलान्यास का न्योता दिया गया। न्यास के पदाधिकारियों ने मोदी को मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए कुछ संभावित मुहूर्त बताए और और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर विचार करने की बात कही।

न्यास की अगली बैठक तीन-चार मार्च को अयोध्या में होगी, जिसमें निर्माण शुरू करने की तिथि तय की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में न्यास के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि भी बैठक में उपस्थित थे। मुलाकात के बाद महंत नृत्यगोपाल दास ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने प्रधानमंत्री को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया।'

राम मंदिर न्यास के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

न्यास की अगली बैठक तीन-चार मार्च को

इस बैठक में तय हो सकती है निर्माण शुरू करने की तारीख

तिरपाल से फाइबर के अस्थायी मंदिर में मूर्तियों को ले जाया जाएगा

महंत नृत्यगोपाल दास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य एक-दो महीने में शुरू हो जाएगा। उन्होंने आशा जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से पहले **बाकी पेज 8 पर**

विहिप ने की रामोत्सव मनाने की घोषणा

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि रामनवमी के मौके पर 25 मार्च से 8 अप्रैल तक 'रामोत्सव' मनाया जाएगा। इस दौरान विहिप कार्यकर्ता देशभर के 2.75 लाख गांवों में पहुंचेंगे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया था।

नियंत्रण रेखा पार 15-20 आतंकी ठिकाने : नरवणे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

'एफएटीएफ, आतंकवाद पर पाक को चीनी समर्थन ज्यादा दिन तक नहीं'

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 15-20 आतंकवादी ठिकाने (लांच पैड) हैं, जहां इस समय 250-350 आतंकवादी मौजूद हैं और भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। कुछ मीडियाकर्मियों से **बाकी पेज 8 पर**

नौनिहालों को कोई नहीं दे पा रहा टिकाऊ भविष्य | संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट | दुनिया के 180 देशों में भारत 131वें नंबर पर

खुशहाली के लिए अभी तय करना है लंबा सफर

संयुक्त राष्ट्र, 20 फरवरी (भाषा)।

बच्चे पढ़े-लिखें और खुशहाल रहें ऐसी स्थितियां पैदा करने में दुनिया के देशों की कोशिशें अभी भी नाकाफी हैं। भारत इस मामले में 180 देशों में 131वें नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट के मुताबिक संवहनीयता सूचकांक (सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स) के मामले में भारत 77वें स्थान पर है और बच्चों की उत्तर जीविता, पालन-पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक (फ्लोरिशिंग इंडेक्स) में उसका स्थान 131वां है।

संवहनीयता सूचकांक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा है जबकि खुशहाली सूचकांक का संबंध किसी भी राष्ट्र में मां-बच्चे की उत्तर जीविता, पलने, बढ़ने तथा उसके कल्याण से है। दुनियाभर के 40 से अधिक बाल एवं किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक आयोग ने बुधवार को रिपोर्ट जारी की है। यह शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) तथा दी लांसेट मेडिकल जर्नल के संयुक्त तत्वावधान में हुआ है।

40 से अधिक बाल एवं किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आयोग ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के अग्रणी शोधकर्ताओं में से एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में विश्व स्वास्थ्य एवं संवहनीयता के प्रोफेसर एंथनी कोटेलो के मुताबिक, 'दुनिया का कोई भी देश ऐसी परिस्थितियां मुहैया नहीं करवा रहा है, जो हर बच्चे के विकसित होने और स्वस्थ्य भविष्य के लिए आवश्यक है। बल्कि उन्हें तो जलवायु परिवर्तन तथा व्यावसायिक मार्केटिंग का सीधे-सीधे खतरा है।'

रिपोर्ट में 180 देशों की क्षमता का आकलन किया गया है कि वे यह सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं कि उनके यहां के बच्चे पलें-बढ़ें और खुशहाल रहें। रिपोर्ट के मुताबिक संवहनीयता सूचकांक के मामले में भारत का स्थान 77वां और खुशहाली के मामले में 131वां है। खुशहाली सूचकांक में आता है माता एवं पांच साल से कम आयु के बच्चों की उत्तर जीविता, आत्महत्या दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा, बुनियादी साफ-सफाई और भीषण गरीबी से मुक्ति तथा बच्चे का फलना-फूलना आदि।

इसमें कहा गया कि विश्व की संवहनीयता बच्चों के फलने-फूलने की क्षमता पर निर्भर करती है लेकिन कोई भी देश अपने नौनिहालों को टिकाऊ भविष्य देने के पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के अग्रणी शोधकर्ताओं में से एक यूनिवर्सिटी कॉलेज **बाकी पेज 8 पर**

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Sanjiv Arya Son of Yashpal Arya Residing at-H.No.E-15, 30Feet-Road, Ganga-Vihar, Gokulpuri Delhi-110094,declare that name of mine and my Minor Son Siddharth Arya aged 15 years has been wrongly written as Sanjeev Arya and Siddarth Arya in his School-Records.The actual name of mine and my minor son are SANJIV ARYA and SIDDHARTH ARYA respectively which may be amended accordingly. 0040532905-5

It is for general information that I, Amar Paul Singh Rana S/O Shatruhan Singh Rana, residing at 500/243 Kutubpur gokran nath road daliganj Nirala Nagar Lucknow Uttar Pradesh-226020, declare that name of mine has been wrongly written as Amar Paul Singh in my Educational documents and service records. The actual name of mine is Amar Paul Singh Rana respectively which may be amended accordingly. 0040532923-2

I,Vinay Kumar Aggarwal S/o Ishwar Dutt Aggarwal R/o-AM-165, 2nd-Floor,Shalimar Bagh,Delhi-110088,have changed my name to Vinay Aggarwal for all future purposes. 0040532908-1

Mukesh kumar Sharma S/o Devki Nandan Sharma H. No. G 159,C Naveen Vihar Begumpur Delhi 110086 have changed my name to Mukesh Kumar 0070699453-1

I,Rajeev Chopra S/o Sat Ketu Chopra R/o A-76 Narang Colony Janak Puri Delhi have changed my name to Rajiv Chopra permanently. 0040532926-6

I,Prakashvir @ Prakashveer Mavi S/o Ramdhan R/o-11/33, 2nd-Floor, Sector-3,Rajender Nagar, Sahibabad,Ghaziabad-201005 have change my name to Prakaashvir Mavi. 0040532908-3

I,Nisha W/o Sachin Gupta R/o 238 Modern Appt Sector-15 Rohini Delhi have changed my name to Nishaa Gupta permanently. 0040532926-2

I,Nisha Aggarwal W/o Sachin Gupta R/o 238 Modern Appt Sector-15 Rohini Delhi have changed my name to Nishaa Gupta permanently. 0040532926-4

I,Bhagwati W/o Laxmi Narian R/o.H.No.1517/107, Ganesh pura-A, Tri Nagar, Delhi-110035 declares that Bhagwati and Munu both are same and one person. 0040532908-2

I,Archna Sharma D/O Sh.Harish Sharma R/o K-44/A,Ground Floor, K- Block, South City 1,Gurgaon have changed my name to Archana Sharma for all future purposes. 0040532853-1

I, hitherto known as Vikas Sharma S/o Charan Dass-Residing at-A-52, Vivek-Vihar, Phase-II, Delhi-110095. have changed my name and shall hereafter be known as Vikas Kumar. 0040532895-9

I, hitherto known as Prakash Yadav S/o Chatur Sen, Residing at-H.No.-467, Ram-Park, Extn, Ilachipur, Ghaziabad, U.P.-201102 have changed my name and shall hereafter be known as Prakash Kumar. 0040532905-3

I, have changed my name from Manoj kumar to Manoj kumar singh S/o sh. Mahendra pal singh R/o flat no-2081 sec-4a Vasundhara Ghaziabad U.P forever. 0040532877-1

I, Zeenat Aman D/o Riyasat Ali R/o-82 Ghalib-Apartment, Pitampura Delhi-110034, inform that my name Zeenat Aman and Zeenat Khan is same person. 0040532895-10

I, Vishnu, S/o Chandrama Yadav, R/o-G1/41, Kunwar Singh Nagar,Nangloi, New Delhi-110041,have changed my name to Vishnu Dev Yadav,for all purposes. 0040532970-3

I, Vishakha Sharma W/O, Rakesh Kumar R/o M 404, Sispal Vihar, Sector 49, Gurgaon, HR-122018 have changed my name to Vishakha Singh for all purposes. 0040532930-2

I, Vinodani Nagar @ Vinod Devi W/o Late Ramesh Kant Nagar R/o House No. 20/590, DDA Flats, Madangir, New Delhi-110062 have changed my name to Rama Nagar for all purposes. 0040532893-1

I, Vinodani Nagar @ Vinod Devi W/o Late Ramesh Kant Nagar R/o House No. 20/590, DDA Flats, Madangir, New Delhi-110062 have changed my name to Rama Nagar for all purposes. 0040532893-1

I Chandrakanta Kriplani W/o Parasram Kewalramani R/o 503, Annapurna Apartments, Bishop Rockey Street-1, Near IT College, Faizabad Road, Lucknow-226007, have changed my name to Jyoti Kewalramani 0070699498-1

I B.Swati D/O B.Satyam R/O-F-152, Malcha Marg, ChanakyaPuri, New Delhi-110021 Have Changed my Name to Barru Swati. 0040532913-2

व्यक्तिगत

I, Sweety Kumari D/o Balendar sahani R/o-Gali.no.2 Wazirabad-village delhi-110084 have changed my name to swastika sahni, for all purposes. 0040532913-6

I, Suresh Chandra S/o Sh. Mathura Dutt Joshi R/o C-2/24, Arawali House, Dwarakadish, Sector-24, Rewari, Distt. Dharuhera have change my name from Suresh Chandra to Suresh Chnadra Joshi for all purposes in future as per the Affidavit sworn in before the Notary Public on 18.02.2020. 0040532851-1

I, Sunita, W/o Vishnu Dev Yadav, R/o-G1/41, Kunwar Singh-Nagar, Nangloi, New Delhi-110041,have changed my name to Suneeta Devi,for all purposes. 0040532970-4

I, Shalika Sibal D/o Janak Kumar Sibal W/o Gaurav Chawla R/o-G-36-A, F.F., Kirti-Nagar, New Delhi-15, changed my name to Gauri Chawla. 0040532895-6

I, Sunil Kumar Nawariya S/o Bhure Lal R/o D-2/07, Madangir, New Delhi-110062 have changed my name to Sunil Nawariya for all purposes. 0040532842-1

I, Sunali Mahajan W/o Manish Mahajan R/o 168, Ist Floor, Gagan Vihar,Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name as Sonali Mahajan for all future purposes. 0040532849-1

I, Sonia Sachdeva W/O Amarjeet Singh R/O-H.No. 2/70, Nirankari-Colony, Delhi-110009. Have Changed My Name From Sonia To Sonia Sachdeva, For All Future Purposes. 0040532943-3

I, Shayam Sunder S/o Hari Chand R/o-WZ-35, S/F, Sant Nagar, New Delhi-11001, have changed my name to Shyam Sunder permanently. 0040532943-6

I, Ruchi Jain, W/O Gagan Jain, R/O-L-2/12 L-2-block, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name to Rajni Jain for future. 0040532943-7

I, Ruchi Jain, W/O Gagan Jain, R/O-L-2/12 L-2-block, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name to Rajni Jain for future. 0040532943-7

I, Rakesh Chaudhary S/o Sh. Nageshwar SinghR/o-House no-16A, GaliNo-9, Haiderpur, Delhi-110088have changed my name to Jitan Singh for all purposes. 0040532856-1

I, Rajender Kumar S/O Shri.Ram Asray, R/O-6130, Gali Chunni Wali, Sadar-Bazar, Delhi-110006, inform That I Am Also Known By The Name Of Rajender.I Declare That Both Names Rajender Kumar And Rajender Pertain To One And The Same Person. 0040532905-1

I, Rais S/o Late Rafiq Ahmed R/o 108-A, Basti Hazrat Nizamuddin, N.D.-13 have changed my name to Rais Ahmed for all future purposes. 0040532869-1

I, Rahul Sharma S/o Balbir Sharma R/o House No-299, Sector-19, Faridabad, Haryana-121002, have changed my minor son's name from Manthan Sharma aged 4 years to Madhavan Sharma forever 0070699489-1

I, Raghvendra Singh S/o Shri. Dev Pal Singh R/o A-44, Sector-12, Noida U.P. have changed my minor son's name Rajbardhan Singh to Rajvardhan Singh for all future purposes. 0040532899-1

I, Prakash Raghav,S/o Sh.Mangal Singh Raghav, R/o-U-1/52, Budh-vihar Phase-1,Delhi-110086, have Changed my Name Prakash to Prakash Raghav,for all future purposes. 0040532943-8

I, Prabhjeet Singh Dhillon s/o Surinder Singh r/o NW-63, Gali No.-11, Vishnu Garden, Delhi-110018 have changed my name to PRABHJEET SINGH. 0040532874-1

I, Poonam W/o Rajesh Kakkar R/o-3870/10 Kanhiya Nagar Tri-Nagar Delhi-110035 changed my name to Poonam Kakkar. 0040532943-1

I, Perminder Kaur w/o Bhupinder Singh R/o E-504 RG Residency, Sector-120 , Noida, UP have changed my name to Parminder Kaur Arora for all Purposes. 0040532864-1

I, Parivat S/o Sh. Shivcharan-206/7, E-Block, Shitla Colony Gurgaon (Haryana)- 122001, have changed my name to Parikshit Kumar. 0040532895-2

I, Papita Jat @Papita Kumari Jat D/o Kalu Ram W/o Kailash Chand Jeenjwadia R/o-Ward-No.21, Devan Road, Jeenjwadia Bhawan, Shahpura, Rajasthan-303103 have changed my name to Meenu Choudhary. 0040532930-5

I, Nafha Rashid Quresi W/o Mohammad Shariq, R/o-7814/8, NaiBasti-Bara Hindu Rao Delhi-110006 have changed my name to Nafha Shariq. 0040532913-8

I Sain Dass S/o Durga Dass R/o 270 R, Model Town, Jalandhar, Punjab-144004, have changed my name to Satish Kumar 0070699487-1

I Honey Jalali D/o Sh.Jyoti Kaul Jalali R/o 2437, Nalwa Street, Raj Guru Road, Pahar Ganj, Central Delhi, Swami Ram Tirth Nagar, Delhi-110055 have changed my name to Hridi Kaul Jalali for all purposes. 0040532843-3

I, Paarmita Singh D/o Vijendra Kumar Singh R/o 21802, Shaktikunj Apartment, Sector-62, Noida-201301, inform that name of my father has been wrongly written as Vijender Kumar Singh in my CBSE Class - Xth. The actual name of my father is Vijendra Kumar Singh respectively. Which may be amended accordingly. 0040532892-1

I, Shirish Kalidasrao Deshpande S/o Deshpande Kalidasrao-Nagorao R/o-Flat.No-272, 3rd-Floor, Tower-4, Supreme-Enclave, Mayur-Vihar, Phase-1, Delhi-110091, have changed my name to Shirish Kalidas Deshpande. permanently. 0040532913-10

I, Mohd Gulshan Khan S/O Bane Khan R/O E-162, Galino.8, Khajoori Khas, Delhi-110094. Have Changed My Name To Gulshan Khan. 0040532930-1

I, Mohammed Ameer S/o Mohammad Sharif R/o 2247, Gali Dakotan, Turkman Gate, Delhi-110006, have changed my name to Amir Ahmed, for all purposes. 0040532850-1

I, Minakshi Kohli W/O Baldev Raj R/O- H.No.463, Village-Burari, Delhi-84 Have Changed My Name To Meenakshi. 0040532943-5

I, Madan Gopal S/o Daulat Ram Gaur R/o C-15/8 Mandawali Unchepar, Delhi-110092 have changed my name to Madan Gopal Gaur for all future purposes. 0040532928-1

I, Kum.Pramod W/o Dhanpat Ram R/o-Village-Padla, Manethi, Rewari, Haryana-123102, have changed my name from Kum. Pramod to Pramod,for,all future purposes. 0040532970-1

I, Km.Vimlesh W/O Lalta Prasad R/O-C-1, Police Colony Shakarpur Type-4, Laxmi Nagar Delhi-110092. Have Changed My Name To Vimlesh Kumari. 0040532943-2

I, Kajal Gajwani W/o Rajendra Gajwani R/o A-126, Patel Nagar-2, Ghaziabad, Uttar-Pradesh have changed my name to Mamta Gajwani. 0040532913-1

I, Kailashkumar Jha S/o Anand Jha R/o-H.No.59, F-block, Shyam Vihar, Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name to Kailash Jha. 0040532895-5

I, Kailashkumar Jha S/o Anand Jha R/o-H.No.59, F-block, Shyam Vihar, Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name to Kailash Jha. 0040532895-5

I, Kailash D/o Babu Lal H.No-36, First-Floor, Block-A, Raghu Nagar, Dabri, New Delhi-110045, have changed my name to Reena Chauhan. 0040532970-5

I, Jyoti Kumar W/O, Satish Kumar R/o House No-123 Block-D Sector-61, Noida Uttar Pradesh have changed my name to Jyoti for all purposes. 0040532970-6

I, Inderjeet Singh S/o Devinder Singh R/o-32/42, First-Floor, West Patel Nagar, Delhi-110008 have changed my name to Inderjeet Singh Lamba. 0040532913-7

I, Harish Chander S/O Parkash Chand R/O-4637, Shora Kothi Main-Bazar, PaharGanj, Delhi-110005,Have Changed My Name To Harish Chand,For All,Future Purposes. 0040532970-2

I, Ganpati S/o Bhageshwar Jha R/o 286A, Sector-8, Noida have changed my name to Ganpati Jha. 0070699449-1

I, Gagan S/o Sh. Madan Lal R/o C-1/9, Phase-1, Budh Vihar, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as Gagan Sachdeva. 0070699451-1

I, Dharm Dutt S/o Hazari Lal, R/o H.No.A-7, Vishal Colony, Nangloi Village,New Delhi-110041. Have Changed My Name To Dharam Dutt.For All Purposes. 0040532847-1

I, Champa Devi W/o Sh. Ghanshyam Singh Rawat R/o-194, Pratap-Vihar-I Gali No-2, Kirari-Suleman-Nagar, Delhi-110086 changed my name to Chanda Devi permanently. 0040532905-9

I, Baljeet Singh S/o Gulzari Lal R/o E-8, Sudershan-Park, New Delhi-110015 have changed my name to Baljit Singh permanently. 0040532913-5

I Vandita Kaur Sethi D/o Joginder Singh Sethi R/o-C-30, Rajouri-Garden, New Delhi.have changed the name of my minor son Gurmanin Singh Sehgal to Gurmanin Singh born on-08.11.2014. 0040532930-3

I, Ashish Kumar Srivastav R/o Flat No C-201, Progressive Apartment, GH-69, Sec.55, Near Ghata Sabji Mandi, Gurgaon, Haryana-122001 has changed my name to Ashish Kumar Srivastava. 0070699445-1

I Chelsea D/o Sarbjit Singh Lauhka R/o House No-2004/2, Sector-45C, Chandigarh-160047, have changedmy name to Chellsea Lauhka 0070699502-1

I Ashwini Arvind Landge Alias Rohankar Roshni Satishrao W/o Arvind Landge R/o Plot No-22, New Narsala Road, Darshana Housing Society, Indranagar, Narsala, Hudkeshwar Bk, Mhalginagar, Nagpur, Maharashtra-440034, have changed my name to Roshni Satishrao Rohankar 0070699482-1

व्यक्तिगत

I, Archana Kumari W/O Sanyog Gupta R/O- C-1054-I, Sushant-Lok-1, Gurgaon, Haryana-122002, Changed my name to Archana Gupta. 0040532895-8

I, Archana Kumari W/O Sanyog Gupta R/O- C-1054-I, Sushant-Lok-1, Gurgaon, Haryana-122002, Changed my name to Archana Gupta. 0040532895-7

I, Anup Kumar Vaid S/o Vijay Kumar Vaid R/o-RZD3/19A, Gali-No.3, VinodPuri Vijay-Enclave, Palam-Village, New Delhi-110045 have changed my name to Anup Vaid. 0040532913-9

I, Anil Kumar S/o Om Prakash R/o B2/18, 3rd Floor, Rana Pratap Bagh, ND-110007 have changed my name to Anil Kumar Bansal, permanently. 0040532852-1

I, Akhilesh Singh S/o Shri Ram Gopal Singh Chauhan R/o 24/2 Malviya Nagar New Labour Colony Aishbagh Lucknow, U.P.-226004, have changed my name to Akhilesh Singh Chauhan for all future purposes. 0040532901-1

I, Akanksha Jodhani D/o Prabhat Jodhani and W/o Sauhitya Garabadu R/o-F-79, Aravali-Kunj Apartments Sector-13,Rohini, Delhi-110085, changed my name to Aakanksha Jodhaani. 0040532905-4

I, Achintye Kamra S/o Dinesh Kamra R/o-FA-328/5, First Floor, Mansarover Garden, N.Delhi-15 have changed my name to Achintye Kamra. 0040532913-4

I Vineet Jain S/o Manak Jain R/o 33, Mayur Complex, Sector-4, Udaipur, Rajasthan-313002, have changedmy name to Vinnit Singhvi 0070699486-1

I Shristi Soumya W/o Amandeep Singh Bhatia R/o Flat No-518, Hanna Tower Gaur Saundaryam, Noida Extension, Bishrakh, Gautam Buddha Nagar, UP-201306, have changed my name to Srishti Singh Bhatia 0070699497-1

I Ramsharan Lal R/o Late Sh.Mohan Lal R/o H.No.109 B, Ashram Wali Gali, Punjab Khor, North West Delhi-110081 have changed my name to Ramsharan Sehgal for all purposes. 0040532843-2

I Rajneesh Kumar S/o Dharmender Kumar R/o-H.No.2409, Mandi-Extension, Narela, Delhi-110040 Lost my original Marksheet Diploma of Mechanical Engineering 2nd, 3rd Semester-Year-2018, Roll No.1621131044. 0040532930-6

I Piyali Roychoudhury W/O Kallol Roychowdhury H.No-B-36, Flat No:3, Pul-Pehladpur, Vishwakarma-Colony N.Delhi-110044. Changed My Name To Piyali Roychowdhury. 0040532943-4

I Pawan Tamang S/O Dawa Lama R/O-A-14/2, 2nd Floor, Vasant Vihar, Delhi-110057. Have Changed My Name to Pawan Lama. 0040532895-4

I Pathan Moddin Gouskhadar S/o Gouskhadar Pathan R/o At/Post-Nesari, Tal-Gadhinglaj, Dist-Kolhapur, Maharashtra-416504, have changed my name to Mohaddinkhan Gauskhadar Pathan 0070699493-1

I Mohd Kalam alias Md Kalam alias Mohammad Kalam alias Mohd Abul Kalam Azad alias Abul Kalam S/o Late Mohd Tahir Hussain R/o B-351-352, J.J.Colony, Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Md Kalam for all purposes. 0040532843-1

I Mayank S/o Om Parkash R/o-32-C, PKT-A, VikasPuri-Extn Delhi-18 have changed my name to Mayank Bhalla. 0040532895-3

I Mahendra Jawandhiya S/o Ganga Dass Jawandhiya R/o-26/127-B, Gali No-10, Sidharat Gali-60ft.Road, Vishwas-Nagar, Delhi-110032 have changed the name of my minor daughter Manvi M.J. to Manvi Jawandhiya age about 14years for all future purposes. 0040532905-2

I Muneer Ali S/O-Murad R/O-J-25/A, 1st-Floor Batla House Jamia Nagar ND-110025, have changed my name Munir Ahmad for all purpose. 0040532895-1

I Nisa S/O Ram Kishan H.No-193, By Pass Road, Prem-Nagar, Sector-18, Kheri-Kalan, Faridabad-121002 Haryana. Have Changed my Name to Ajay. 0040532913-3

I Debiram Alen S/O, Jhangiri Mal R/o B-1691, Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed my name to Devi Ram for all purposes. 0040532876-1

I, Sayyed Gulfam Ali S/o Late Manazir Ali, R/o 1429, Gali Chatta Nawab Sahab, Farash Khana, Delhi-110006 have changed my name to Syed Gulfam Ali permanently. 0040532737-2

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Pushpa D/o Surender Bhagat R/o S-17 Gali No. 4 Vikas Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 declare that name of my mother and father has been wrongly written as Samunder and Surinder in my educational documents. The actual name of my mother and father is Sumintra and Surender Bhagat respectively which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

खोया+पाया

मै, राहुल शर्मा पुत्र श्री अतलेश कुमार शर्मा, सूचित करता हूं कि मेरी रजिस्ट्री आवेदन संख्या- 201900742027818, प्लॉट नं. 40 (क्षेत्र माप 50 Sq. Yards) Nirman City, खेड़ा चौगानपुर, परगना दादरी, गौतम बुध नगर के मूल दस्तावेज खो गए है, मिलने पर सम्पर्क करें- 9810101026

Lost original Flat Buyer Agreement Book,Transfer Certificate,Transfer Form issued by Ansal Housing Ltd. for Office No.307,Kirti Shikhar Building, District Centre, Janakpuri, New Delhi-110058 favouring Ajay Kapur & Ms. Ishita Billa.FIR lodged vide LR No.180986/2020 dated:20-02-2020. Founder inform at:9350023087 0040532849-3

My original document sale deed of Property Flat No.4, C-2, Giriraj Nikunj, Ratanchhatri, Vrindavan Bangar, Mathura, U.P.has lost.Finder contact: Shakuntla Sachdeva W/o Gyan Chand Sachdeva R/o-2B/61, Ramesh-Nagar, Delhi. 0040532930-10

I, Bhawana Sharma D/o Kuldeep Sharma R/o-WZ-312, St.No.8 Sadh-Nagar Palam Colony Delhi-45.lost my original/Marksheets/certificates class-Xth & XIIth Roll No.6396933 & 6656615 Year-2000 & 2002 from CBSE-Delhi. 0040532905-10

I, Sanchita Misra D/o Sh. Satish Chandra Misra, R/o-123 Shivkala Apartment's, Sec-51, Noida, U.P. notify that my Original Property Documents (Allotment Letter, Buyer/ Seller Agreement) of the Property Address:-Flat No.SAT2-1116, Blossom Zest, Plot No.GH-02, Sec-143, Noida, U.P. have been lost. Founder Pls Contact:9312252956. 0040532930-9

I,Krishan Kumar S/o-Lt. Sh. Narain Singh R/o-B-2/127, Safdarjung Enclave, New. Delhi-110029,Have Lost Original Property Documents LR-No.178299/2020 (1)Demand-Letter (2)Possession-Letter (3)Possession Slip (4)Occupancy Certificate, Founder Please,Contact:-9810218708. 0040532908-4

Lost original Blank signed cheques No.052528 to 35, 052537 to 46, 052548 to 50 of ICICI Bank Ltd.,Vikaspuri, New Delhi-110018 of Account No.629601528057 belonging to Anshul Behl R/o DG-II/138-B, Vikaspuri, New Delhi-110018. Its use will be invalid. Founder inform at:9999210325 0040532849-2

व्यक्तिगत

Be it known to all that due to mistake from my end my name in college records of my son is entered as Harpreet S. Chadha whereas, my original/actual name is Harpreet Singh Chadha (46 years) S/o Rajinder Singh R/o H.No. 128, Chander Nagar, Opp. Gurudwara, Alambagh, Lucknow vide affidavit sworn in before Principal, La Martiniere College, Lucknow.

Be it known to all that due to mistake from my end my name in college records of my son is entered as Balwinder K. Chadha whereas, my original/actual name is Balwinder Kaur Chadha (37 years) W/o Harpreet Singh Chadha R/o H.No. 128, Chander Nagar, Opp. Gurudwara, Alambagh, Lucknow vide affidavit sworn in before Principal, La Martiniere College, Lucknow.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I **VIKASH KUMAR THOKAR** S/O **JIT BAHADUR** R/O H. No- 178-a, Basant Nagar, Vasant Vihar, South West Delhi, Delhi-110057 declare that name of mine has been wrongly written as **VIKAS** in my minor daughter **DEEPA THOKAR** aged **16** years in her school records. The actual name of mine is **VIKASH KUMAR THOKAR** respectively which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connections.

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public at large that my clients Sh. Gurmukh Singh S/o. Sh. Harbans Singh R/o. RZ-405, Nihal Vihar, Nilothi, New Delhi-110041 have severed all his relations with his son namely Sh. Kuldeep Singh and his wife namely Smt. Pinki as he and his wife has been disobedient, damaged the reputation of the family, rude, quarrelsome & are not under the control of my clients aforesaid. From hereon my clients have debarred the said son and the daughter in law from having any concern with our movable and immovable assets and properties including future movable or immovable property(ies) and if any person, organization & institution enters into any trasaction(s) with them, remains at own costs, risks & consequences and not binding upon my clients in any manner whatsoever.

Sd/-
Devinder Pal
Advocate
D/1041/2000
8756/3, Multani Dhanda
Pahar Ganj, New Delhi-110055
Ph: 09999758272

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mrs. Vimla Devi Swami acquired the property i.e Second Floor without roof rights, Municipal No. B-1072/3, on old Plot No. 81, Shastri Nagar, Delhi, vide Sale Deed dated 04.08.2014 executed by Mrs. Sushila Devi, regd. as document no.5989, and Original Sale Deed dated 05.06.2008 executed by Mr. Subhash Jain and Mr. Rajesh Goel in favour of Mrs. Archana Bansal in respect of said property, is lost in Original and Mrs. Vimla Devi Swami is the undisputed owner of above said property till date OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 7 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Giri - Advocate
H.No. 26/161, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल **श्रीमति बिरमा देवी** पत्नी स्वर्गीय श्री बानी सिंह निवासी 17/25, झुग्गी ब्लाक 17, कल्याण पुरी, दिल्ली–110091, में रहती है। मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र **दीपक** सुपुत्र स्वर्गीय श्री बानी सिंह को अपनी समस्त चल व अचल संम्पत्ती से बेदखल कर दिया है और दीपक से मेरी मुवक्किल व उसके परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। अतः भविष्य में वह समस्त कार्यो व लेन देन के व कानूनी कार्यवाही आदि के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।

अली अफाक (ऐडवोकेट) एफ–802, कलकरडूमा कोर्ट, शाहदरा, दिल्ली–32

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल अनुपम सक्सेना पुत्र सुरेश बाबू सक्सेना व रजनी सक्सेना पत्नी अनुपम सक्सेना, दोनों निवासीगण-B-207, साई कुंज, फेस-3, न्यू पालम विहार, जिला-गुड़गाँव, हरियाणा ने अपने पुत्र शौर्य सक्सेना व पुत्रवधु शालिनी सहित को उनके दुर्व्यवहार/दुराचरण व नियंत्रण से बाहर होने के कारण सभी सम्बन्धविच्छेद करते हुए अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई लेन-देन/व्यवहार करेगा तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमे मेरे मुवक्किल व उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

H.S. Mudgal (Advocate)
Ch.No.B-4, BGS Block,
Tis Hazari Court, Delhi-110054

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री ज्ञानेश्वर मेहता पुत्र श्री जीउत मेहता पता मकान नंबर A–158 मेन शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद यूपी जिनकी उम्र 70 वर्ष एवं उनकी पत्नी की उम्र 65 वर्ष की है। इनका लड़का राकेश मेहता 10 वर्ष से इनसे अलग रहता है तथा इनकी देखभाल भी नहीं करता है। अंतता दुखी होकर मेरे मुवक्किल ने अपने बेटे राकेश मेहता उसकी पत्नी प्रियंका कुमारी उसकी बेटी भव्य मेहता को अपनी चल और अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सारे रिश्ते नाते विच्छेद कर लिये हैं।

Pankaj Rai
Advocate
Enrol No. D/1642/13

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the General Public at large that our client Smt. Savitri Sharma W/o Late Sh. S.C. Sharma R/o 314, Dhurv Apartment, IP Extension, Patparganj, Delhi-110092 is absolute and sole owner of the property described herein below.
The public in General is hereby cautioned not to deal with the property i.e. Property No.B-395, Nirman Vihar, Delhi-110092 comprising of Ground and First Floor. In case any person/entity deals with the said property in any manner whatsoever, he/she/they will be doing so at their own risk, cost and legal consequences.
DESCRIPTION OF PROPERTY : B-395, Comprising of Ground and First Floor Nirman Vihar, Delhi-110092

Sd/-
ANAND MAHESWARI & ASSOCIATES
(ADVOCATES)
Ch.No. 503-504, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Sh. Vivek Bengani, Director of M/s. Bhawani Realtech Pvt. Ltd. having it's registered office at A-3/31/1, Ist floor, Radhey Puri Ext., Main Jagatpuri Chowk, Jagatpuri, Delhi-110051, has cancelled/terminated the Letter of Intent dated 29th July, 2016 for Dealership of M/s. UM Lohia Two Wheelers Pvt. Ltd. with effect from 28.09.2019. Henceforth, my client is no more Dealer thus not responsible or authorized for providing any post sale services of UM Vehicles or any other dealership operations with respect to the UM & its products/services, as my client has already terminated the L.O.I. dated 29/07/2016 executed between my client and M/s. UM Lohia Two Wheelers Pvt. Ltd. This information is being released in the interest of public at large.

PRATEEK MEHTA (Advocate)
Ch. No. 55, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PM3 X4hRKD(4)

PUBLIC NOTICE

it is notified for the information of general public that my client namely, Sh. Raj Kumar S/o Shri Lachhman Dass and Smt. Sudesh W/o Sh. Raj Kumar both R/o E-248, Rajni Gupta Hospital Ke Samne Wali Gali, Krishan. Vihar, North West Delhi, Delhi- 110086 has severed all relations from his son namely, Chirag Verma and has also debarred him from all his Movable/ immovable properties for his continuous disobedience and disrespect. That my client and his all family members shall have no connection whatsoever with the said son in future. It is also notified that my client and his family members will not be responsible for any act(s) and omissions of his above named son in. future. Whosoever, having relation with him shall alone be responsible.

Sd/-
RAVI SONI (Advocate)
Ch. No. 706, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Rajinder alias Raju** s/o Sh. Lala Ram & **Smt. Vinod Devi** w/o Shri Rajinder alias Raju, both residents of MSC-288, Mohalla Yogmaya, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi-110055 **disowned their son Mr. Dhiraj and his wife Kanchan and their children** from their all movable immovable properties as they have abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.

G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Kamal Sachdeva** s/o Sh. Jagdish Chander Sachdeva & **Smt. Seema Sachdeva** w/o Sh. Kamal Sachdeva, both residents of 2394, Flat No.3, Tilak Street, Pahar Ganj, New Delhi-110055 **disowned their son Mr.Prateek Sachdeva and his to be wife and their to be children** from their all moveable immoveable properties as they have abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.

(G.L.GOSWAMI) (ADVOCATE)
3530, QUTAB ROAD, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents that my client Mangla Singh Yadav S/o Ranjeet Singh R/o House No. 107, Deepak Vihar, Nilothi Extn. New Delhi had disowned and debarred his son Sunil Yadav and daughter-in-law Smt. Ankita Yadav from all his movable and immovable properties because they are out of control of my client and break all relations from his family. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibility.

Sd/-B.B.N. DEO, ADVOCATE
SR IInd, B Campus, Janakpuri, N.Delhi-58

Public Notice

My Client Saroj & Rajiv own a property at Flat No. 252, Azad Hind Appt., Sec- 9, Dwarka, New Delhi -77 against which a home loan is their with LIC HFL. The Original documents of the above property is mortgaged with LIC HFL & conveyance deed dated 20.01.2012 & Share Certificate dated 16.04.2003 the original & laminated. My client intend to create & mortgage in favour of SBI after takeover of loan from LIC HFL.

Puneet Kumar (Advocate)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कमल हासन की फिल्म के सेट पर दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

चेन्नई, 20 फरवरी (भाषा)।

अभिनेता कमल हासन एवं प्रोडक्शन हाउस लाइका की फिल्म 'इंडियन 2' के सेट पर बुधवार हुई दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि नौ अन्य लोग घायल हुए हैं।

कमल हासन ने तीन लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात दुर्घटना में एक कला निर्देशक सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। क्रेन संचालक के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। क्रेन संचालक अभी फरार है।

प्रोडक्शन हाउस के बयान के अनुसार इस दुर्घटना में सहायक निर्देशक कृष्णा, कला सहायक चंद्रन और निर्माण सहायक मधु की मौत हो गई है। 65 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि वह पहले भी कई हादसों से दो–चार हुए हैं और उन्होंने पहले भी कई हादसे देखे हैं लेकिन यह हादसा बहुत दर्दनाक है।

हासन, फिल्म की नायिका काजल अग्रवाल और कई अन्य लोगों ने तीन लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा की ऐसी घटना दुबारा न हो। हासन ने बुधवार देर रात अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल पूछा। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना उपनगरीय नैजरेथपेट में हुई जहां सेट को खड़ा करने के लिए लगाई क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि एक निजी फिल्म स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। लाइका निर्माण कंपनी ने कहा कि हम क्या महसूस कर रहे उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रोडक्शन हाउस ने शोक संतप्त परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त की।

वहीं हासन ने ट्वीट किया कि उन्होंने पहले भी कई हादसे देखे हैं लेकिन यह घटना बहुत ही डरावनी है जिसमें उन्होंने अपने तीन सहकर्मियों को खो दिया। उन्होंने कहा, 'मुझसे कहीं ज्यादा दुख उन परिवारों को है जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया। मैं उन परिवारों के इस दुख में शामिल हूं।' धनुष सहित कई अन्य फिल्म अभिनेताओं ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया।

PUBLIC NOTICE

My clients Chaman Lal Raipuri S/O Dass Ram and his wife Balwant Kaur r/o BR11A, Shalimar Bagh, Delhi have debarred their son Harpreet and daughter in law Monika Kumari from their all moveable and immoveable propeties and has cut all relations due to their hostile misbehavior and manhandeling with them. My clietns will not be responsible for their any act or dealings with anyone in future.

Sd/-
Bhupendra Kumar Arora
(Advocate)
(D/2749/10) District Court,
Rohini, Delhi

PUBLIC NOTICE

My Client Vijay Kumar S/o Ram Prakash Singh R/o 805 Tower 1D Skaroi Greens Land Craft Colombia Hospital Ghaziabad 201002 are availing loan from Cholamandalam Investment & Finance Company Limited. I hereby decare that Original Allottee(S) Agreement Dt. 31.12.2010. Original Allotment Letter and Original all paymentreceipts issued by M/s Uppal Chadha Hi tech Developers Pvt ltd in favour of LT Col (R) Manish Khullar & Ms Shalu Khullar WRT said property is missing. I Hereby Confirm that there are no other document.

Sd/-
Jai Kumar Ambavata
Advocate
SS Block Chamber No. 136,
Distt. & Session Court
Gurugram, Haryana

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Sh. Ishwar Singh and his wife Smt. Sneh Lata both R/o. H.No.-164, Main Chaupal Wali Gali, VPO- Kanganhen, New Delhi-110071 has severed their all relations from their son Sh. Amit Kumar and his wife Smt. Usha Rani and their daughter namely Baby Yashika, as the said persons are beyond their control and their acts and deeds and conducts is not favourable, therefore my clients has disowned, disinherited & debarred them from all his movable and immovable properties, hence forth anybody dealing with the above said persons may do so at his/ her own risk and consequences and my above said shall not be held liable and responsible in any manner for any of their acts, deeds and conducts and things done by afore said persons. **Madan Gopal Vacher, Advocate**
Ch. 234, Civil Wing, Tis Hazari Court, ND

PUBLIC NOTICE

Be it known to the general public at large on behalf of my clients Sh. Sandeep Jain S/o Late Sh. Deputy Kumar Jain and Smt. Archana Jain w/o Sh. Sandeep Jain, both R/o. 48/52, First Floor, Punjabi Bagh West, New Delhi-110026 that my aforesaid clients have disowned and disinherited their son Shri Prateek Jain and Daughter-in-law Smt. Shubra Jain and Grand Daughter Kanisha Jain from their all moveable and immovable properties. In case anybody deal with them, he/ she/they shall do the same at his/her/ their own risks, costs and consequences and my above named clients shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

Sd/-
VARUN MITTAL (Advocate)
Ch. No. 328, Rohini Court, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **SALEEMUDDIN** S/O **ABDUL HAMID** residing at **199, KULANJAN, TEHSIL, SARDHANA, MEERUT, UTTAR PRADESH- 250221.** Declare that name of mine has been wrongly written as SALIMUDDIN in my PASSPORT NO-G085045. The actual name of mine is SALEEMUDDIN respectively which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in the connection

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Sri Niwas Mahalwal S/o Late Sh. Raj Singh, R/o H.No.-138, Madangir Village, Behind Old Police Chowki, South Delhi, Delhi-62, has disowned his elder son namely Mohit Mahalwal from his all movable-immovable properties and sever relationship due to his hostile behavior. My client will not be responsible for his any act and anybody dealing with him shall do at his own cost, risk.

Sd/- **SAAJAN RATHI AND ASSOCIATES LLP**
ADVOCATE & SOLICITORS
Chamber no.- 533, Lawyers Block, Saket Court Complex,
Saket, New Delhi-110017

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
McGraw-Hill writer
RAMESH SINGH'S
GS ECONOMY
Basics+Current
updated with the latest
Survey 2019-20 and Budget 2020-21
New batch: Mar. 02-Apr. 20 (2.30-4.45pm)
46/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60
www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

पायल तड़वी मामले में आरोपियों की अपील पर फैसला आज

मुंबई, 20 फरवरी (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल छात्रा पायल तड़वी को खुदकुशी के लिए उकसाने की आरोपी तीन वरिष्ठ महिला डॉक्टरों की अपील पर वह शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। इन आरोपी डॉक्टरों ने सरकारी बीवाईएल नायर अस्पताल से अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने की इजाजत मांगी है।

पिछले साल अगस्त में, तीन डॉक्टरों.... हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें बीवाईएल नायर अस्पताल में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया था, जहां तड़वी ने अपने छात्रावास के कमरे में खुदकुशी की थी।

अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के खत्म होने तक तीनों आरोपियों के मेडिकल लाइसेंस भी निलंबित कर दिए थे। तीन आरोपियों के वकील ए पोंडा ने न्यायमूर्ति साधना जाधव की एकल पीठ से गुरुवार को कहा कि तीनों डॉक्टरों को स्त्रीरोग-विज्ञान में स्नातकोत्तर का अंतिम वर्ष पूरा करना है, इसलिए उन्हें अस्पताल में प्रवेश की जरूरत है।

विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने उनकी अपील का विरोध करते हुए कहा कि मामले के कई गवाह अब भी अस्पताल में काम कर रहे हैं। पोंडा ने कहा कि अदालत अस्पताल को, तीन डॉक्टरों को अस्पताल के स्त्रीरोग–विज्ञान विभाग की दूसरी इकाई में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकती है ताकि वे गवाहों से बात नहीं कर सकें। न्यायमूर्ति जाधव ने कहा कि चूंकि अदालत को मामले की गंभीरता का पता है, तो किसी की भी शिक्षा को रोकना सही नहीं होगा।

महाराष्ट्रः सड़क हादसे में छह लोगों की मौत

चंद्रपुर, 20 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बुधवार देर रात एक एसयूवी खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा देर रात करीब डेढ़ बजे चंद्रपुर–मुल रोड़ पर हुआ। एक एसयूवी खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई। उन्होंने बताया कि एसयूवी में सवार छह लोगों की मौत हो गई।

www.readwhere.com

हुनर हाट में तो हो गई लिट्टी–चोखे की ठाठ

मीना
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

जबसे मोदी जी हमारे स्टॉल से लिट्टी–चोखा खाकर गए हैं तबसे ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। मेरी बिक्री भी 18 से 19 हजार रुपए बढ़ गई है। अब वो लोग भी लिट्टी चोखा खाने आ रहे हैं जो कभी नहीं खाते थे। पूरे हुनर हाट में सबसे ज्यादा भीड़ बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा के स्टॉल पर लगी है। कोई सौ तो कोई पांच सौ का नोट लिए खड़ा है। गुरुवार को हुनर हाट में बिहार के व्यंजन लिट्टी चोखा के स्टॉल पर रंजन राज और उनके सहायक परेशान दिख रहे थे क्योंकि लिट्टी खत्म होने वाली है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्टॉल पर आए थे और लिट्टी खाते हुए अपनी फोटो ट्वीट की थी। उसके बाद गुरुवार को अचानक से उनके स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ बहुत बढ़ गई।

रंजन बताते हैं कि कुछ लोग लिट्टी इसलिए भी खाने आ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि मोदी जी जो खाते हैं अच्छा ही खाते हैं। स्टॉल पर लगी भीड़ को देखते हुए रंजन कहते हैं कि मुझे डर है कि आज जितनी मांग है उतनी में पूरी भी नहीं कर पाऊंगा। रंजन ने बताया कि मोदी जी ने हमारे यहां से एक लिट्टी खाई और 500 का नोट दिया। मेरी प्लेट 70 रुपए की होती है, इसलिए मैंने 35 रुपए काटे और बाकी रुपए मोदी जी को वापस कर दिए। मोदी जी ने लिट्टी चोखा कैसे बनता है इसके बारे में भी पूछा।

रंजन कहते हैं कि मोदी जी के लिट्टी खाने से इस व्यंजन को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है और उनसे मिलने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने भी गुरुवार को हुनर हाट में शिरकत की।

गुजरात के वडोदरा की शाहीना गांधी स्टोन से चित्रकारी करने में माहिर हैं। वे प्रधानमंत्री से मिलने के बाद की खुशी जाहिर करते हुए कहती हैं कि कलाकर के लिए प्रोत्साहन बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने कल बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत के इस नक्शे में सबसे पहले गुजरात और गांधी को देखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि वो हमारे गुजराती भाई हैं और हमको नहीं भूले हैं। शाहीना बताती है कि मुझे कल से तीन ऑर्डर मिल गए हैं और रेप्लीका बनाने का भी ऑर्डर मिला है। मोदी जी के आने के बाद मेरी बिक्री 100 फीसद बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री ने हुनर हाट में इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए अपना एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया था। उसी स्टॉल को चलाने वाले सिद्दीक लोहार कहते हैं कि मोदी साहब ने हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया और हमारी बहुत तारीफ की। सिद्दीक बताते हैं कि पहले मेरी 10 हजार की बिक्री होती थी लेकिन मोदी जी के आने के बाद 30 हजार की बिक्री बढ़ गई है और 50 हजार का ऑर्डर मिल गया है।

मोहम्मद सलीम के साथ बुधवार को प्रधानमंत्री ने तोप के साथ फोटो खिंचवाया था। वे बताते हैं कि वे सहारनपुर से आए हैं और जबसे मोदी जी हमारे स्टॉल से गए हैं तब से ग्राहक पहले से ज्यादा आ रहे हैं। लगभग 50 फीसद से ज्यादा बिक्री बढ़ गई है। वे कहते हैं कि हमने उन्हें तोहफा देने को भी कहा था पर उन्होंने मना कर दिया।

हुनर हाट में पहुंचे उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू।
फोटो : अरुण चोपड़ा

जनता की समस्याएं सुनने के लिए दिल्ली सरकार लगाए जनता दरबार : भाजपा

नई दिल्ली। दिल्ली में आप की सरकार को जनता की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार की शुरुआत करनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर यह सलाह दी है। उन्होंने कहा कि निगम भी दिल्ली का हिस्सा है और सरकार को चाहिए कि वह निगमों को रुका हुआ पैसा जारी करे ताकि विकास कार्यों में और तेजी लाई जा सके। विजय गोयल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जनता दरबार फिर से शुरू करें ताकि लोग आसानी तक उन तक पहुंच सकें। पहले भी सरकार ने यह पहल शुरू की थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा है कि वे केंद्र सरकार के सहयोग से काम करेंगी। (जसं)

IDBI BANK मेगा ई–नीलामी सूचना
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, प्रथम तल, [illegible] टॉवर, ई-1, झंडेवालान [illegible], नई दिल्ली- 110055 फोन: 011-66083056, 011-66083055, 011-66084896

शुद्धिपत्र

यह संशोधन सूचना जनसत्ता अखबार में दिनांक 19.02.2020 को पेज नं. 16 में प्रकाशित मेगा ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में है। इस सूचना में क्रम सं. 8 के आगे **मांग सूचना की तिथि और बकाया देय राशि** वाले तृतीय कॉलम में उधारकर्ता मैसर्स बिन्दल एण्ड बिन्दल प्राइवेट लिमिटेड **की बकाया देय राशि रू. 13,45,13,927/–** के स्थान पर बकाया देय राशि **रू. 10,35,38,517/–** पढ़ा जाये। इस सूचना के सभी अन्य विवरण अपरिवर्तित ही रहेंगे।

तिथि: 20.02.2020
स्थान: दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी,
आई.डी.बी.आई बैंक

प्रदूषण से लड़ेगी दिल्ली, हर साल लगेंगे 40 लाख पौधे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

बीते कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण स्तर में 25 फीसद की कमी की थी। – गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री

हरित दिल्ली को और अधिक हराभरा बनाने का खाका तैयार हो गया है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए एक साल के अंदर 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपा जाएगा। अब तक दिल्ली सरकार हर वर्ष 25 लाख पौधे लगाती थी। इसके लिए 27 फरवरी को दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन होगा।

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर पर्यावरण को लेकर लगातार चिंता हो रही है। बीते कार्यकाल में भी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण स्तर में 25 फीसद कमी की थी। अबकी बार इसे 10 गारंटी कार्ड में भी शामिल किया और एक तिहाई प्रदूषण कम करने का लक्ष्य सरकार पांच साल के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि बीते सालों में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण के लिए जो कार्य किए हैं। उस वजह से लगातार प्रदूषण के स्तर में कमी आई है।

उन्होंने बताया कि प्रदूषण को एक तिहाई करना है तो इसे एक जनांदोलन बनाना होगा। इस कार्य में सरकारी एंजसियों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया जाएगा कि एक संयुक्त टीम का गठन करें ताकि इस दिशा में तेजी से काम किया जा सके। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्थित रियल टाइम डाटा केंद्र में जाएंगे। इसी प्रकार यमुना नदी के प्रदूषण के लिए भी 22 फरवरी को एक बैठक होगी। इसी प्रकार प्रदूषण से लड़ने के लिए अन्य राज्यों के साथ भी एक बैठक 28 फरवरी को की जाएगी।

अनुसूची 1
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]
एनआईआईटी युवा ज्योति लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एनआईआईटी युवा ज्योति लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	25.5.2011
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U80904DL2011PTC219784
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय–8, बालाजी इस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 कॉर्पोरेट कार्यालयः ए–24, सेक्टर–34, इन्फोसिटी, गुड़गाँव 122001
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का दिवाला आरंभ होने की तिथि	19.2.2020
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	सीए. नीलम मोदी IBBI पंजी. सं.: IBBI/1PA-001/1P-P-01700/2019-2020/12632 पंजीकृत पताः टेलमेट शॉपी स्ट्रीट बख्तावर माल जी का बाग, शनीचर जी का थान, चोपासिनी रोड, जोधपुर (राज.) 342001 nyjl.liquidation@gmail.com फोन नं. 0124–4923321
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	20.3.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है **एनआईआईटी युवा ज्योति लिमिटेड** ने 19 फरवरी, 2020 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।
एतद्द्वारा **एनआईआईटी युवा ज्योति लिमिटेड** के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 20 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./–
तिथिः 21 फरवरी, 2020 — नीलम मोदी (परिसमापक)
स्थानः जोधपुर — IBBI/1PA-001/1P-P-01700/2019-2020/12632

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड विदित)
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वॉ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारीः श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91–9999776185
IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट–IV–ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की दीपक मुंजाल, संजना मुंजाल, आलोक मुंजाल, नीलम मुंजाल, न्यू लाइट रबड़ इडस्ट्रीज, स्व. श्री बलवंत राय मुंजाल (मृतक द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों श्रीमती शकुन्तला मुंजाल, दीपक मुंजाल, आलोक मुंजाल) ऋणधारकों/ सह ऋणधारकों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के बकाये 17.3.2017 को आईएनआर 54427480.65/– की वसूली के लिये 10.3.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य आईएनआर 60500000 (रुपए छह करोड़ पांच लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 60,50,000/– (साठ लाख पचास हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. एफ–90/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली का सभी भाग तथा हिस्सा।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।
डिस्क्लेमरः कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।
तिथिः 20.2.2020
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित)

अब ड्रोन बताएंगे बिजली की गड़बड़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनी बीएसईएस अपने पूरे नेटवर्क पर ड्रोन की मदद से नजर रखेगी। कंपनी ने दावा किया है कि अब सभी प्रकार की संभावित गड़बड़ी समय से पहले ही दुरुस्त कर ली जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की कटौती से परेशानी ना हो। इसके लिए कंपनी ने ड्रोन से बिजली नेटवर्क पर नजर रखने का निर्णय लिया है। ड्रोन ट्रांसफार्मर और बजली लाइनों में संभावित गड़बड़ी का पता लगाएंगे। अत्याधुनिक इंफ्रारेड थर्मो स्कैनिंग तकनीक और हाई रेजोलूशन कैमरों से लैस ये ड्रोन बीएसईएस के ट्रांसफार्मरों, फीडरों, ग्रिड स्टेशनों, केबलों, कैपेसिटर्स में होने वाले छोटे–छोटे बदलावों पर भी आसमान से नजर रखेंगे। ये स्पेशल ड्रोन इस बात का पता लगाने में सक्षम होंगे कि बिजली नेटवर्क का कौन सा उपकरण ज्यादा गर्म हो रहा है और किस उपकरण के रंग या आकार में बदलाव हो रहा है। इसका पता लगते ही ड्रोन संभावित गड़बड़ी वाले उपकरण की फोटो खीचेंगे और उसे बीएसईएस के नियंत्रण कक्ष में भेज देंगे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
कनॉट प्लेस शाखा, 14/15–एफ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
ई–मेलः dgmconnaughtplace@unionbankofindia.com
टेली.:23312899 (डायरेक्ट), 23354684, 23310119, 23314777

शुद्धिपत्र

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि फाइनांसियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता समाचार पत्रों में 14.08.2019 को प्रकाशित सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना में लॉट नं. 2 में मुद्रित सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार पढ़ें:
ग्राम बसेल्वा, फरीदाबाद में स्थित एसआरएस रिट्रीट सर्विसेस लि. के स्वामित्तव में भूमि माप 11 कनाल 10 मरला, रेक्ट नं. 57, किल्ला नं. 3/2 (4–7) की जगह उसे एसआरएस रिट्रीट सर्विसेस लि. के नाम में ग्राम बसेल्वा, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित व्यावसायिक भूमि, माप 11 कनला 10 मरला, खेवत नं. 84/99, रेक्ट नं. 46, किल्ला नं. 24 (3–10), रेक्ट नं. 57 किल्ला नं. 4 (8–0) में पढ़ें।
तिथिः 20.02.2020
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
कनॉट प्लेस शाखा

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
IRCTC
विज्ञापन संख्या 23/2020
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
इंडियन रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम लिमिटेड
में
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
23 अप्रैल, 2020 (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉगइन करें

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017, भारत
फोन नं.: +91–11–29565666 फैक्सः +91–11–26854000, वेबसाइटः www.ircon.org
ई–मेलः investors@ircon.org, सीआईएनः L45203DL1976GOI008171

डाक मतपत्र संबंधी सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी सांविधिक संशोधन (नों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों को शामिल करते हुए कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में, डाक मतपत्र संबंधी सूचना ("सूचना") तथा डाक मतपत्र फॉर्म दिनांक 19 फरवरी, 2020 को कंपनी के शेयरधारकों को ई–वोटिंग सहित डाक मतपत्र के माध्यम से इस सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसायों पर उनकी सहमति/असहमति प्राप्त करने के लिए उनके पंजीकृत पते/ई–मेल पते पर प्रेषित किये जा चुके हैं। सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.ircon.org** पर खंड इंवेस्टर्स के अंतर्गत तथा केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध है।
सदस्यों को एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना केवल उन सदस्यों को प्रेषित की गई है, जिनके नाम **शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 अर्थात ''अंतिम तिथि''** के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त किए गए अनुसार सदस्यों के रजिस्ट्रर/लाभकारी स्वामियों की सूची में दर्शाए गए हैं। **शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020** के अनुसार सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर मतदान के अधिकारों को शामिल किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अंतिम तिथि को कंपनी के सदस्य के रूप में नहीं है, इस सूचना को केवल जानकारी के प्रयोजनार्थ समझें।
कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवा सुविधा के माध्यम से डाक मतपत्र सूचना पर सूचीबद्ध मदों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।
अतः सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:
1. सदस्य मतदान की केवल एक विधि अर्थात्त भौतिक मतपत्र अथवा ई–वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। यदि सदस्य दोनों विधियों के माध्यम से अपना मतदान करते हैं तो ई–वोटिंग द्वारा किया गया मतदान मान्य होगा तथा भौतिक डाक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा।
2. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **शनिवार, 22 फरवरी, 2020 को 9:00 बजे (भा.मा.स.)** से आरंभ होगी और **रविवार, 22 मार्च, 2020 को 17:00 बजे (भा.मा.स.)** समाप्त होगी।
3. श्री सचिन अग्रवाल, व्यावसायिक कंपनी सचिव (सदस्यता सं. FCS 5774 & CP No. 5910), मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के साझेदार को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विधि अनुसार ई–वोटिंग/डाक मतपत्र के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
4. डाक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ/ शिकायत के लिए, सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड से **einward.ris@kfintech.com** पर संपर्क कर सकते हैं।
यदि कोई सदस्य मुद्रित या डुप्लीकेट डाक मतपत्र प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह **einward.ris@kfintech.com/investors@ircon.org** को ई–मेल भेज सकता है। कंपनी/आरटीए इसे पोस्टेज प्रीपेड स्व–पता लिखे व्यावसायिक उत्तर लिफाफा के साथ सदस्य को अग्रसरित करेगा।
सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करते समय, डाक मतपत्र फॉर्म में मुद्रित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और फॉर्म को विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करके संलग्न स्व–पता लिखे व्यावसायिक उत्तर लिफाफे में रखकर संवीक्षक को वापस लौटा दें, ताकि यह कार्यावधि की समाप्ति अर्थात **रविवार, 22 मार्च, 2020 को 17:00 बजे (भा.मा.स.)** से पहले संवीक्षक, श्री सचिन अग्रवाल द्वारा केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड, टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाचिबोवली फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 के पास पहुंच जाए। डाक खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, डाक मतपत्र रखे लिफाफे, यदि सदस्य के खर्च पर कूरियर या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गये हैं, भी स्वीकार किए जाएंगे। यदि कोई डाक मतपत्र **रविवार, 22 मार्च, 2020 को 17:00 बजे (भा.मा.स.)** के बाद प्राप्त होता है, तो यह माना जाएगा कि सदस्य से कोई उत्तर नहीं मिला है।
डाक मतपत्र द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा **मंगलवार, 24 मार्च, 2020** को पंजीकृत कार्यालय में की जाएगी तथा संवीक्षक की रिपोर्ट एवं उक्त परिणाम स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बीएसई को सूचित करने अलावा, कंपनी की वेबसाइट **www.ircon.org** पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.02.2020

प्रारुप संख्या आईएनसी–25 अ
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41
के मामले में
और
कैलपर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
(CIN:U27109DL2003PLC122034)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **20, अंसारी रोड़, दरिया गंज, दिल्ली–110002** में स्थित है, के मामले में,
.......आवेदक
आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक **30 जनवरी 2020** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।
कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए, आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित/ विपक्ष के आधार हो, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर **20, अंसारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली–110002** में भी भेज दें।
कृते **कैलपर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड**
श्रवण कामेश्वरलाल गुप्ता
(निदेशक)
DIN:00562910
तिथि : 21.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

Bank of Baroda (A Govt. of India Undertaking) बैंक ऑफ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)
मेगा ई–नीलामी बिक्री सूचना
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, एलजीएफ, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110 001

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद अधिनियम वर्णित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल/चल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्तियों जिसका अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की लागू होने वाले ब्याज, लागत, चार्जेज आदि के साथ बैंक के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार मेगा ई–नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली (यहाँ के बाद नियमावली के रूप में वर्णित) के नियम 9 के अंतर्गत ''जैसा है जहाँ है जो कुछ भी वहाँ है तथा उपचार–रहित आधार'' पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों की बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	शाखा	कर्जदार तथा जमानतियों के नाम	सम्पत्ति तथा स्वामित्व का विवरण	धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	खाता सं. तथा आईएफएससी कोड	ई–नीलामी की तिथि/समय	अधिकृत प्राधिकारी तथा सम्पर्क नं.
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स तमन्ना क्रियेएशन्स प्रोपराइटर–श्रीमती तमन्ना बत्रा (पत्नी श्री गुलशन कुमार बत्रा) स्वामी : श्रीमती सन्तोष बत्रा	बी–192/डब्ल्यूजेड–318, भूतल, शिवाजी विहार, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग	16/04/2018 रु. 34.03 लाख एवं 31.03.2018 से प्रभावी ब्याज, व्यय तथा उस पर अन्य प्रभार	रु. 26,00,000 रु. 2,60,000 रु. 5,000	06860400000353BA RB0PUSARO(5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' पढ़ा जाए)	11.03.2020 से11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. तक	श्री गौतम कुमार मो.– 8929031261 011–23312308
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स वीवा एन्टरप्राइजेज श्री हरदीप शाह सिंह पुत्र श्री राजिन्दर शाह सिंह	प्लॉट खेवट/खाता सं. 238/432, खसरा नं. 92/3/2(4–5), 5/1 Min(2–6), 8/1(2–18), 8/2(2–18), 8/3(2–4), 13/1(6–4) कितय 6, कुल भूमि माप (20–15) जिसमें से (0–6) मरला दाऊँ कलां, गुलमोहर रेजिडेंसी, पटियाला, पंजाब पर स्थित है।	01 .03.2018 रु. 10,35,301.31 /– एवं अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभार	रु. 3,00,000 रु. 30,000 रु. 1,000	06860400000353BA RB0PUSARO(5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' पढ़ा जाए)	11.03.2020 से11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. तक	श्री गौतम कुमार मो.– 8929031261 011–23312308
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स परी एन्टरप्राइजेज मणिपाल अग्रवाल तथा भारत भूषण (कर्जदार एवं बंधककर्ता) मणिपाल अग्रवाल एवं भारत भूषण के नाम पर	दुकान सं. 309, दूसरी मंजिल, मोती प्लाजा, वार्ड सं. 2 (पुराना वार्ड सं. 6), सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, क्षेत्रफल लगभग 162 वर्ग फीट	18.04.2018 रु. 16.70 लाख एवं अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभार	रु. 4,02,000 रु. 40,000 रु. 1,000	06860400000353BA RB0PUSARO(5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' पढ़ा जाए)	11.03.2020 से11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. तक	श्री गौतम कुमार मो.– 8929031261 011–23312308
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स एस.एस.एस.एस. मार्केटिंग प्रा.लि. मैसर्स एस.एस.एस.एस. मार्केटिंग प्रा.लि. के नाम पर	दुकान सं. 310, दूसरी मंजिल, मोती प्लाजा, वार्ड सं. 2 (पुराना वार्ड सं. 6), सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, क्षेत्रफल लगभग 162 वर्ग फीट	18.04.2018 रु. 38.50 लाख एवं अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभार	रु. 4,02,000 रु. 40,000 रु. 1,000	06860400000353BA RB0PUSARO(5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' पढ़ा जाए)	11.03.2020 से11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. तक	श्री गौतम कुमार मो.– 8929031261 011–23312308

टिप्पणीः आरक्षित मूल्य के बराबर तथा उससे कम में कोई बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 09.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक।
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 24.02.2020 से 07.03.2020, 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक

यह बिक्री नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
1. यह ई–नीलामी ''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा उपचार–रहित आधार'' पर आयोजित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति के प्रति अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक क्रेता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी अधिभारों, टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/ बकायों के विषय में स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लें। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतक नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. नीलामी–सह–बिक्री का आयोजन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी https://bob.auctiontiger.net पद्धति द्वारा होगी।
4. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसंपत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित संपत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।
6. प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेंट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेंटल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
7. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण ऊपर तालिका में दिया गया है जिसमें तालिका में कॉलम नं. 8 में आईएफएससी कोड का 5वाँ कैरेक्टर 0 ''शून्य '' है में 09.03.2020 के 5 बजे अप. या पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट (दिल्ली में भुगतान योग्य) द्वारा किया जाएगा।
8. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/ फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर 09.03.2020 को या उससे पूर्व निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें:
(क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण, (ख) विधिवत भरी गई बोली प्रपत्र, (ग) भारत सरकार द्वारा जारी इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। (घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपना लागिन आईडी तथा पास्वर्ड बना सकते हैं। यदि लागिन आईडी, पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मै. ई–प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि., बी–704–5, वाल स्ट्रीट–II, ऑरिएन्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा–06351896834, ई–मेलः Delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net नितिशि झा–7982880393, हेल्प लाइन नं.: 079–61200595/520/548, हेल्पलाइन ई–मेल आईडी support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑन लाइन वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपलोडिंग तथा सम्पत्ति से संबंधित किसी पूछताछ के लिये आप संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं जिनके सम्पर्क का पता ऊपर दिया गया है किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस/ डीडी द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
10. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
11. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य (पूर्व प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
13. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
14. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
15. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाए का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
16. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
17. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत संपत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, संपत्ति कर के बकाए, बिजली के बकाए आदि सहित संपत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
18. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
19. बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है।
बोलीदाता स्वयं के हित में अंतिम मिनट तथा सैकेंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरोपैरैबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई–प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालक होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक–3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई–नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगेजर के लिए सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना
एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 15.01.2020
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

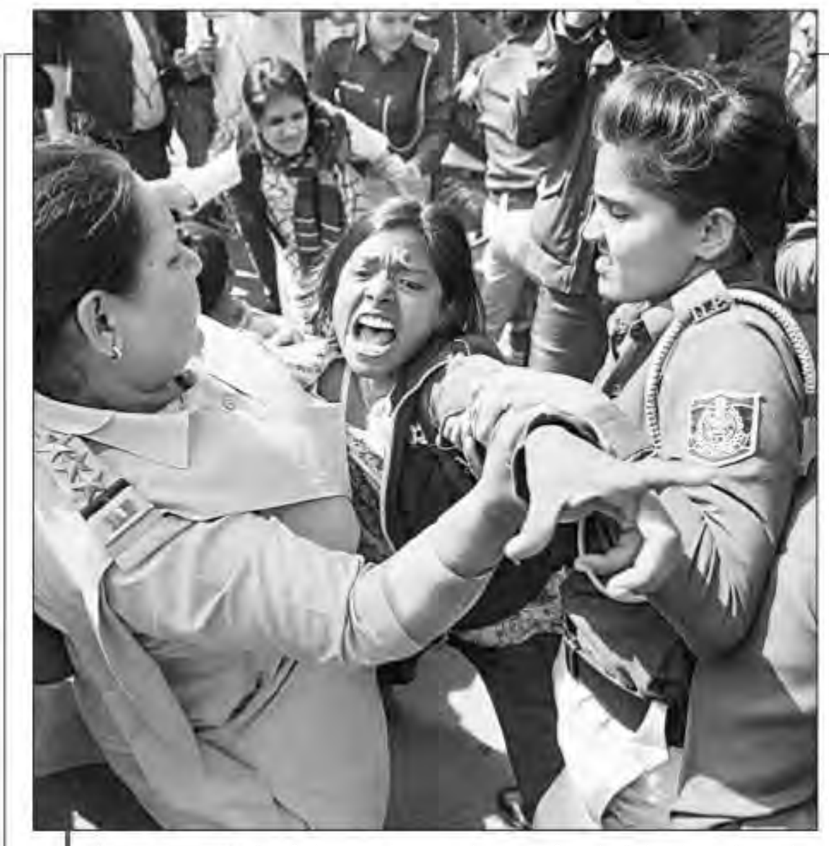

विरोध दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर सीएए के विरोध में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेते हुए।

जामिया मामले में छात्रों से तीन घंटे तक पूछताछ, विद्यार्थी बोले

बिना वजह पुलिस ने किया लाठीचार्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

दिल्ली पुलिस की अपराध शखा की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने गुरुवार को जामिया के 10 छात्रों से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। टीम ने जांच में शामिल होने के लिए छात्रों को नोटिस देकर बुलाया। छात्रों ने पूछताछ के दौरान सफाई देते हुए कहा कि उनका जामिया में हुई हिंसा से कोई लेना-देना नहीं था। वह तो लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे थे। बिना वजह पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं, जिसमें कई छात्रों को चोटें पहुंचीं। जामिया में जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन रविवार यानी अवकाश दिवस था। ऐसे में जामिया में छात्रों की मौजूदगी पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जिन्हें ध्यान में रखते हुए

विशेष जांच टीम ने दस छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी विद्यार्थियों की पहचान

एसआइटी ने दोपहर बारह बजे से दोपहर तीन बजे तक चली पूछताछ में कई तरह के सवाल जवाब किए।

बताया जा रहा है कि दस छात्रों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया था। वह सभी हिंसा वाले दिन मौके पर मौजूद थे। उनसे पूछा कि वह हिंसा वाले दिन वहां क्यों आए थे और क्या कर रहे थे? जब पुलिस टीम पर पथराव किया गया था तो क्या वह उसमें शामिल

थे? इसके अलावा पुलिस ने उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडिया क्लिप भी दिखाए गए। छात्रों से टीम जानना चाह रही थी कि फुटेज और वीडियो में नजर आ रहे लोगों को क्या वे जानते हैं? क्या वे जामिया के छात्र हैं या फिर बाहरी-पूर्व छात्र हैं। छात्रों ने कुछ सवालों को छोड़कर अधिकांश सवालों के जवाब दिए हैं। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कहा कि उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

खबरों में शहर

उन्नाव : पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फैसला 29 फरवरी को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता के पिता की कथित हत्या के मामले में अदालत 29 फरवरी को फैसला सुनाएगी। उन्नाव मामले में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया था। बलात्कार पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई कक्ष में हुई और मामले की जानकारी रखने वाले एक वकील ने यह जानकारी दी। अदालत ने बलात्कार पीड़ित के चाचा, मां, बहन और उसके पिता के एक सहयोगी के बयान दर्ज किए जिन्होंने इस घटना में चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा दी है।

कोहरे का कहर : 40 दिन तक रद्द रहेंगी रेलगाड़ियां

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

कोहरे के कारण निरस्त रेलगाड़ियां अभी और 40 दिन तक रद्द रहेंगी। उत्तर रेलवे से जारी बयान के मुताबिक यह गाड़ियां अगले महीने 31 मार्च तक निरस्त रहेंगी। इस दौरान कोहरे के कारण पूर्व में घोषित सभी मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जिन्हें 29 फरवरी तक निरस्त रखने या फेरों में कटौती कर चलाने की घोषणा की गई थी वे सभी अब 31 मार्च 2020 तक निरस्त रहेंगी या कम आवृत्ति पर चलेंगी।

महिला यात्रियों के लिए डीएमआरसी की लेखन प्रतियोगिता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

डीएमआरसी 21 से 27 फरवरी तक महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से एक कहानी, कविता और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। विश्व महिला दिवस के मौके पर होने वाली इस प्रतियोगिता का विषय है दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए प्रथम कोच आरक्षण का मेरा अनुभव। प्रतिबंधित समय सीमा के साथ ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सामान्य जागरूकता पर आधारित होगी। ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए लिंक दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट (डब्लूडब्लूडब्लू देहली मेट्रोरेलडॉटकाम) के होम पेज पर 21 से 27 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। दिल्ली मेट्रो की सभी महिला यात्री वेबसाइट के माध्यम से इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं और वेबसाइट पर फॉर्म भरकर अपनी कहानी या कविता अंग्रेजी या हिंदी में प्रस्तुत कर सकती हैं। कहानी या कविता के लिए शब्द सीमा 100 से 150 शब्द है। डीएमआरसी की ओर से जारी बयान मे कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल के यात्रियों का एक बड़ा फीसद महिलाओं में का है जो मेट्रो प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

झपटमार गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

स्वरूप नगर थाना पुलिस ने कई मामलों में वांछित चल रहे एक झपटमार को गिरफ्तार किया है। झपटमार की पहचान अंकित (21) के तौर पर हुई है। अंकित पर चोरी और झपटमारी के 14 मामले दर्ज हैं। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का फोन और वह मोटरसाइकिल जब्त कर ली है, जिसकी मदद से आरोपी वारदात को अंजाम दिया करता था।

पैसों के लेन-देन में की थी हत्या, पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक शख्स की ईंट से वार कर और गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स का शव मदनपुर डबास के खेतों में मिला था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान दिलशाद (27) के तौर पर हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने रुपए की लेनदेन में हत्या की थी। आरोपी ने वारदात वाले दिन राजेश कुमार गुप्ता को फोन कर बुलाया था, जिसके बाद उसकी ईंट से वार कर हत्या कर दी और शव को खेतों में फेंक कर फरार हो गया।

रोहिणी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि बीती 17 फरवरी को जूली नामक एक महिला ने कंझावला थाना पुलिस से शिकायत की थी कि उनके पति 16 फरवरी से लापता है। पुलिस शिकायत लेकर आगे की कार्रवाई कर रही थी। इसी बीच 18 फरवरी को कंझावला थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स का शव खेतों में पड़ा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया। जूली को पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने शव की पहचान राजेश कुमार गुप्ता के तौर पर की। इसके बाद प्रेम नगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी बीच टीम को सूचना मिली कि इस हत्या के पीछे दिलशाद नामक शख्स का हाथ हो सकता है। कमिटी के रुपए को लेकर दोनों में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस टीम ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिलशाद ने बताया कि उसने अपने गांव अलीगढ़ के रहने वाले एक जानकार का मोबाइल नंबर से राजेश को फोन कर बुलाया और जहां पर उसने शराब पी और बाद में दिलशाद ने सलीम के साथ मिल कर पहले ईंटो से वार किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को फेंक कर फरार हो गए।

सनलाइट कॉलोनी के घोषित बदमाश की हत्या, जांच जारी

सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी गुरुवार शाम करीब चार बजे पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि पीसीआर कर्मी घायल हालत में युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे है। घटनास्थल पर पुलिस को खून के धब्बे मिले। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान राकेश (29) के तौर हुई है। राकेश इलाके में सिद्धार्थ बस्ती में रहता था। उसके खिलाफ चोरी और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। राकेश सनलाइट कॉलोनी को घोषित बदमाश था। फिलहाल पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

पार्क में लगाई फांसी

गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक पार्क में पेड़ से लटक कर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। शख्स की पहचान इलाके के रहने वाले सुभाष के तौर पर हुई है। पुलिस ने सुभाष के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा था कि वह अपनी मर्जी से खुदकशी कर रहा है, उसकी मौत के बाद परिवार को परेशान न किया जाए। वह कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक सुभाष मुल्तानी मोहल्ला, गीता कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे।

फेसबुक पर साझा की थी मुख्यमंत्री योगी की अशोभनीय फोटो, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 20 फरवरी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अशोभनीय फोटो फेसबुक पर साझा कर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक को थाना जेवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से वह मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिससे उसने फोटो फेसबुक पर अपलोड की थी। इस मामले में स्थानीय भाजपा नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी।

थाना जेवर क्षेत्र में रहने वाले चांद कुरैशी पर मुख्यमंत्री की अशोभनीय फोटो फेसबुक पर साझा कर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इसकी जानकारी होने पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया ता। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई। डीसीपी ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी चांद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बोरे और कंबल में बंधा मिला महिला का शव

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 20 फरवरी।

थाना दनकौर क्षेत्र में मुर्शदपुर गांव के पास गुरुवार शाम यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा मिला। इसका पता चलने पर हड़कंप मच गया। शव प्लास्टिक के बोरे और कंबल में बंधा हुआ था।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान नहीं हो सकी है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर गांव मुर्शदपुर के पास झाड़ियों से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की उम्र 45-50 वर्ष के आसपास है। पुलिस ने महिला की हत्या कर शव यहां लाकर फेंकने की आशंका जताई है। जिससे आसानी से पहचान ना हो सके। माना जा रहा है कि शव दो-तीन दिन पुराना हो सकता है।

'मरीजों की जांच को बनाया जाएगा सुविधाजनक'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

दिल्ली के डायग्नोस्टिक लैब में भी अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन ने गुरुवार को मोहल्ला क्लीनिक संचालन समिति की बैठक में इस बाबत आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को दिल्ली में तेजी से नए मोहल्ला क्लीनिक खोलने के भी आदेश दिए हैं। इससे मरीजों की जांच को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

सतेंद्र जैन ने कहा कि अब दिल्ली सरकार मैनुअल रिपोर्ट की बजाय परीक्षण रेफरल रिपोर्ट को डिजिटल करने पर काम कर रही है। यह सुविधा डायग्नोस्टिक लैब के लिए है। पर्चे और रिपोर्ट का डिजिटलीकरण केंद्रों के कामकाज को सुचारू बनाएगा। सतेंद्र जैन पीडब्लूडी विभाग के भी मंत्री हैं। इस कारण उन्होंने डायग्नोस्टिक लैब के अंदर कैमरे स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो नजर रख सकें।

राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में जो मुफ्त दवाओं और परीक्षणों का विस्तार हो रहा है, उसकी निगरानी प्रणालियों को भी नियमित रूप से विकास की आवश्यकता को सुनिश्चित करने पर भी बैठक में बात हुई।

मोहल्ला क्लीनिक आम आदमी पार्टी सरकार की महत्त्वकांक्षी स्वास्थ्य सेवा योजना है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी अर्जित है। बैठक में मंत्री ने परियोजनाओं की रिपोर्ट ली और चल रहे काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इस समय दिल्ली में 450 से अधिक मोहल्ला काम कर रहे हैं। अब आप सरकार इस योजना के विस्तार के कार्य में जुट गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दवाओं की उपलब्धता की कड़ाई और नियमित निगरानी करने के लिए कहा है।

बिना यात्रा रद्द किए वंदे भारत एक्सप्रेस का एक साल पूरा

- भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाइस्पीड ट्रेन है
- 17 फरवरी, 2019 से शुरू हुई थी इस ट्रेन की वाणिज्यिक सेवा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी किसी भी यात्रा को रद्द किए बिना सेवा का एक वर्ष पूरा किया। वंदे भारत एक्सप्रेस, जो टी-18 नाम से भी जानी जाती है, का प्रधानमंत्री ने पिछले साल फरवरी में उद्घाटन किया था। उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल इस रेलगाड़ी के रखरखाव की जिम्मेदारी निभा रहा है। नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई इस रेलगाड़ी ने अपनी वाणिज्यिक सेवा 17 फरवरी, 2019 को शुरू की थी।

टी-18 नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बाद में आधिकारिक तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में नामांकित किया गया। इस रेलगाड़ी के रैक का निर्माण, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई की ओर से अक्तूबर 2018 में किया गया था। यह रेलगाड़ी अनेक तकनीकी खूबियों और आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है।

यह 16 कोच वाली चेयर कार गाड़ी है जिसमें स्टेनलेस स्टील की कार बॉडी है। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इस गाड़ी का परीक्षण रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे है।

अधिकतम एक्सल लोड-17टी है। यह गाड़ी चलने के तुरंत बाद तेजी से रफ्तार पकड़ने में और उतनी की तेजी से रफ्तार नियंत्रित करने में सक्षम है। यानी यह चलने के बाद तेजी से रफ्तार पकड़ने के साथ ही तेजी से रोकी भी जा सकती है। ड्राइवर कैब सहित पूरी गाड़ी पूरी तरह से वातानुकूलित है। स्लाईडिंग फुट स्टैप के साथ स्वचालित दरवाजे भी हैं। ट्रेन नियंत्रण और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगे हैं। बिना किसी बाधा के इस सेवा ने चल कर बेजोड़ उपलब्धता और विश्वसनीयता के रिकॉर्ड बनाए हैं।

उगाही करने पहुंचा प्रदूषण अधिकारी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

बवाना थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में खुद को प्रदूषण इंस्पेक्टर बताकर उगाही करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम अशोक (37) है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। उत्तरी बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि बुधवार को बवाना थाना पुलिस को पीतमपुरा निवासी हरदेव ने शिकायत दी कि सेक्टर-दो, डीएसआइआइडीसी, बवाना में सुपरवाइजर का काम करते हैं। प्रदूषण अधिकारी उनके कारखाना में आया था। उसने अपना नाम सुरेंद्र पंडित बताया। शख्स ने उनको बताया कि उनके कारखाना प्रदूषण के मानदंड के बिना चल रहा है। इसके चलते भारी जुर्माना लगेगा। कुछ देर बाद शख्स ने हरदेव को मामला निपटाने के लिए कहा। इस पर उसने हरदेव से 6000 रुपए मांगे और कहा कि कारखना पर जुमार्ना नहीं लगेगा। शख्स की भूमिका संदिग्ध लगने पर उसने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी।

चिंता वायरस, बैक्टीरिया से बचाव के लिए जरूरी थ्री लेयर मास्क की चीन से होती थी आपूर्ति

कोरोना वायरस : चिकित्सकीय सामान की कीमतें कई गुणा बढ़ीं

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 20 फरवरी।

कोरोना वायरस फैलने से चीन से आने वाले उत्पादों व सामान के आयात रुक गए हैं। जिससे दिल्ली और एनसीआर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कई अहम चिकित्सा उपकरणों की कमी हो गई है।

मांग बढ़ने और कम उपलब्धता के कारण वायरस व बैक्टीरिया से बचाने वाले मास्क आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं। बुखार मापने वाले डिजिटल थर्मामीटर के दाम करीब दोगुना हो गए हैं। बच्चों का बुखार मापने के काम आने वाले इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, जांच करने वाले दस्ताने (एग्जामिनेशन ग्लब्स), ग्लूकोमीटर की कीमतों में खासा उछाला आया है। अधिकांश दवाओं के थोक विक्रेताओं के पास

चीन में महामारी के चलते भारत के थोक बाजारों में मौजूद मास्क आदि खरीदकर वहां भेजे गए

भारत में बनने वाले कटोरीनुमा एन-95 मास्क को नहीं ले रहा है चीन

इनकी लगातार कमी की वजह से बढ़ी हुई कीमतों पर बेची जा रही हैं।

दवा विक्रेताओं के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण ऐसे उपकरणों व सामान की मांग कई गुना बढ़ गई है। बैक्टीरिया व वायरस आदि से बचने के लिए जरूरी थ्री लेयर मास्क चीन से ही आते थे। अब चीन में ही इनकी इतनी अधिक मांग बढ़ गई है कि यहां नया भंडारण नहीं आ पा रहा है। दो लेयर वाला मास्क, जिसे डाक्टर या नर्स आदि मुंह पर पहनते हैं, वह वायरस या बैक्टीरिया बचाने में सफल नहीं है। इससे केवल धूल के छोटे कण आदि से बचाव किया जा सकता है। भारत में कटोरेनुमा मास्क (एन-95) बनते हैं। यह मास्क बाजारों में महंगी कीमत पर उपलब्ध हैं लेकिन इनका निर्यात नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के भागीरथ पैलेस इलाके में दवा उपकरणों के एक थोक कारोबारी ने बताया कि कुछ दिनों पहले भारत स्थित चीन की कंपनी से कर्मचारी बाजारों में उपलब्ध थ्री लेयर मास्क की उपलब्धता का सर्वे कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि वे इन मास्क को यहां से खरीदकर चीन भेजना चाहते हैं क्योंकि वहां मास्क की भारी कमी है। देश में कोरोना को लेकर अभी तक बड़ा खतरा नहीं है लेकिन चीन में इनकी कमी के चलते नया माल आ नहीं पा रहा है। वहीं, पहले से मौजूद सामान को खरीदकर चीन भेजा जा रहा है। इसी वजह से यहां मास्क समेत अन्य जांच उपकरणों की कीमत में एकाएक तेजी आ गई है। अभी तक जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में खास बदलाव नहीं हुआ है लेकिन यदि चीन से आने वाला नया स्टाक नहीं आता है, तो इनकी कीमत भी बढ़ सकती है। गौतमबुद्धनगर कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप खन्ना ने बताया कि कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा मांग मास्क और सैनेटाइजर की बढ़ी है। हालांकि सैनेटाइजर बनाने वाली काफी भारतीय कंपनियां होने के चलते इसकी कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है लेकिन थ्री लेयर मास्क की अधिकांश आपूर्ति चीन से होती थी, जो फिलहाल बंद हो चुकी है। अनूप खन्ना ने बताया कि उनका बेटा भरत हांगकांग में मैरीन इंजीनियर है। 31 दिसंबर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने पर वहां पर मास्क की एकाएक कमी हो गई थी। आलम यह था कि बगैर मास्क पहने व्यक्ति को देखकर लिफ्ट को खाली कर देते थे या फिर उसे चढ़ने नहीं देते थे।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : 'आर्ट ईस्ट 2020' का आयोजन, कमला देवी ब्लाक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, 22 फरवरी तक।

प्रदर्शन

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की ओर से सामूहिक कला प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, 29 फरवरी तक।

www.readwhere.com

अपील की समयसीमा से पहले ब्लैक वारंट जारी करने पर सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

मौत की सजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के फैसले का किया जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषियों को अदालत में अपील दाखिल करने के लिए मिली 60 दिन की समयसीमा से पहले ही सजा की तामील के लिए निचली अदालतों की ओर से ब्लैक वारंट किए जाने पर गुरुवार को प्रश्न उठाया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक फैसले का जिक्र किया। इसमें कहा गया था कि दोषी के खिलाफ मौत का वारंट 60 दिन की उस अवधि के पूरे होने से पहले जारी नहीं किया जा सकता जो दोषी को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए मिली है।

पीठ ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि इस संबंध में एक फैसला रहने के बावजूद निचली अदालतें ब्लैक वारंट जारी करने के आदेश कैसे पारित कर रही हैं। किसी को तो यह समझाना ही पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया को इस प्रकार से होने नहीं दिया जा सकता।'

पीठ ने बलात्कार और हत्या के दोषी अनिल सुरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ गुजरात की सत्र अदालत द्वारा जारी ब्लैक वारंट पर रोक लगा दी। साथ ही महान्यायवादी तुषार मेहता से इस संबंध में सहायता करने को कहा और उनसे सुप्रीम कोर्ट के अदेश के बावजूद मृत्यु वारंट जारी होने के कारणों का पता लगाने को कहा।

बिहार चुनाव : 14 पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अक्तूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे और इस दौरान 14 कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी और बिहार के विधान पार्षद डॉक्टर संजय मयूख ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पटना जाएंगे और 22 फरवरी को पार्टी के 14 जिलों में कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे। जिन जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन होना है उनमें नवगछिया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, अरवल, सासाराम, लखीसराय, दरभंगा, औरंगाबाद आदि जिले शामिल हैं। भविष्य में बिहार के हर जिले में भाजपा कार्यालय होगा। इन कार्यालयों के लिए जमीन खरीद ली गई हैं। इस कार्यक्रम के दौरान नड्डा जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियां करने के लिए उत्साहित करने का भी काम करेंगे। इस दौरान नड्डा प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और चुनाव की रणनीतियां तय करेंगे। भाजपा बिहार में जनता दल (एकी) के साथ सरकार में है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में उतरेगी।

चिन्मयानंद को जमानत के खिलाफ याचिका पर अगले हफ्ते विचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बलात्कार के एक मामले में भाजपा के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के संबंध में वह अगले हफ्ते विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्वेस ने मामले की जानकारी दी। पीठ ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करने के बारे में वह अगले हफ्ते विचार करेगी।

शीर्ष अदालत के निर्देश पर गठित उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन फरवरी को उन्हें जमानत दे दी थी। पीड़ित छात्रा के खिलाफ भी शिकायत मिली थी कि उसने और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की उगाही करने की कोशिश की थी। इसके बाद एसआइटी ने छात्रा को भी गिरफ्तार कर लिया था।

पहचान की अपील

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जिसकी **उम्र** : लगभग 35 साल, **कद** : 5'7", **रंग** : सांवला, **चेहरा** : लम्बोतरा, **शरीर** : पतला, **पहचान** : दायें पांव में जले का निशान, जिसने भूरे रंग की जैकेट, नीले रंग की कमीज और काले रंग की पैंट पहने हुए था, दिनांक 07.02.2020 को फुटपाथ पर, वर्धमान रोड, नजदीक जैन मन्दिर, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में मृत पाया गया। इस संदर्भ में डीडी सं 05-ए दिनांक 07.02.2020 थाना लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते या फोन नंबरों पर सूचित करने की कृपा करें।

थानाध्यक्ष : थाना लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली
दूरभाष सं. 011-24620283, 24611753

DP/01/SD/20

केनरा बैंक Canara Bank

पुराना राजिन्दर नगर शाखा, नई दिल्ली-110060

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक की पुराना राजिन्दर नगर शाखा में बड़ी संख्या में लॉकर-धारकों ने लॉकर खोली है तथा कई लॉकर धारक पिछले कई वर्षो से लॉकर नहीं खोल रहे हैं तथा लॉकर चार्जेज का भुगतान नहीं कर रहे हैं:

सेफ लॉकर नं.	नाम	पता	एरिअर तिथि	राशि
2751A00024	गुरजीत	निवासीः आर-0890, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली -110060	22.08.2019	16915 +जीएसटी
2751A00106	रामा स्वामी श्रीराम	निवासीः वी 13, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027	22.08.2019	15169 +जीएसटी

कुछ मामलों में ऐसी जानकारी है कि लॉकर-धारकों की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के द्वारा सभी इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि लॉकर के प्रमाणिक साक्ष्य के साथ इस सूचना के 15 दिनों के भीतर संबंधित शाखा में सम्पर्क करें, नया लॉकर अनुबंध निष्पादित करें तथा लॉकर के बकाये का भुगतान करें अथवा पास्पोर्ट, आधारकार्ड, आवास के प्रमाण आदि जैसी अपनी सामानों को हटा लें। यदि किसी भी लॉकर के संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होती है तो बैंक लॉकर को गवाहों के समक्ष तोड़कर खोलने तथा उसमें रखी वस्तुओं को हटाने के लिये बाध्य होगा।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
तथा
हामिद रीअल ईस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U45201DL2006PTC147917) जिसका पंजीकृत कार्यालय 232-बी, चौथा तल, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज-III, नई दिल्ली-110020 में है, के मामले में (आवेदक)

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को तथा श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यरत कम्पनी सचिव, वीएस एसोसिएट्स ए-52, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, दिल्ली-110092 को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ- पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से
हामिद रीअल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
बाला कृष्णा पाण्डेय
निदेशक
DIN: 07902118

तिथि: 20.2.2020
स्थान: दिल्ली
निवास: एच.नं.-61-ए, बैंक कॉलोनी, स्ट्रीट नं. 4, मंडोली, सबोली, दिल्ली-110093

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
सीपी (सीएए) सं. 1 सीएचडी/एचआरवाई/2020 में
कम्पनी अधिनियम 2013 के विषय में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के साथ पठित धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के विषय में
तथा
ब्लूजेज रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड **(अंतरणकर्ता कम्पनी 1/आवेदक कम्पनी 1)** तथा पी.जी. प्रोपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड **(अंतरणकर्ता कम्पनी 2/आवेदक कम्पनी 2)** तथा कुसुमी कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड **(अंतरिती कम्पनी /आवेदक कम्पनी 3)** तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स (इसमें आगे सभी कम्पनियां सामूहिक रूप से **"आवेदक/याचिकादाता कम्पनियां"** कही गई है)

याचिका की सुनवाई की सूचना

आवेदक कम्पनियों द्वारा ब्लूजेज रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड (इसमें आगे 'ब्लूजेज' अथवा 'अंतरणकर्ता कम्पनी 1' अथवा 'आवेदक कम्पनी 1' कही गई है) तथा पी.जी. प्रोपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड (इसमें आगे 'पीजीपी' अथवा 'अंतरणकर्ता कम्पनी 2' अथवा 'आवेदक कम्पनी 2' कही गई है) का कुसुमी कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (इसमें आगे 'कुसुमी' अथवा 'अंतरिती कम्पनी' अथवा 'आवेदक कम्पनी 3' कही गई है) और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम की मंजूरी आदेश के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक याचिका दिनांक 16-12-2019 को प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त संयुक्त याचिका की सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ('एनसीएलटी') के समक्ष 17-03-2020 को की जानी नियत है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त संयुक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, वह अपने आशय की लिखित सूचना, जो स्वयं उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, आवेदक कम्पनियों अथवा इनके अधिवक्ता को निम्नवर्णित पते पर तथा एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ, कार्पोरेट ओं भवन, सेक्टर-27, चंडीगढ़ को इस प्रकार भेज सकता है, कि याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा उसके शपथपत्र की प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी प्रति आवेदक कम्पनियों अथवा इनके अधिवक्ता द्वारा उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

तिथि : 21-02-2020

आवेदक कम्पनियां :
श्री रामवीर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी,
सी/ओ कुसुमी कार्पोरेशन प्रा. लि.,
तृतीय तल, सेन्ट्रल प्लाज़ा मॉल, गोल्फ कोर्स रोड
सेक्टर-53, गुरुग्राम-122002, हरियाणा
फोन नंबर : 0124-4776600

आवेदक कम्पनियां हेतु अधिवक्ता :
श्री वैभव शर्मा,
अधिवक्ता
लॉयर्स चैम्बर नंबर 2
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
चंडीगढ़

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा, प्रथम तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
ई-मेल: bo4168@pnb.co.in **परिशिष्ट III दिनांक:** 27.12.2020

मैसर्स श्रीजी फॉयल्स प्रा.लि. जी-975, फेज-III, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान कर्जदार कम्पनी
श्री मुकेश बंसल पुत्र स्व. श्री बिशम्बर दयाल, 26, भूतल, हर्ष विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली निदेशक, बंधककर्ता (मैसर्स श्रीजी फॉयल्स प्रा.लि.)
श्रीमती मोनिका बंसल पत्नी श्री मुकेश बंसल 26, भूतल, हर्ष विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली निदेशक, बंधककर्ता (मैसर्स श्रीजी फॉयल्स प्रा.लि.)
प्रिय श्रीमान,

विषय : बैंक के साथ मैसर्स श्रीजी फॉयल्स प्रा.लि. के ऋण खाते में ''इरादतन'' चूक की पहचान-परिणामतः आपके नाम को ''इरादतन चूककर्ताओं'' के रूप में प्रकटित तथा प्रकाशित करना।

कृपया हमारी सूचना दिनांक 23.05.2019 का सन्दर्भ लें जिसमें हमने ऋण खाते में जानबूझकर चूक की घटनाओं के सुधार हेतु 10 दिन का समय दिया। किन्तु सूचना के बाद भी आपने जानबूझकर चूक का सुधार नहीं किया।

कृपया सूचित हों कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों तथा ऋण अनुबन्धों के नियम पत्र के अनुसार बैंक द्वारा स्थापित ''जानबूझकर चूककर्ताओं की समिति'' (अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में) ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से शीर्षांकित बॉरोअल ऋण खाता में आप (कर्जदार) तथा निदेशकों/साझेदारों आदि को इरादतन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की पहचान की है :

1. निदेशकों/जमानतियों ने ऋणदाता को कथित दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में होते हुए भी अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है।
2. निदेशकों/जमानतियों ने ऋणदाता को दायित्वों के भुगतान/पुनर्भुगतान को पूरा करने में चूक की है और बैंक/ऋणदाता को सूचित किये बिना सावधि ऋण के उद्देश्य हेतु प्रदत्त चल स्थिर आस्तियों अथवा अचल सम्पत्ति को निस्तारित या हटा भी दिया है।

यदि आप ''जानबूझकर चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय से असन्तुष्ट हैं तो आप यदि आप चाहते हैं तो एक प्रतिनिधान शिकायत निवारण समिति (बैंक के चेयरमैन तथा प्रबन्धक निदेशक के नेतृत्व में) के पास कर सकते हैं और कारण बताइये कि आपको ''जानबूझकर चूककर्ता'' के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपका प्रतिनिधान इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जाना चाहिए।

यदि हमें आपकी कोई प्रस्तुति/प्रतिनिधान नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपने बचाव में (''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय के विरुद्ध) कुछ कहने के लिए नहीं है और बैंक आपके नाम अथवा आपकी कम्पनी/फर्म/इकाई तथा आपके निदेशक/कों/साझेदार/रों/प्रोपराइटर के नाम(मों) को आरबीआई/सिबिल/अन्य साख सूचना कम्पनियों को ऐसे माध्यम से जैसा बैंक अपने निरपेक्ष विशेषाधिकार से उचित समझे, ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में प्रकाशित करेगा। पुनः अन्य बातों के साथ-साथ इसका परिणाम निम्नलिखित भी होगा :

- किसी बैंक/एफआई द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त न होना।
- आरबीआई द्वारा जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची में आपके नाम के प्रकाशन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए नये उपक्रम संचालित करने के लिए एससीबी, डीएफआई, सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी, निवेश संस्थानों आदि से आपको/उद्यमियों को/प्रमोटरों को वंचित करना। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त के पूर्वाग्रह से रहित, विधिक प्रक्रिया जैसे कि बकायों की वसूली के फोरक्लोजर, सरफाएशी कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाहियाँ, यदि सूचित हैं, भी आपको विरुद्ध की जायेंगीं।

आपका विश्वासपात्र
कृते पंजाब नैशनल बैंक, शाखा प्रबन्धक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं.-4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110 075
ई-मेल: smonga@pnb.co.in; hogad@pnb.co.in , फोन: 011-28044687

ई-नीलामी बिक्री की सूचना

पंजाब नैशनल बैंक प्लॉट संख्या 7, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली (पिन -110607) में स्थित अपने पूर्व प्रधान कार्यालय भवन को बेचने का प्रस्ताव कर रहा है और वर्तमान में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/एजेंट्स के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
संपत्तियों का विवरण यहां दिया गया है।
खुले फर्नीचर और जुड़नार को छोड़कर संपत्ति बिक्री के लिए है। अतः जो संपत्ति खरीदने में रुचि रखते हैं वे नीचे अनुसूची-ए में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बोली लगा सकते हैं।
जो संपत्ति खरीदने में रुचि रखते हैं वे इस उद्देश्य हेतु बोली प्रेषित करके ऐसा कर सकते हैं।

अनुसूची-ए

संपत्ति का विवरण (7, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली)	सामान्य क्षेत्र को छोड़कर विक्रय योग्य क्षेत्र (वर्गमीटर)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (रुपए करोड़ में)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) राशि और जमा की अंतिम तिथि (आरक्षित मूल्य का @ 10%) 13.03.2020 तक	निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि और समय
ए. द्वितीय तल	1497.84	रु० 82.38	रु० 8.24 करोड़	नियोजित भेंट आधार पर 13.03.2020 तक	17.03.2020 को 11:00 बजे
बी. छठा तल	992.40	रु० 48.23	रु० 4.83 करोड़		17.03.2020 को 12:30 बजे
सी. सातवां तल	992.40	रु० 48.23	रु० 4.83 करोड़		17.03.2020 को 15:00 बजे

इच्छुक पार्टियां उपरोक्तानुसार संपत्ति का निरीक्षण कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.pnbindia.in वेब साइट्स पर जाएं और/या **श्री समीर मोंगा - मुख्य प्रबंधक से संपर्क करें। - (मोबाइल नंबर 9816610262)**
उपर्युक्त नीलामी के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/विस्तार की तिथि/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है।

दिनांक: 20.02.2020
स्थान: नई दिल्ली

एस.के. मोंगा, मुख्य प्रबंधक
(मोबाइल नंबर-9816610262)

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) आंचलिक कार्यालय

प्लाट नंबर 23, द्वितीय तल, अग्रवाल कॉरपोरेट टावर, 23, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008,
ई मेल: zodel@andhrabank.co.in, फ़ोन : 011-25713643

लॉकर अवक्रेताओं को बकाया राशि के भुगतान हेतु लॉकर तोड़ने से पूर्व अंतिम सूचना

यह सूचना हमारे उन मूल्यवान सरक्षकों के लिए है जिनके द्वारा बैंक के विभिन्न शाखाओं में किराए पर लॉकर लिए गए है तथा बैंक के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किया गया है। आर बी आई /बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकर धारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज पतों पर सूचनाएँ भेजी गई, जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गई कि पता खोजा नहीं जा सका या वह व्यक्ति उस पते पर नहीं रहता है। लॉकरधारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज उनके पतों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास भी निष्फल रहा और उनके वर्तमान ठौर -ठिकाने भी अभिनिश्चित नहीं किए जा सके हैं। अतः अब कोई विकल्प न होने की स्थिति में यह सूचना निम्नालिखित व्यक्तियों को इसलिए भेजी जा रही है ताकि लॉकर धारक संबन्धित शाखा से संपर्क करें तथा बैंक की बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अवधि से भीतर चुकता कर दें, जिसमे असफल रहने पर बैंक उनकी लागत, जोखिम जिम्मेदारी पर लॉकर तोड़कर खोलने की कार्यवाही आरंभ करेगा और बैंक अपने किराए लागतों तथा अन्य प्रभारों की वसूली के लिए इसके अतिरिक्त अपने ग्रहणाधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र. स.	शाखा	लॉकर धारक का नाम	लॉकर नंबर	बकाया किराया जब से
1	जनकपुरी	प्रीथी पॉल सिंह	C2/1340106	दो वर्ष
2	जनकपुरी	किरन कुमार यमल कोंडा	C4/2790259	पांच वर्ष
3	जनकपुरी	बलविंदर सिंह	C4/2360276	तीन वर्ष
4	जनकपुरी	देविन्द्र कौर	C5/3430303	पांच वर्ष
5	जनकपुरी	अमरदीप सिंह	C5/3630323	तीन वर्ष
6	जनकपुरी	परवीन राजपाल	C5/3690325	पांच वर्ष
7	जनकपुरी	कोमन्डूरी सत्यनारायण चारी	C10/0270757	चार वर्ष
8	जनकपुरी	लूना पुरी	C6/4350450	पांच वर्ष
9	जनकपुरी	राज कुमारी	C7/5390459	पांच वर्ष
10	जनकपुरी	शिव नाथ गुप्ता	C7/5040514	दो वर्ष
11	जनकपुरी	नाथ जोगिन्द्र कोहली	C7/5240534	तीन वर्ष
12	जनकपुरी	सिंह ट्रेडर्स	C8/0100603	चार वर्ष
13	जनकपुरी	अमरदीप सिंह	C9/0560633	तीन वर्ष
14	जनकपुरी	पूर्णीमा कत्याल	C9/0780655	पांच वर्ष
15	जनकपुरी	मुरली एम खेमचंदानी	C9/9900676	तीन वर्ष
16	जनकपुरी	अनुराधा डावर	C10/0190749	चार वर्ष
17	जनकपुरी	लवीन होरा	C10/0230753	पांच वर्ष
18	जनकपुरी	अमित गुलाटी	C11/8530837	पांच वर्ष
19	जनकपुरी	जसपाल सिंह रंधावा	C11/9120928	पांच वर्ष
20	रोहिणी सेक्टर 3	सुजाता शर्मा	A1/65	एक वर्ष
21	रोहिणी सेक्टर 3	सुजाता शर्मा	B1/176	एक वर्ष

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) ("POST-OFFER ADVERTISMENT") OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

OLECTRA GREENTECH LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS GOLDSTONE INFRATECH LIMITED)
Registered & Corporate Office: Centre Point Building, 4th Floor, Plot No. 359 to 363/401, US Consulate Lane, Begumpet, Secunderabad, Telangana - 500 016
Tel: +91-40-4698 9999; Email: cs@olectra.com; Website: www.olectra.com
CIN: L34100TG2000PLC035451

OPEN OFFER ("OPEN OFFER" OR "OFFER") TO ACQUIRE UP TO 1,82,36,148 (ONE CRORE EIGHTY-TWO LACS THIRTY-SIX THOUSAND ONE HUNDRED AND FORTY-EIGHT) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 4 EACH (RUPEES FOUR ONLY) ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 20% (TWENTY PERCENT) OF THE EMERGING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF OLECTRA GREENTECH LIMITED ("OGL" OR "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY TRINITY INFRAVENTURES LIMITED ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATION 11(1) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 1997, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 1997") AT AN OFFER PRICE OF ₹ 80.10 (RUPEES EIGHTY AND TEN PAISE ONLY) PER EQUITY SHARE ALONGWITH APPLICABLE INTEREST TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS

This Post-Offer Advertisement is being issued by YES Securities (India) Limited ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer (as defined above), pursuant to and in accordance with regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

For the purpose of this Post-Offer Advertisement, (a) "**Public Shareholders**" shall mean all the public equity shareholders of the Target Company excluding (i) the Acquirer and (ii) Deemed PACs, (b) "**Eligible Shareholders**" shall mean the shareholders who continue to hold their Equity Shares since November 7, 2008 (specified date as per DLoF) till January 17, 2020 (the "**Identified Date**"). Eligible Shareholders will also get Applicable Interest over and above the Offer Price for the Equity Shares tendered and accepted in the Offer.

As per the DLOF, the open offer price was ₹ 23.00 per Equity Share. As per SEBI Observation Letter, SAT Order and SC Order the Offer Price should have been ₹ 43.00 per Equity Share. Pursuant to the acquisitions made by a wholly owned subsidiary of the Acquirer during the Offer Period at a higher price, the Offer Price has been revised to ₹ 80.10 per Equity Share. Further, to comply with SAT Order dated October 23, 2009, Acquirer will also pay Applicable Interest over and above the Offer Price to Eligible Shareholders.

Applicable Interest means simple interest of 10% per annum on ₹ 43.00 from October 25, 2008 to March 29, 2019 and on ₹ 80.10 from March 30, 2019 to February 28, 2020 aggregating to total interest of ₹ 52.14 payable only to the Eligible Shareholders alongwith the Offer Price, in accordance with SAT Order dated October 23, 2009.

This Post-Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the Public Announcement dated November 4, 2008 (the "**PA**"), Corrigendum to the Public Announcement dated February 25, 2009, the draft letter of offer dated November 17, 2008 (the "**DLoF**"), the letter of offer dated January 23, 2020 (the "**LOF**") and the Pre-Offer Advertisement dated January 29, 2020. The PA of the Offer was published in Financial Express - English (all editions), Jansatta - Hindi (all editions), Navashakti - Marathi (Mumbai edition) and Andhra Prabha - Telugu (Hyderabad edition). This Post-Offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the PA was published.

1.	Name of the Target Company:	Olectra Greentech Limited (formerly known as Goldstone Infratech Limited)
2.	Name of the Acquirer:	Trinity Infraventures Limited (formerly known as Goldstone Exports Limited)
3.	Name of the Manager to the Offer:	YES Securities (India) Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer:	KFin Technologies Private Limited
5.	Offer Details:	
	a Date of Opening of the Offer:	Friday, January 31, 2020
	b Date of Closure of the Offer:	Thursday, February 13, 2020
6.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, February 20, 2020
7.	Details of Acquisition:	

Sr. No.	Particulars	Proposed in LOF		Actuals	
7.1	Offer Price (per Equity Share)	₹ 80.10[@]		₹ 80.10	
7.2	Aggregate number of shares tendered	1,82,36,148		628	
7.3	Aggregate number of shares accepted	1,82,36,148		628	
7.4	Size of the Offer *(Number of shares multiplied by offer price per share)*	₹ 1,54,55,67,315.36		₹ 50,302.80	
7.5	Shareholding of the Acquirer before public announcement/acquisition of warrants				
	• Number	20,00,000		20,00,000	
	• % of Share Capital	9.51%[&]/2.19%[#]		9.51%[&]/2.19%[#]	
7.6	Shares Acquired by way of Agreement/ Acquisition				
	• Number	1,50,00,000		1,50,00,000	
	• % of Old Equity Share Capital	41.64%[*]/16.45%[#]		41.64%[*]/16.45%[#]	
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer				
	• Number	1,82,36,148		628	
	• % of Emerging Share Capital[#]	20.00%		0.001%	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement				
	• Number of shares acquired	NA		NA	
	• Price of the shares acquired				
	• % of the shares acquired				
7.9	Post offer shareholding of Acquirer				
	• Number	2,56,70,328[$]		74,34,808	
	• % of Emerging Share Capital[#]	28.15%		8.15%	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer
	• Number	3,21,75,206	1,39,39,058	3,21,75,206	3,21,74,578
	• % of Emerging Share Capital[#]	35.29%	15.29%	35.29%	35.29%

[@] *Eligible Shareholders were also entitled to Applicable Interest (as defined above).*

[&] *Computed based on equity share capital of ₹ 8,40,93,220 consisting of 2,10,23,305 Equity Shares*

[*] *Old Equity Share Capital of the Target Company means 3,60,23,305 Equity Shares of the Target Company after considering allotment of 1,50,00,000 Equity Shares post conversion of similar number of warrants.*

[#] *Emerging Share Capital of the Target Company means 9,11,80,737 Equity Shares of the Target Company computed on a fully diluted basis as of the tenth (10th) working day from the closure of the tendering period of the Open Offer. The same has been computed by adding 91,00,000 warrants convertible into equal number of Equity Shares, allotted by the board of directors of the Target Company to MEIL Holdings Limited in their meeting dated October 10, 2018.*

[$] *Computed based on shareholding pattern of the Target Company as on December 31, 2019 and arithmetically added Offer Shares (assuming full acceptance in the Offer)*

Capitalised terms used but not defined in this Post-Offer Advertisement shall have the meanings assigned to such terms in the LOF.

The Acquirer and its respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources) and their obligations under the Offer and shall be severally and jointly liable for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 1997 and/or the SEBI (SAST) Regulations, 2011 as applicable.

A copy of this Post-Offer Advertisement will also be available on the website of SEBI (http://www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and at the registered office of the Target Company.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

YES SECURITIES

YES SECURITIES (INDIA) LIMITED
IFC, Tower 1 & 2, Unit No. 602 A, 6th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India
Tel: +91 22 7100 9829; **Fax:** +91 22 2421 4508
Contact Person: Mukesh Garg/Pratik Pednekar
E-mail: oglopenoffer@ysil.in; **SEBI Registration No.:** INM000012227

Registrar to the Offer

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, India
Tel: +91 40 6716 2222; **Fax:** +91 40 2343 1551
Contact Person: M Murali Krishna; **Email-ID:** ogl.openoffer@kfintech.com
SEBI Registration Number: INR000000221

For and on behalf of the Acquirer

Place : Hyderabad
Date : February 20, 2020

Sd/-
Paul Sashikumar Lam

PRESSMAN

जनसत्ता

आतंक का सामना

आतंकवाद के खिलाफ तमाम सख्ती और कामयाब कार्रवाइयों के बावजूद हर कुछ दिन के बाद जिस तरह के आतंकी हमले सामने आते रहते हैं, उससे यही लगता है कि अब भी इस दिशा में काफी कुछ ठोस किया जाना बाकी है। जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना मिलने पर मंगलवार रात तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी बीच आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी मारे गए। इसमें एक आतंकी वह था, जिसने हम्माद नामक आतंकवादी के मारे जाने के बाद क्षेत्र में अपने संगठन की कमान संभाली थी। जाहिर है, यह सुरक्षा बलों की एक अहम कामयाबी है। लेकिन यह भी सच है कि लगातार आतंकियों के मारे जाने की घटनाओं के बावजूद नए सिरे से ऐसे संगठनों की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। साफ है कि इस समूचे इलाके में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए न केवल इस घटना की तरह सख्त कार्रवाई की, बल्कि सामाजिक सहयोग जैसे कई अन्य मोर्चों पर भी काम किए जाने की जरूरत है।

गौरतलब है कि बीते करीब डेढ़ महीने के दौरान जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ों में करीब दो दर्जन आतंकियों का सफाया किया गया है। इससे एक ओर जहां यह पता चलता है कि उस समूचे इलाके में सुरक्षा बल अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं और स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र के साथ उनके तालमेल की स्थिति बेहतर है, वहीं यह भी सच है कि तमाम सख्ती के बावजूद निचले स्तर तक आतंकवादी संगठनों की पहुंच और गतिविधियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। जिस पुलवामा में मुठभेड़ की ताजा घटना सामने आई है, वह पहले भी आतंकी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहा है। खासतौर पर त्राल में इस घटना के पहले सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन इसी पुलवामा में एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के बयालीस जवान भी मारे गए थे। नियमित निगरानी के बावजूद ऐसी घटनाओं का नहीं रुकना चिंता की बात है। यों जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की बढ़ी चौकसी की वजह से आतंकियों के हौसले कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन वहां आतंकी संगठनों ने जिस तरह अपनी गहरी जड़ें जमाई हुई थीं, उसे पूरी तरह उखाड़ना आज भी एक बड़ी चुनौती है।

दरअसल, आतंकी संगठनों की जड़ें केवल जम्मू-कश्मीर में सीमित नहीं रही हैं और समस्या का सबसे जटिल पहलू यही है। भारत ने अक्सर पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी सीमा में स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन इसका कोई खास असर देखने में नहीं आया। बल्कि आमतौर पर पाकिस्तान ने इस आरोप को गलत बताते हुए हर बार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि जब बेजिंग में हुए नौवें ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा-पत्र में औपचारिक रूप से पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकी संगठनों द्वारा अपनी गतिविधियां संचालित करने का मुद्दा शामिल हुआ और तब जाकर औपचारिकता के लिए ही सही, इस आरोप पर पाकिस्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिया था। लेकिन आज भी आतंकवादी संगठन जिस तरह भारतीय सीमा में घुसपैठ और दूसरी आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते रहते हैं, उससे साफ है कि पृष्ठभूमि में किसी स्रोत से उन्हें मदद मिल रही है। भारत अपने सीमा-क्षेत्र में आतंकवाद का सामना करने में सक्षम है, लेकिन आतंक को बढ़ावा देने वालों को सोचना होगा कि इसकी आग में दूसरों के साथ-साथ वे खुद भी झुलसेंगे।

उत्पीड़न की अति

राजस्थान के नागौर में दो दलित युवकों की पिटाई की घटना एक ओर हमारे समाज के सभ्य होने की कोशिश में अफसोसनाक नाकामी का उदाहरण है, वहीं इससे यह भी पता चलता है कि राज्य की पुलिस या कानूनी कार्रवाई का डर शायद अपराधी मानस वाले लोगों को जरा भी नहीं सताता है। वहां सरकार या प्रशासन की सक्रियता की हकीकत यह रही कि घटना रविवार को हुई थी, लेकिन सबकी नींद तब खुली जब मामले ने तूल पकड़ लिया। गौरतलब है कि सोलह फरवरी को नागौर में एक दुपहिया वाहन के शोरूम में कुछ लोगों ने दो दलित युवकों पर चोरी का आरोप लगाया और बर्बरता से पिटाई की। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक युवक के यौनांग में पेचकस और पेट्रोल डाल दिया गया। वहां मौजूद करीब एक दर्जन लोग यह सब होते हुए देखते रहे या उसमें शामिल रहे या फिर इस सबका वीडियो बनाते रहे। ऐसा लगता है कि अगर वाकये का दहला देने वाला वीडियो चारों तरफ नहीं फैल जाता तो शायद यह खबर किसी सामान्य घटना की तरह दबी रह जाती और दहशत के मारे पीड़ितों को इंसाफ मिलना मुश्किल होता।

अब जब इस मामले पर हर तरफ आक्रोश जाहिर किया जा रहा है तब जाकर सरकार और पुलिस सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बर्बर तरीके से मारपीट के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। राज्य के उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस वाकये पर ट्विटर पर लिखा कि राज्य में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रहे और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, यह सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों का आश्वासन देने वाले तंत्र और उसके असर की मौजूदगी समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं के पहले क्यों नहीं दिखती है? जहां तक नागौर की घटना का सवाल है, इसे अंजाम देने वाले आरोपियों के पास किस तरह का सुरक्षाबोध था कि उन्हें न सिर्फ कथित चोरी की शिकायत पुलिस के पास करना जरूरी नहीं लगा, बल्कि सरेआम कानून को ताक पर रख कर उन्होंने बेहिचक बर्बरता से दलित युवकों की पिटाई की? क्या इसके पीछे यह वजह भी नहीं थी कि पीड़ित युवक समाज के सबसे कमजोर तबके की पृष्ठभूमि से आते हैं और उन पर अत्याचार के मामले अक्सर दबे रह जाते हैं?

विडंबना यह है कि दलितों के उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं तब भी नहीं रुक रही हैं, जब इन तबकों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत आरोपियों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन जब इस कानून के रहते दलितों के विरुद्ध अपराधों पर काबू पाना मुश्किल बना हुआ है, तब सामान्य स्थितियों में दबंग तबकों का सामाजिक व्यवहार क्या होता, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। सवाल है कि कुछ लोगों को महज कोई आरोप लगा कर किसी पर इतनी बर्बरता ढाने का हौसला कहां से मिलता है? क्या यह अफसोसनाक तस्वीर सत्ता और तंत्र में वंचित तबकों की वाजिब भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण के अभाव का भी नतीजा है? दलितों के खिलाफ उत्पीड़न और आपराधिक बर्ताव पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि वंचित और कमजोर तबकों के संरक्षण के साथ-साथ वर्चस्वशाली सामाजिक समूहों के बीच संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास किया जाए! सामाजिक विकास नीतियों पर विचार किए बिना ऐसी मानसिकता में बदलाव लाना मुश्किल बना रहेगा।

कल्पमेधा

अधिक हर्ष शांत होता है और जीभ की
अपेक्षा हृदय में निवास करता है।
– फील्डिंग

वैश्वीकरण और शिक्षण संस्थान

ज्योति सिडाना

शिक्षण संस्थानों से संबद्ध बुद्धिजीवियों को 'आलोचनात्मक चिंतन की संस्कृति' का वाहक कहा जाता है। सवाल है कि क्या आज के संदर्भ में भी यह कथन उतना ही सटीक है, जितना वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर से पहले था? यह एक तथ्य है कि आज के दौर में शिक्षक और शिक्षण संस्थानों की भूमिकाओं का विश्लेषण और जरूरी व महत्त्वपूर्ण हो गया है।

वैश्वीकरण के दौर में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक स्वतंत्र बाजार से संबद्ध हो गए हैं। इन सबके स्थानीय प्रबंधन ने इन संस्थाओं को कारोबार का स्वरूप दे डाला और यह अनुमान लगाया कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के मध्य की प्रतियोगिता अधिक योग्यता और क्षमता को उत्पन्न करेगी और उपभोक्ता (विद्यार्थियों) के सामने ढेरों विकल्प पैदा हो जाएंगे। इन स्थितियों ने शिक्षा और बाजार के बीच मजबूत संबंध बनाए। विकास की प्रक्रिया ने राज्य (सरकार) और शिक्षण पेशे के मध्य तनावों को जन्म दिया। चूंकि शिक्षण एकमात्र ऐसा पेशा है जो सरकार के विरुद्ध आलोचना को न केवल वैचारिक आधार देता है, अपितु उसे जनमत का रूप दे देता है। इसलिए हर बार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण की स्थितियों को उत्पन्न करती है।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पब्लिक स्कूल उच्च वर्ग के बच्चों की और सरकारी स्कूल श्रमिक वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम हैं। इस तरह असमानता को वैधता मिलती जाती है और शिक्षा का स्वरूप समाज में खंडात्मक विभाजन का प्रतिबिंब बन जाता है। आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि राज्य समानतामूलक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजी तो है, पर संसाधनों के आभाव का हवाला देकर प्रयासों की उपेक्षा कर देते हैं। इसे राज्य का गुप्त एजंडा कहा जा सकता है। यह भी सत्य है कि वैश्वीकरण ने शिक्षा के प्रभावों को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया है, क्योंकि यह शिक्षा ऐसे 'ज्ञान समाज' को स्थापित करती है जो सामान्य जन के लिए नहीं है। क्या इस प्रकार की शिक्षा सामाजिक विकास को संतुलित रूप दे सकेगी? आज के दौर में यह बड़ा प्रश्न बन कर उभरा है।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज में आधुनिकीकरण हो रहा है और इसलिए समाज तेजी से बदल रहा है। लेकिन उस तेजी के साथ हमारे पाठ्यक्रम और अधिकांश विश्वविद्यालयों के शिक्षक नहीं बदल रहे हैं। जहां नए बदलाव दिख भी रहे हैं, वहां विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दूसरी तरफ, समाज में हो रहे बदलावों को राज्य स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए विश्वविद्यालयों में विरोध-प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं होते, अपितु सांस्कृतिक प्रबुद्धता और ज्ञान के केंद्र भी होते हैं। लेकिन आज वह सांस्कृतिक प्रबुद्धता चूंकि राज्य के पक्ष में नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालयों में असंतोष पनप रहा है। जिन विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक प्रबुद्धता नहीं है, वे ठहराव की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए हमें विश्वविद्यालयों को आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देखने की जरूरत है। क्या हम इस बदलाव को नई पीढ़ी तक अकादमिक गतिविधि में बदल कर पंहुचा पाने में समर्थ हैं? क्या ये जो बदलाव हैं, वे छात्रों की चेतना का हिस्सा बन रहे हैं? क्रिया के रूप में तो शायद ये हिस्सा बन भी जाएं, पर क्या ये बदलाव विचार के रूप में उनकी चेतना का हिस्सा बने हैं या नहीं, यह देखने की आवयकता है। वास्तविकता यह है कि बदलावों को विचार में बदलने का दायित्व विश्वविद्यालयों का या उच्च शिक्षण संस्थानों का होता है और वे इसमें असफल हो रहे हैं। इसलिए इस बदलते संदर्भ में हमें विश्वविद्यालय की अवधारणा के विषय पर पुनः विचार करना पड़ेगा।

सरकार ने उच्च शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए डिग्री स्तर के सभी पाठ्यक्रम ऑनलाइन शुरू करने की घोषणा की है। इसके पीछे तर्क यह है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जो अभी आर्थिक परेशानियों के चलते उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत फिलहाल वही संस्थान कर सकेंगे जो राष्ट्रीय वरीयता यानी नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआरएफ) में शीर्ष सौ स्थानों पर होंगे। अभी उच्च शिक्षा का कुल नामांकन अनुपात छब्बीस फीसद है, जबकि सरकार ने नई शिक्षा नीति में इसे सन् 2035 तक पचास फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम के शुरू होने के बाद उच्च शिक्षा के नामांकन में वृद्धि होगी। क्या वास्तव में ऐसा संभव हो पाएगा? इसमें संशय इसलिए है कि जिस तबके को उच्च शिक्षा से जोड़ने की कोशिश है, क्या वह तकनीक के इस्तेमाल से वाकिफ है? क्या नई तकनीक तक उसकी पहुंच है? इसलिए यह सवाल उठता है कि कहीं इससे शिक्षक या बौद्धिक वर्ग को तकनीक से तो विस्थापित नहीं किया जा रहा?

अगर आजकल के पाठ्यक्रमों पर गौर करें तो यह साफ नजर आता है कि इनमें औद्योगिक-आधुनिकीकरण का वर्चस्व है और कृषि एवं स्थानीय रोजगार, व्यवसायों की उपेक्षा है। नई आर्थिक नीतियों ने शैक्षणिक लक्ष्यों में बुनियादी बदलाव किए हैं। वैश्वीकरण एवं निजीकरण के कारण उच्च एवं मध्य वर्ग के लिए शिक्षा के अवसर और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है। गुणवत्तामूलक शिक्षा पाने के लिए धन अनिवार्य शर्त बन गया है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन शिक्षक एवं बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। निजी शिक्षा पर होने वाला खर्च इतना अधिक है कि गरीब तबका अपनी आमद का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च तो करता है, लेकिन उसका उत्थान खासतौर से आर्थिक रूप से, नहीं होता।

कोचिंग संस्थानों के संचालन ने शिक्षा को बड़े कारोबार में बदल डाला है। शिक्षा की इस प्रणाली ने वंचित आबादी में विशेष रूप से युवाओं में आक्रोश, हिंसा एवं आक्रामकता को जन्म दिया है। साथ ही, इस विचार को भी मजबूती दी है कि असमानता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो वर्तमान में सुनने, बोलने और देखने वालों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है, जबकि सृजन, विवेचना, विश्लेषण और मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों या बुद्धिजीवियों की संख्या धीरे-धीरे ठहराव के स्तर को प्राप्त कर रही है। परिणामस्वरूप ज्ञान एवं शिक्षा का सृजन एक ऐसे बाजार का हिस्सा बनता जा रहा है जहां विद्यार्थी और सामान्यजन असहाय परंतु खरीदने के लिए बाध्य क्रेता के रूप में सामने आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हुआ यह बाजार शिक्षक और ज्ञान को उस सांस्कृतिक पूंजी के निर्माता के रूप में स्थापित करता है, जिसे शासक वर्ग अपने वर्चस्व के लिए प्रयुक्त करने का इच्छुक है। शिक्षण संस्थानों से संबद्ध बुद्धिजीवियों को 'आलोचनात्मक चिंतन की संस्कृति' का वाहक कहा जाता है। सवाल है कि क्या आज के संदर्भ में भी यह कथन उतना ही सटीक है, जितना वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर से पहले था? यह एक तथ्य है कि आज के दौर में शिक्षक और शिक्षण संस्थानों की भूमिकाओं का विश्लेषण और जरूरी व महत्त्वपूर्ण हो गया है।

विश्व का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि प्रत्येक समाज में शिक्षकों, बुद्धिजीवियों ने सामाजिक परिवर्तन, ज्ञान, चेतना और सूचनाओं के वैश्विक विस्तार में, परिवर्तन की अग्रगामी एवं विरोधी शक्तियों के रूप में और आलोचनात्मक चेतना के विस्तार में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। हिंदुत्व के विस्तार में शंकराचार्य की भूमिका, राजाओं के कर्तव्यों की व्याख्या में चाणक्य एवं द्रोणाचार्य की भूमिका, समाज सुधारक के रूप में बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि की भूमिका सामाजिक विकास की संकेतक है। फिर वर्तमान दौर में ऐसा क्या हो गया है कि क्रोध और हिंसा के इस युग में ऐसे बुद्धिजीवी उभार ले रहे हैं जो या तो तटस्थ रहते हैं या फिर मौन संस्कृति के पक्षधर नजर आते हैं। परिवार, राजनीति, शिक्षण संस्थान, सड़क, समाज सभी जगह जो जोखिम और चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, उनका जवाब देने या सामना करने में अगर बुद्धिजीवी वर्ग ही असमर्थ अनुभव करेगा या चुप रहेगा, तो विश्वविद्यालयों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिह्न लगना स्वाभाविक है।

इतनी-सी हंसी

पूनम पांडे

दुनिया मेरे आगे

कहते हैं कि हमारे होठों पर हंसी इस बात का संकेत है कि हमारे मन में जीवन को लेकर आशावादी नजरिया आज भी कायम है। दूसरे अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि हंसी हमारे सुखमय दिनमान का आईना भी है। मगर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सुखी तो हैं, लेकिन सच्ची हंसी कभी नहीं हंसते। वे हंसी को एक शारीरिक क्रिया मात्र ही मान कर चलते हैं। यानी सामाजिक होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए अधर कुछ फैला लीजिए और आंखें बड़ी कर लीजिए। फकत दुनियादारी हो गई। अब वापस अपने उसी चेहरे पर वापस लौट आइए। ऐसे लोग उस समय जोरदार ठहाके लगा देते हैं जब समूह में होते हैं और कोई जरा-सी हंसी वाली बात भी छिड़ गई बस ये लोग मुखौटा तैयार कर लेंगे और हंसी का फव्वारा छोड़ देंगे।

मगर असली हंसी वह होती है जो आपको अकेले में किसी गंभीर काम को करते हुए भी छूट जाती है और अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक बच्चा जब अकेला कहीं दौड़ता हुआ हंसने भी लगता है, एक बागबान जब पौधों को पानी देता हुआ कुछ याद करके खिलखिलाने लगता है। प्रकृति का सिद्धांत हम सबके जीवन में भी लागू होता है। यानी भीतर जैसे होंगे वैसे ही बाहर भी दिख जाएंगे। हंसने-खिलखिलाने का भी यही दर्शन है यहां। अमीर होना, प्रतिष्ठित होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर हां, आनंद में होना जरूरी है। यह आनंद किसी उलझी रस्सी को सुलझाने में भी भरपूर मिल सकता है और एक करोड़ का हीरा पहनने पर भी नहीं मिल सकता। लोग दिनोंदिन अपनी तरक्की के रास्ते पर चल कर अंधेरे में भी रोशनी खोज लाते हैं। अपने सपने पूरे कर लेते हैं, पर खुल कर हंसना फिर भी भूल ही जाते हैं।

बहुत बार अमीर और सुविधाओं से लकदक लोग भी अवसाद में आ जाते हैं। दरअसल वे आनंद को खो चुके होते हैं और बार-बार अपने कुबेर के खजाने को टटोल कर वहां से खुशी को पुकारते हैं। हर बार असमंजस में पड़ जाते हैं कि हंसी और आनंद आखिर गया तो गया कहां! जबकि उसको कुचलने का काम तो उन्होंने ही किया होता है। तब शायद कोई खालीपन हमको झकझोर कर कहता है कि हंसना क्यों जरूरी है! यह बात हम सबने हर जगह सुनी होगी कि हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यह सच भी है कि हंसी-मजाक में गुजारे गए पल हमे बहुत तरीकों से मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करते हैं।

हंसी आने के लिए बस एक लम्हे की जरूरत होती है। किसी ने हमें एक बार हंसाया है तो हम बार-बार उसके पास बैठना पसंद करते हैं। हमारी संतुष्ट हंसी के केंद्र में हमारी उम्मीदें और हंसा रहे शख्स से हमारी आत्मीयता बढ़ती जाती है। दरअसल, हमारा हंसना किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देना नहीं होता है, बल्कि यह तो एक तरह का सुंदर संवाद है। हंसी जब हमको घेर लेती है, तब मुखड़े की दमक देखते ही बनती है। हम सबके मन की एक भाषा होती है। उसे पढ़ना जरूर चाहिए। हमारा यह मन सब जानता है। वह बार-बार उस तरफ जाना चाहता है, जहां हंसी-खुशी का वातावरण मिले और दिल में गुदगुदी से शुरू होकर शरीर में एक सकारात्मक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होने लगती है, जिस कारण हृदय रक्त को तेजी से पम्प करता है और शरीर में रक्त का संचरण सुचारु बना रहता है। इतना ही नहीं, खुल कर हंसने से मांसपेशियों का व्यायाम भी हो जाता है और शरीर के अंगों का तनाव भी कम हो जाता है।

यह अटल सत्य है कि हम लाख चाहें, फिर भी इस बात को नहीं जान सकते कि हमारे आने वाले कल में क्या होगा! तो फिर किस बात की चिंता? किस बात की फिक्र और किस बात की बेचैनी? अगर हम बस सफल होकर गंभीर बन कर बगैर हंसी-किलकारी के उदास तरीके से जी रहे हैं तो यह मान लीजिए कि अपनी जिंदगी को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन अगर उससे उल्लास, उन्मुक्तता, गूंज, उमंग, दिन में कई बार ठहाके नहीं मिल रहे तो मानसिक शांति और संतुलन बिगड़ रहा है। जीवन में जो सबसे जरूरी है, वह है हम बस अपने आज में जीएं, अपने हर पल को अपने जीवन का सबसे हसीन और खूबसूरत पल बनाएं। अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, अपने आप को स्वस्थ बनाएं और जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसी दिशा में पूरी निडरता और ईमानदारी से अपना पूरा प्रयास करें! इस तरह से हम न केवल वह पा लेंगे, जो पाना चाहते हैं, बल्कि एक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन के स्वामी भी बन जाएंगे! जीवन अगर जोशीला, हरा-भरा, मस्त मगन हो तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं, मगर इतना कठिन भी नहीं। हम खुद को जरा-सा बदलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।

जड़ता की मार

जातिवाद एक ऐसी प्रणाली है जो प्राचीन काल में अपनी जड़ें पाती है। लेकिन इस आधुनिक दौर में भी यह अंधाधुंध चल रहा है और उच्च कही जाने वाली जातियों के लोगों के हितों को आगे बढ़ा रही है। निम्न मानी जाने वाली जाति के लोगों का शोषण किया जा रहा है और उनकी चिंताओं को सुनने वाला कोई नहीं है। जातिवाद केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि कुछ अन्य देशों में भी प्रचलित है। भारत की ही तरह इन देशों में भी लोग इस बुरी व्यवस्था के प्रकोप का सामना कर रहे हैं।

भारतीय जाति व्यवस्था की बहुत आलोचना की गई है। कई लोग इसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए, लेकिन इसे हिला नहीं सके। इस जघन्य सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक कानून की सख्त जरूरत महसूस की गई। इस प्रकार, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जातिवाद पर आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। भारत के संविधान ने इसे अपने संविधान में प्रतिबंधित कर दिया। यह उन सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश था जो निम्न वर्ग के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे।

राजनेता चुनाव से पहले आम जनता से वोट मांगने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। यह प्रचार चुनावों के महीनों पहले शुरू होता है, जिसके दौरान राजनेता जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए राजी करने और प्रभावित करने के लिए सभी प्रयास करते हैं। हमारे राजनेता इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि जब उनकी जाति और धर्म की बात आती है तो वे कितने संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार वे इसे अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। यह स्थिति समाज और देश के हित में नहीं है। कोशिश यह होनी चाहिए कि यह समाज समग्र रूप में जाति-व्यवस्था से मुक्ति से ओर कदम बढ़ाए।

● *अंकुर सांगवान, दिल्ली*

निज भाषा

इक्कीस फरवरी को संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा दिए गए पैमाने के अनुसार किसी भी भाषा पर लोप होने का कोई खतरा तब तक नहीं है, जब तक बिना किसी अन्य भाषा की दखल के उसका पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचार हो रहा है। बच्चा सबसे पहले मातृभाषा अपने घर से सीखता है जब परिवारजन उस भाषा में संवाद करते हैं। यह सराहनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात कही गई है। इस प्रारूप में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि भाषाओं को समझने के लिए सबसे अधिक बौद्धिक क्षमता दो से आठ वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। यह तथ्य है कि मातृभाषा में मजबूत नींव से ही अन्य भाषाएं बेहतर ढंग से सीखी जा सकती हैं। चूंकि भाषा सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है, इसलिए अपनी मातृभाषा का बचाव करके ही हम भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को सुरक्षित रख सकते हैं।

● *डिंपी भाटिया, नई दिल्ली*

रिश्तों का मोल

आज जीवन की तेज रफ्तार और आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते मनुष्यों के कदमों ने उसके अपने ही जीवन को ही पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। आज मनुष्य के जीवन में जो आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की होड़ है, उसके कारण रिश्ते कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। जीवन की व्यस्तता और धन कमाने की इच्छा के कारण हम वह मूल्यवान समय अपनों को नहीं दे पा रहे हैं जो किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। माना कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इसका परिवर्तन आज हम अपने परिवार, मित्रों यहां तक कि अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाएं, तो वह परिवर्तन कैसे अच्छा हो सकता है?

आज मैं जब अपने चारों ओर देखता हूं तो सबको भटका हुआ-सा पाता हूं। मैं यह मानता हूं कि हमारी इस भागदौड़, कुछ कर गुजरने और अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा के कारण ही हम आज प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। इसके समांतर यह भी सच है कि हम जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं, जहां रिश्तों की परिभाषा धूमिल होती जा रही है। यही नहीं, आज समय न मिल पाने के कारण पारिवारिक कलह कई घरों की कहानी है। माता-पिता जो अपने बच्चों को समय तक नहीं देते, इस कारण कई बार बच्चे अकेलेपन का शिकार होकर राह से भटक जाते हैं। इसलिए जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच पाने पर भी अपने रिश्ते और आत्मीय लोगों को कहीं खोने न दें। 'ऊंची हुई हमारी आर्थिक उड़ान/ पर खो गई रिश्तों की पहचान/ कुछ समय अपनों को भी दो/ क्योंकि रिश्तों में बसती है जान।'

● *मुकुंद, दिल्ली विश्वविद्यालय*

हल का रास्ता

सिर्फ दिल्ली में ही शाहीन बाग नहीं है जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहा है। देश भर में ऐसे कई शाहीन बाग हैं, जो नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, वे चाहे हिंदू हों या मुसलिम। हो। लेकिन जिस तरह शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि गए और सड़क बाधित करने को लेकर अपनी बात रखी, वह हल खोजने की कोशिश है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या शाहीन बाग के आंदोलन में जो मूल बात है, उससे भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या इस मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है कि शाहीन बाग में महिलाएं सड़क बाधित करके बैठी हुई हैं? शाहीन बाग के लोगों के बारे में पिछले दो महीने के दौरान क्या-क्या नहीं बोला गया! एक तरफ एक नेता कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, उस दिन दूसरे बड़े नेता कहते हैं पीछे हटने का सवाल ही नहीं!

शाहीन बाग आंदोलन की मूल उत्पत्ति है सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर। फिर उसे सिर्फ सड़क बाधित करने के मुद्दे में तब्दील करके दफ्न करने की कोशिश क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट को शाहीन बाग के मूल सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर तब देश के कई इलाकों में जिस तरह शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा हो गया है, उसके मद्देनजर कोई ठोस हल की ओर सरकार को बढ़ना चाहिए और वास्तविक मांगों पर विचार किया जाना चाहिए।

● *साक्षी कुमारी, महेंद्रू, पटना*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

नई फिल्म

- शुभ मंगल ज्यादा सावधान
- भूत पार्ट वन: द हॉन्टेड शिप

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
लव आजकल	31.5 करोड़
मलंग	267.2 करोड़
जवानी जानेमन	26.35 करोड़
स्ट्रीट डांसर	71.27 करोड़

20 फरवरी तक की कमाई

जन्मदिन

शाहिद कपूर	25 फरवरी
सान्या मल्होत्रा	25 फरवरी
उर्वशी रौतेला	25 फरवरी
प्रकाश झा	27 फरवरी

जीवनी पर बनी फिल्म की चाहत : विकी

आरती सक्सेना

फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से लोगों के जेहन में बसे विकी कौशल की फिल्म 'भूत पार्ट वन-द हॉन्टेड शिप' आज प्रदर्शित हो रही है। फिल्म एक जहाज की डरावनी कहानी पर आधारित है। पेश है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश :

सवाल : आप पहली बार हॉरर फिल्म 'भूत' में काम कर रहे हैं। कैसा लगा?

● मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मैं भूत की कोई फिल्म भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ देखता हूं। लिहाजा जब मैं इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो कई बार ऐसा लगता था कि कुछ अलग हो रहा है। कभी सीढ़ी अपने आप गिर जाती थी तो कभी सामने से बिल्ली गुजर जाती थी। सो यह सब काफी डरावना था। हॉरर फिल्म करने का यह मेरा पहला अनुभव है इसलिए फिल्म में काम करने में मजा आया।

सवाल : हॉरर फिल्मों की शूटिंग का अनुभव दूसरी फिल्मों से कैसे अलग था?

● दूसरी फिल्मों में मैं अपने सह-कलाकारों के साथ बैठकर वर्कशॉप कर लेता, किरदार के बारे में चर्चा कर लेता था लेकिन यहां मैं भूतों के साथ काम करने वाला था। अब भूतों के साथ तो मैं वर्कशॉप नहीं कर सकता। और न ही अपनी भूमिका के बारे में बातें कर सकता हूं। मुझे जो भी करना था खुद की कल्पना से करना था। खुद ही अपनी दुनिया बनानी थी और उससे डरना था। जो मेरे लिए नया और अलग अनुभव था। शूटिंग के दौरान एक हादसा भी हो गया था। एक शॉट में मुझ पर सीढ़ी गिर गई थी जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर 13 टांके भी लगे। 'भूत' की शूटिंग के बाद मुझे शूजीत सरकार की फिल्म 'उधम सिंह' के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, सो मैंने टांके लगवाएं और ऑस्ट्रेलिया जाकर उन टांकों को खुलवाया फिर फिल्म की शूटिंग की।

सवाल : सुना है 'भूत' की शूटिंग के लिए आपको पानी में 24 फीट गहराई में जाकर शूटिंग करनी थी, जबकि आपको पानी से डर लगता है और आपको ठीक से तैरना भी नहीं आता?

● 'भूत' के लिए मुझे 24 फीट गहराई में जाकर शॉट देना पड़ा था, जबकि मुझे पानी से डर लगता है। जब मैं पहली बार पानी के अंदर गया तो डर के मारे एक्शन ही नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस डर को हराना है। सो मैंने पांच-छह दिन पानी के अंदर रहने का अभ्यास किया और उसके बाद ही 24 फीट गहराई में शॉट दिया।

सवाल : आपकी फिल्म 'भूत' में ऐसा क्या खास है जो दर्शकों को ये फिल्म देखने के लिए आकर्षित करेगा?

● जब मुझे धर्मा प्रोडक्शन से इस फिल्म के लिए ऑफर आया तो मैं थोड़ा असमंजस में था, उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हॉरर फिल्म के लिए बुलाया गया है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन रोमांटिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। लिहाजा जब पता चला कि मुझे हॉरर फिल्म करनी है तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि फिल्म कैसी बनेगी। क्या इसमें भी प्यार-मोहब्बत या संगीत होगा? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो पता चला कि ये पूरी तरह डरावनी फिल्म है। इसमें कोई गाना, प्यार मोहब्बत नहीं है। बस डरावना माहौल है। हॉरर फिल्म पंसद करने वाले दर्शकों को यह फिल्म खूब डराएगी।

सवाल : आपने 'मसान', 'संजू', 'राजी' और 'उरी' जैसी फिल्में कीं। आज आप एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। अपने इस सफर को कैसे देखते हैं?

● मैंने यह सफर काफी मुश्किलों से पूरा किया है। मैं

इंजीनियर बनने जा रहा था और शौकिया तौर पर अभिनेता बनने की तरफ बढ़ गया। मैं अभिनय के बारे में बहुत नहीं जानता था इसलिए बतौर सहायक निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ फिल्म ' गैंग्स ऑफ वासेपुर' में काम किया। इसके बाद फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' में छोटी भूमिका मिली। फिर 'मसान' में मुख्य किरदार। उसके बाद फिल्मों का सफर तय करता गया। मुझे 'संजू', 'राजी', 'उरी' फिल्मों में काफी पंसद किया गया। अपने इस दिलचस्प सफर के बाद मेरी दर्शकों के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैं हर तरह के किरदार निभाना चाहता हूं और मरते दम तक काम करना चाहता हूं। मुझे अभिनय से प्यार है और मैं अच्छे किरदारों का भूखा हूं इसलिए मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं हर तरह की फिल्में करना चाहूंगा।

सवाल : आपका कोई ड्रीम रोल है जिसे आपकी करने की इच्छा है?

● मुझे खेल पर आधारित फिल्म करने की इच्छा है। अगर किसी खिलाड़ी पर आधारित बायोपिक मुझे ऑफर की जाएगी तो मैं उसे जरूर करना चाहूंगा।

खबर कोना

नुसरत भरूचा की एक और 'छलांग'

नुसरत भरूचा पिछले दिनों अपने थाई-हाई स्लिट गाउन को लेकर सुर्खियों में रहीं। वहीं खबर है कि नुसरत और बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव अभिनीत फिल्म 'छलांग' अब 12 जून को रिलीज होगी। पहले यह फिल्म 13 मार्च को रिलीज होने वाली था। लेकिन अब इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। हाल ही में फिल्म निर्माताओं ने इसकी जानकारी दी। निमार्ताओं ने यह निर्णय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। फिल्म की कहानी स्कूल के एक पीटी टीचर की है। निमार्ता लव रंजन ने कहा, 'हमें लगता है कि छलांग, लव फिल्म्स की सबसे प्रेरणादायक और खूबसूरत फिल्मों में से एक है और इस तरह की विशेष फिल्म एक बेहतर रिलीज की हकदार है।' आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज डेट से पहले फिल्म के नाम में भी बदलाव किया गया था। पहले फिल्म का शीर्षक 'तुर्रम खान' था, जिसे बदल कर 'छलांग' कर दिया गया। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित 'छलांग' के निर्माता अजय देवगन, लव रंजन और अंकुर गर्ग है। इस फिल्म में मोहम्मद जीशान अयूब और सौरभ शुक्ला भी हैं। नुसरत और राजकुमार 2010 में आई फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' में साथ नजर आए थे।

बिंद्रा के पिता की भूमिका में अनिल

बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया यानी अनिल कपूर ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की बायोपिक की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता ने ट्वीट कर इस बारे में बताया। अनिल कपूर ने हर्षवर्धन और बिंद्रा के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'शुरुआत हो रही है'। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर फिल्म में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की भूमिका निभा रहे हैं। अनिल कपूर फिल्म में बिंद्रा के पिता की भूमिका में हैं। पिता-पुत्र पहली बार किसी फिल्म में एक साथ काम रहे हैं। यह फिल्म लगभग तीन साल की देरी के बाद शुरू हुई है। यह फिल्म बिंद्रा की आत्मकथा 'ए शॉट एट हिस्ट्री : माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड ऐंड बियोंड' पर आधारित है। हर्षवर्धन ने भी बिंद्रा के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'शुरुआत बहुत खास होती है। खासतौर पर तब, जब आपको कोई ऐसा किरदार निभाने को मिले जिसने देश को दुनिया भर में गौरव दिलाया हो। मुझे खुशी है कि यह मौका मुझे मिला।

जून में आएगी सैफ और रानी की 'बंटी और बबली 2'

अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म 'बंटी और बबली' का सीक्वल 'बंटी और बबली 2' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के सीक्वल में रानी मुखर्जी और सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। ग्यारह सालों बाद यह जोड़ी पर्दे पर एक साथ दिखाई देगी। सैफ और रानी एक साथ 2008 में फिल्म 'थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक' में नजर आए थे। सैफ अली खान इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की जगह बंटी के किरदार में होंगे। निर्माताओं के अनुसार इस सीक्वल में बंटी और बबली की चोर जोड़ी दस साल के बाद दो अवतारों में दिखेंगी। पहली जोड़ी में सिद्धार्थ और शरवरी की होगी और दूसरी रानी और सैफ की। 2005 में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म 'बंटी और बबली' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। फिल्म में ऐश्वर्या राय का आइटम नंबर 'कजरारे' भी बेहद हिट रहा था।

'थप्पड़' को लेकर झिझके थे पावेल गुलाटी

'मे ड इन हैवेन', 'घोस्ट स्टोरिज' जैसी वेब सीरिज और टीवी शो 'युद्ध' से मशहूर हुए पावेल गुलाटी को फिल्म 'थप्पड़' की कहानी एकतरफा लगी थी और वे इस फिल्म में काम करने के बारे में निश्चित नहीं थे। लेकिन अनुभव सिंहा के निर्देशन में काम करने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह फिल्म घरेलू हिंसा को सामान्य मानने जैसे बड़े मुद्दे पर चोट है। पावेल ने कहा, 'फिल्म एक पति-पत्नी के बारे में है, ये देखकर शुरुआत में इसमें काम करने को लेकर मैं झिझक रहा था। यह मुझे एकतरफा कहानी की तरह लगी लेकिन जब मैंने पूरी पटकथा पढ़ी तो मैंने तय कर लिया कि मैं यह फिल्म करना चाहता हूं।' उन्होंने कहा, 'इसकी पटकथा बहुत अच्छे से लिखी गई है और यहां दोनों पक्षों की कहानी दिखाएगी। बहुत कम फिल्में अच्छा और बुरा दोनों हिस्सा दिखाकर न्याय कर पाती हैं। यह कोई पुरुष-विरोधी फिल्म नहीं है। इसमें संतुलन है।

माधुरी के प्रथम नायक तापस पाल का जाना

जयनारायण प्रसाद

बांग्ला फिल्मों के जाने-माने अभिनेता तापस पाल का निधन कई मायनों में दुखद है। वे एक कुशल अभिनेता थे। उनकी फिल्में बंगाल में एक जमाने में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुआ करती थीं। तापस पाल हिंदी फिल्मों की सफल और नंबर वन नायिका माधुरी दीक्षित के पहले हीरो भी थे।

माधुरी दीक्षित की पहली हिंदी फिल्म 'अबोध' थी। 1984 में बनी थीं इस फिल्म के निर्देशक हिरेन नाग थे। यह फिल्म बहुत सफल तो नहीं थीं, लेकिन हिरेन नाग को माधुरी दीक्षित के करिअर को संवारने और लांच करने का श्रेय दिया जाता है। उस समय बंबई में माधुरी दीक्षित माइक्रोबायोलॉजी लेकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थीं। सिनेमा में मौका मिला तो पढ़ाई छोड़ कर तापस पाल की नायिका बन गईं। फिर, फिल्मकार एन चंद्रा की 'तेजाब'(1988) ने ऐसा तूफान लाया कि सबके होश उड़ गए।

स्मृति शेष

तापस पाल का जन्म 29 सितंबर 1958 को हुआ था। कोलकाता से सटे हुगली जिले के मोहसिन कॉलेज से बायो साइंस में ग्रेजुएट तापस पाल, माधुरी दीक्षित के पहले हीरो जरूर थे, पर बांग्ला सिनेमा में वे वर्ष 1980 में ही आ गए थे। माधुरी दीक्षित के सिनेमा में आने से चार साल पहले। तापस पाल ने बाईस साल की उम्र में अपने फिल्मी करिअर की शुरुआत की थी।

बांग्ला भाषा में 'दादार कीर्ति'(1980) तापस पाल की पहली फिल्म थीं। इस फिल्म को बांग्ला सिनेमा के मशहूर फिल्मकार तरुण मजुमदार ने निर्देशित किया था। ये वही तरुण मजुमदार हैं, जिन्होंने हिंदी में 'बालिका बधु' फिल्म बनाई है। अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो में शुमार तापस पाल ने हिंदी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन कुछ बेहतरीन बांग्ला फिल्मों में उनकी भूमिका को आज भी यादगार माना जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त फिल्मकार बुद्धदेव दासगुप्ता की तीन बांग्ला फिल्में 'उत्तरा' (2000), 'मंदो मेयेर उपख्यान' (2002) और 'जनाला'(द विंडो, 2009) तापस पाल के उत्कृष्ट अभिनय के लिए आज भी जानी जाती हैं।

तापस पाल को उनकी बांग्ला फिल्म 'साहेब'(1981) में बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 'दादार कीर्ति'(1980) और 'गुरुदक्षिणा'(1987) भी उनकी बेहतरीन अभिनय वाली बांग्ला फिल्में मानी जाती हैं। बांग्ला फिल्मों के सफल अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तपस पाल का मात्र 61 वर्ष की आयु में निधन सालता है। उनके अचानक गुजर जाने से बांग्ला फिल्म जगत जितनी गमगीन है, शायद माधुरी दीक्षित भी उतनी ही शोकाकुल होंगी। आखिर, तापस पाल उनके पहले हीरो जो थे।

हाथी-हिरण की चाल और पिया की याद

शशिप्रभा तिवारी

कथक नृत्यांगना ऋचा गुप्ता जयपुर घराने की समर्पित कलाकार हैं। वह वर्षों से नृत्य साधना में जुटी हैं। जयपुर घराने के गुरु घनश्याम गंगानी के सानिध्य में ऋचा नृत्य की बारीकियों को ग्रहण करती रही हैं। गुरु-शिष्य का यह गहरा संबंध सराहनीय है। समय के साथ गुरु-शिष्य का संबंध गहरा हुआ है, वहीं ऋचा के नृत्य में परिपक्वता आई है। इसकी झलक पिछले दिनों हुए नृत्य समारोह में दिखी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कथानक की ओर से नृत्य समारोह आयोजित था। यह समारोह प्रसिद्ध गायक पंडित ज्वाला प्रसाद की स्मृति में आयोजित किया गया था। पंडित ज्वाला प्रसाद ने कथक के कलाकारों के लिए विशेषतौर पर संगीत रचनाएं की हैं। उन्होंने कृष्ण नृत्य रचना के लिए संगीत निर्देशन किया था, जिसे आज भी कलाकार और रसिकजन याद करते हैं। उनकी खुली, दमदार और पुरकशिश आवाज की वजह से उमा शर्मा, शोवना नारायण जैसी गायिकाओं की प्रस्तुतियां जानदार बन पड़तीं थीं। शायर मिर्जा गालिब की गजल 'आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक..' को ज्वाला प्रसादजी ने बहुत ही प्रभावी अंदाज में गाया था। इसी को याद कर और उनकी स्मृति में ऋचा ने इस गजल का चयन अपनी प्रस्तुति के लिए किया। जिसपर कथक नृत्यांगना ऋचा ने बहुत ही मोहक भाव पेश किए। उन्होंने नायिका के एक-एक भाव को अपने नृत्य के जरिए दर्शाया, जो जयपुर घराने के कलाकरों में कम ही देखने को मिलता है। कारण कि जयपुर घराने के कलाकारों का जोर कवित्त और तकनीकी पक्ष को ज्यादा पेश करना होता है।

कथक नृत्यांगना ऋचा ने नृत्य का आरंभ दस मात्रा से किया। उन्होंने उपज में पैर का काम पेश किया। प्राचीन परण 'धा धिंन ना धि धि तक' में हिरण के चलन का अंदाज दिखाया। थाट में नायिका के खड़े होने का अंदाज पेश

किया। वहीं परमेलू 'त त तक दिग त धलांग' में राधा-कृष्ण की छेड़छाड़ के अंदाज को दर्शाया। वहीं गज परण में गज के चलन को पेश किया। गौरतलब है कि गज परण अब बहुत कम कलाकार करते हैं। वहीं तकनीकी पक्ष को उन्होंने तराने में और अधिक उभारा। यह तराना राग चारूकेशी और तीन ताल में था। इस प्रस्तुति के दौरान तिहाइयों, चक्कर और चक्करदार तिहाइयों का प्रयोग खासतौर पर किया गया।

बड़े गुलाम अली खां साहब ने ठुमरी 'याद पिया की आए' को रसीले ढंग से गाया है। उनकी इस ठुमरी को पटियाला घराने के कलाकार आज भी बड़े मन से गाते हैं। इसी ठुमरी को ऋचा ने अपने नृत्य में पिरोया। नायिका के विरह भावों को ऋचा ने निभाने की अच्छी कोशिश की। वैसे गायक माधव प्रसाद ने इस ठुमरी को भरसक अपने अंदाज में गाया। इस प्रस्तुति के संगत कलाकार थे-तबले पर फतह सिंह गंगानी, सितार पर खालिद मुस्तफा, सारंगी पर कमाल अहमद और पढंत पर मनोज गंगानी।

नूतन (4 जून, 1936- 21 फरवरी, 1991)

'अनारकली' के पीछे की कहानी

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

नूतन 1951 में 'मुगले आजम' में दिलीप कुमार की अनारकली नहीं बन सकीं। रणजीत के सेठ चंदूलाल शाह की राज कपूर, दिलीप कुमार, नूतन को लेकर बनने वाली फिल्म भी नहीं बनी। 1951 में ही दिलीप कुमार-नूतन की 'शिकवा' अधबीच में बंद हो गई। इस तरह युवा नूतन किसी भी फिल्म में युवा दिलीप कुमार की हीरोइन नहीं बन पाईं। एक्टिंग के दो पॉवर हाउस को एक साथ परदे पर देखने के लिए दर्शकों को 35 साल इंतजार (कर्मा, 1986) करना पड़ा। हिंदी सिनेमा की सुंदर और संवेदनशील अभिनेत्रियों में से एक मानी गईं नूतन की आज 29वीं पुण्यतिथि है।

नूतन को कुछ भी आसानी से नहीं मिला। खूब मेहनत करनी पड़ी। 'मुगले आजम' ने मधुबाला को, 'पाकीजा' ने मीना कुमारी को और 'गाइड' ने जिस तरह से वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में अमर कर दिया, वैसी कोई सुपर डुपर हिट फिल्म नूतन को नहीं मिली। 'बंदिनी', 'सीमा', 'सुजाता', 'मिलन', 'मैं तुलसी तेरे आंगन की' जैसी फिल्मों से पांच फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के बावजूद नूतन फिल्मजगत में 'अच्छी अभिनेत्री' 'सशक्त अभिनेत्री' से आगे नहीं बढ़ पाईं। एक सुनहरा मौका जरूर नूतन को मिला था। 1951 में 'मुगले आजम' की अनारकली के रूप में के आसिफ ने उन्हें चुना था तब फिल्म का नाम 'अनारकली' था। दरअसल 1944 में आसिफ ने 15 साल की नरगिस को लेकर यह फिल्म शुरू की थी। मगर उसमें पैसा लगाने वाले शिराज अली विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, तो फिल्म बंद हो गई। 1951 में कारोबारी शापूरजी पालोन जी ने इसमें पैसा लगाना तय किया, तो यह फिर शुरू हुई और 15 साल की नूतन को अनारकली का प्रस्ताव दिया। जिस उम्र में लोग ठीक से अपने कपड़ों के डिजाइन नहीं चुन पाते हैं, नूतन को ऐतिहासिक किरदार चुनना था। वह हिम्मत नहीं जुटा पाई। भूमिका कठिन लगी, तो आसिफ से कहा कि अनारकली तो आप नरगिस को ही बनाइए। उनके इनकार के बाद मधुबाला को लेकर फिल्म 'मुगले आजम' नाम से बनी। इस तरह से नूतन 'मुगले आजम' की अनारकली बनते-बनते रह गई।

1951 में तीन-तीन अनारकलियों को एकसाथ परदे पर उतारा जा रहा था। मीना कुमारी में कमाल अमरोही, बीना राय में नंदलाल जसवंतलाल और नूतन में के आसिफ अपनी-अपनी अनारकलियां देख रहे थे। नूतन की तरह मीना कुमारी की किस्मत में भी अनारकली बनना नहीं लिखा था। महाबलेश्वर से मुंबई आते समय दुर्घटना में उनकी उंगली टूट कर मुड़ गई थी। वह पुणे के ससून अस्पताल में थी और अनारकली बनने की मनोस्थिति में नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि कब तक अपने हाथ को दुपट्टे से ढंक कर रखेंगी। कमाल अमरोही रोज उनका हालचाल पूछने अस्पताल जाते थे। कमाल ने जब देखा कि मीना अनारकली बनने में झिझक रही हैं तो आखिर एक दिन उन्होंने मीना की कलाई पर 'मेरी अनारकली' लिखा, नीचे अपना नाम लिखा और 'अनारकली' को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तब तक नंदलाल जसवंतलाल 'अनारकली' (1953) बना कर परदे पर उतार चुके थे, जिसमें बीना राय 'ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया...' और 'जाग दर्द इश्क जाग...' गा रही थी। उधर अमरोही के दिमाग में बसी अनारकली और के आसिफ के जेहन की अनारकली मधुबाला में सिमट कर 'मुगले आजम' में परदे पर उतरी। 'मुगले आजम' के पांच लेखकों में एक अमरोही भी एक थे।

इस तरह मीना कुमारी और नूतन के हाथ से अनारकली बनने का सुनहरा मौका निकल गया। मगर बाद में दोनों ने अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। मीना 'पाकीजा' (1972) से लोगों के दिलों में बस गईं और नूतन 'सुजाता', 'बंदिनी', 'सीमा', 'मैं तुलसी तेरे आंगन की' जैसी फिल्मों से।

बयानवीर नेताओं को नाथने की तैयारी में कांग्रेस हाईकमान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

- संदीप दीक्षित को सुरजेवाला की नसीहत, बयानबाजी करने के बजाय अपने क्षेत्र पर ध्यान दें
- दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है दिल्ली के नेताओं को
- दिल्ली में हार के बाद से ही पार्टी नेताओं की बयानबाजी जारी है

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के मद्देनजर सूबे के पार्टी नेताओं के बीच जारी बयानबाजी से नाराज पार्टी हाईकमान दिल्ली के नेताओं पर सियासी लक्षित हमला करने की तैयारी में है। विधानसभा का चुनाव होने से पहले ही अंदरखाने लड़ते रहे दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको व प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर उनकी छुट्टी की जा चुकी है जबकि कुछ अन्य कुर्सियां भी हिलने वाली हैं। पार्टी ने अध्यक्ष पद को लेकर दिए गए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र व पूर्व कांग्रेसी सांसद संदीप दीक्षित को भी यह नसीहत दी है कि वे बयानबाजी बंद कर अपने क्षेत्र पर ध्यान दें और सोचें कि कांग्रेस क्यों हारी। कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली से बाहर भेजने की तैयारी है।

दीक्षित ने पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने में विलंब को लेकर वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतने महीनों बाद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर सके। इसका कारण यह है कि वे सब यह सोच कर डरते हैं कि पहल कौन करे। उनके बयान पर पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा, 'मैंने संदीप दीक्षित का बयान नहीं देखा है, लेकिन मैं उनके समेत सभी नेताओं से कहता हूं कि पहले वे यह देखें कि चुनाव लड़े तो कितने वोट आए और चुनाव क्यों हारे? इसमें मैं भी हूं। संदीप दीक्षित अगर ये सारी मेहनत अपने संसदीय क्षेत्र में लगा दें तो कांग्रेस जीत जाए। उन्होंने कहा कि मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि पूरे देश को ज्ञान देने के बजाय अपने अपने क्षेत्र में अपने काम से फायदा उठाएं।'

दिलचस्प यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने दीक्षित के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना चाहिए ताकि पार्टी कैडर में ऊर्जा का नया संचार हो सके। थरूर ने ट्वीट कर कहा, 'संदीप दीक्षित ने जो कहा है वह देश भर में पार्टी के दर्जनों नेता निजी तौर पर कह रहे हैं। इनमें से कई नेता पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीडब्ल्यूसी से फिर आग्रह करता हूं कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए अध्यक्ष का चुनाव कराएं।'

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान संदीप दीक्षित सहित दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग राज्यों का प्रभारी बनाकर नई जिम्मेदारी सौंप सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में पार्टी की अगुआई नए व युवा हाथों में सौंपी जा सकती है। इसी कवायद के तहत प्रभारी के तौर पर दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे शक्ति सिंह गोहिल ने पिछले दो दिनों में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों जय प्रकाश अग्रवाल, अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा योगानंद शास्त्री आदि से मुलाकात कर उनसे अध्यक्ष पद के लिए तीन योग्य नेताओं के नाम सुझाने का आग्रह किया है। दिल्ली अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र यादव, अभिषेक दत्त, रागिनी नायक व अलका लांबा का नाम चर्चा में है।

फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को स्वैच्छिक बनाने को लेकर गुरुवार को केंद्र की राजग सरकार की निंदा की। उसने आरोप लगाया कि इस योजना को गुपचुप तरीके से बंद किया जा रहा है और अब किसानों को प्रीमियम की 27 फीसद राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि राजग सरकार ने फसल बीमा योजना की आड़ में निजी कंपनी मुनाफा योजना चलाई है जिससे निजी बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार शाम देश के किसान पर एक और हमला बोला जब गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि में सौ फीसद कटौती कर देश के किसान को अपने रहमोकरम पर छोड़ दिया।

सुरजेवाला ने कहा-अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दो फीसद बीमा प्रीमियम राशि किसान द्वारा दी जाती थी व बाकी 98 फीसद बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र व प्रांतीय सरकारों द्वारा 50 फीसद-50 फीसद की हिस्सेदारी में किया जाता था। लेकिन राजग सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर यह निर्णय किया कि भारत सरकार बीमा प्रीमियम राशि की 50 फीसद की बजाए केवल 25 फीसद राशि का भुगतान ही करेगी। उन्होंने दावा किया कि किसान को अब 27 फीसद बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि जब भारत सरकार ही अपनी प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं कर रही, तो फिर प्रांतीय सरकारों को अपने हिस्से का 50 फीसद देने के लिए बाध्य कौन करेगा? उन्होंने कहा कि अगर प्रांतीय सरकारों ने भी देय प्रीमियम राशि में 25 फीसद की कटौती की तो फिर किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि बढ़ कर 52 फीसद हो जाएगी जिसका भुगतान किसान के लिए असंभव होगा।

सुरजेवाला ने दावा किया कि मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि देश के 151 जिलों के लिए अब एक नई योजना बनाएंगे। मतलब साफ है कि देश के कुल लगभग 732 जिलों में से 151 आपदाग्रस्त जिलों में फसल बीमा योजना अब लागू ही नहीं रहेगी। दूसरी ओर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी ट्वीट कर कहा-फसल बीमा योजना में केंद्र द्वारा अपना अंशदान घटाने से ज्यादा बड़ा किसान विरोधी कदम और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना के दायरे में अधिक भूक्षेत्र लाने की जरूरत है और इस योजना का कवरेज घटाने से लाखों किसानों के लिए भारी नुकसान का जोखिम पैदा हो गया है।

कांग्रेस पार्टी गलतफहमी पैदा कर रही है : हुसैन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की है और सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किए हैं। कांग्रेस पार्टी गलतफहमी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में जो त्रुटियां थीं उन्हें दूर किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता बिना बात इस योजना पर बयानबाजी कर रहे हैं जबकि किसान जानते हैं कि उनकी कोई चिंता करने वाले हैं तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

'एनसीआर में 5000 अवैध ई-कचरा इकाइयों पर नई रपट दो'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) और यूपीपीसीबी को दिल्ली में और उसके आसपास 5000 अवैध ई-कचरा प्रसंस्करण इकाइयां संचालित होने के आरोप वाली याचिका पर गुरुवार को नई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने आदेश दिया कि डीपीसीसी दिल्ली के क्षेत्र के संबंध में पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला कलेक्टरों, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गाजियाबाद के जिला कलेक्टर के साथ समन्वय करते हुए 23 अप्रैल से पहले रिपोर्ट जमा करे।

मंदिर शिलान्यास का प्रधानमंत्री को न्योता

पेज 1 का बाकी

अस्थायी मंदिर के निर्माण का फैसला किया गया है। तिरपाल से फाइबर के अस्थायी मंदिर में मूर्तियों को ले जाया जाएगा। रामलला गर्भगृह से 150 मीटर दूर बुलेट प्रूफ मंदिर में विराजेंगे।

दौरे पर चीनी आपत्ति खारिज

पेज 1 का बाकी

संदर्भ में सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि भारत के नेता समय समय पर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर जाते रहते हैं, जैसा कि वे देश के अन्य इलाकों में जाते हैं और भारतीय नेता की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन की आपत्ति बेवजह है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की यात्रा पर आपत्ति जताई और कहा कि उनकी यात्रा बेजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और आपसी राजनीतिक विश्वास पर प्रहार करती है। चीन ने कहा कि वह उनकी यात्रा का 'दृढ़ता से विरोध' करता है।

खुशहाली के लिए अभी तय करना है लंबा सफर

पेज 1 का बाकी

लंदन में विश्व स्वास्थ्य एवं संवहनीयता के प्रोफेसर एंथनी कोटेलो ने कहा, 'दुनिया का कोई भी देश ऐसी परिस्थितियां मुहैया नहीं करवा रहा है जो हर बच्चे के विकसित होने और स्वस्थ्य भविष्य के लिए आवश्यक है। बल्कि उन्हें तो जलवायु परिवर्तन तथा व्यावसायिक मार्केटिंग का सीधे-सीधे खतरा है।' उत्तर जीविता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण दरों के मामलों में नॉर्वे पहले स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड है। हालांकि प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में चाड को छोड़कर बाकी के ये देश बहुत पीछे हैं जो देश 2030 के प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के मुताबिक चल रहे हैं वे हैं अल्बानिया, आर्मेनिया, ग्रेंडा, जॉर्डन, मोलदोवा, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, उरुग्वे तथा वियतनाम।

सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस

पेज 1 का बाकी

की नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी को अधिसूचित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का निर्णय करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने 22 जनवरी को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान फिर स्पष्ट किया था कि नागरिकता संशोधन कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने केंद्र को इन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि त्रिपुरा और असम के साथ ही उत्तर प्रदेश से संबंधित मामले, जो नियम तैयार हुए बगैर ही कानून पर अमल कर रहे हैं, पर अलग से विचार किया जा सकता है।

उपहार सिनेमा अग्निकांड पीड़ितों के संघ की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले के पीड़ितों के एक संघ की सुधारात्मक याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इसका अर्थ यह हुआ कि अंसल बंधुओं की कारावास की सजा और नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने उपहार कांड पीड़ित संघ (एवीयूटी) की सुधारात्मक याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया।

जजों ने अपने आदेश में कहा, 'हमने सुधारात्मक याचिका और प्रासंगिक दस्तावेजों पर गौर किया है। हमारी राय में, कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले नौ फरवरी 2017 को तीन जजों की पीठ ने एक के विपरीत दो के बहुमत वाले फैसले में 78 साल के सुशील अंसल को आयु संबंधी दिक्कतों के चलते उसके जेल में रहने की अवधि के बराबर सजा देकर राहत दे दी थी। पीठ ने हालांकि उसके छोटे भाई गोपाल अंसल से मामले में शेष बची एक साल की सजा पूरी करने को कहा था। एवीयूटी ने सुधारात्मक याचिका दायर करके इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया था।

दिल्ली के उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को 'बार्डर' फिल्म के प्रदर्शन के दौरान लगी आग में 59 लोग मारे गए थे।

दसवीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में हो : नायडू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

दसवीं तक की पढ़ाई के लिए मातृभाषा का उपयोग होना चाहिए। एक स्तर की नौकरियों के लिए भारतीय भाषाओं की जानकारी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये बातें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की ओर से आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा' दिवस के मौके पर कहीं। कार्यक्रम में एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य मंत्री संजय धोत्रे और संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और प्रसार महत्त्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान 22 भाषाओं में बात की। उन्होंने देश के लोगों से कहा कि उन्हें मातृभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने की शपथ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में एचआरडी मंत्री ने कहा कि मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हर कोई बिना किसी प्रयास के सीखता है और जिसके साथ उसका भावनात्मक लगाव होता है। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम भर नहीं होती है बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक जुड़ाव बोलने वाले के साथ समाज से भी होता है। इसलिए हमें न सिर्फ दूसरे लोगों की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना है बल्कि उसे सीखना भी है।

निशंक ने कहा कि एक ओर हमें इस बात का गर्व है कि भारत में सबसे अधिक भाषाएं हैं, उन्हें इस बात की चिंता भी है कि यूनेस्को ने 196 भारतीय भाषाओं को खत्म होने की कगार वाली सूची में रखा है। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि हम जरूरत के मुताबिक बहुत सी भाषाओं को सीखते हैं लेकिन हमारा भावनात्मक जुड़ाव हमेशा मातृभाषा से ही रहता है। उन्होंने कहा कि भारत की हर भाषा का इतिहास बहुत वृहद है। एचआरडी राज्य मंत्री धोत्रे ने कहा कि हम अपनी मातृभाषा में ही सबसे बेहतर समझ और बोल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि शुरुआती पढ़ाई मातृभाषा में ही कराई जाए।

तयशुदा रास्ते से ही गुजरेगा ट्रंप-मोदी का काफिला

पेज 1 का बाकी

मोदी और ट्रंप के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि ट्रंप के दौरे के दौरान पांच सहमति पत्रों पर दस्तखत के लिए बातचीत चल रही है। 'अमेरिका के साथ भारत ने अच्छा व्यवहार नहीं किया' संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके बयान का संदर्भ व्यापार संतुलन से था और उन चिंताओं पर ध्यान देने के प्रयास किए गए हैं। रवीश कुमार ने कहा, 'जिस संदर्भ में यह दिया गया है, उसे समझना महत्त्वपूर्ण है। ट्रंप के बयान का संदर्भ व्यापार संतुलन से था, उन चिंताओं पर ध्यान देने के प्रयास किए गए हैं।'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं जिसमें दोनों देशों के बीच के सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने सहित रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, व्यापार, ऊर्जा, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, 'हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इससे हमारे वैश्विक सामरिक संबंध और मजबूत होंगे।' उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच वार्ता समग्र होगी।

इस बीच, अमदाबाद नगर निगम के आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस महीने की 24 तारीख को होने वाले रोड शो में एक से दो लाख लोगों के आने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यक्रम में एकत्र होने वाले लोगों की जिस संख्या का दावा किया है, उससे यह आंकड़ा बहुत कम है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था, 'वह (मोदी) कहते हैं कि हवाईअड्डे और स्टेडियम के बीच 70 लाख लोग शामिल होंगे। यह बहुत उत्साहजनक होगा।' इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद की कुल जनसंख्या लगभग 70 लाख है। नेहरा ने कहा कि हवाईअड्डे से स्टेडियम के बीच रोड शो के 22 किलोमीटर लंबे मार्ग में एक से दो लाख लोगों के कतार में खड़े होने की उम्मीद है। इससे पहले आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में उच्चस्तरीय बैठक कर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होने वाले रोड शो की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार की ओर से यहां जारी बयान में कहा गया है कि गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने यातायात प्रबंधन और रोड शो के लिए 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सुरक्षा के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस बैठक में गुजरात के मुख्य सचिव अनिल मुकीम, पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा और अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त विजय नेहरा शामिल हुए।

चुनावी हलफनामा मामले में अदालत में पेश फडणवीस को जमानत

नागपुर, 20 फरवरी (भाषा)।

- मजिस्ट्रेट ने कहा, 'आरोपी (फडणवीस) अदालत में पेश हो गए। अपराध जमानती हैं। उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है इसलिए जमानत दी जाती है।'

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस एक आपराधिक मामले में गुरुवार को नागपुर की एक अदालत में पेश हुए।

यह मामला 2014 में चुनावी हलफनामे में फडणवीस द्वारा अपने खिलाफ कथित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने से जुड़ा है। फडणवीस के खिलाफ की गई शिकायत में उन पर आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएस इंगले ने गुरुवार को अदालत में पेश होने का अंतिम मौका दिया था। अदालत में फडणवीस की पेशी के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मजिस्ट्रेट ने कहा, 'आरोपी (फडणवीस) अदालत में पेश हो गए। अपराध जमानती हैं। उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है इसलिए जमानत दी जाती है।'

अदालत अधिवक्ता सतीश उके की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले पर अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। नवंबर 2019 से फडणवीस को पेशी से चार बार छूट दी गई थी।अदालत में पेश होने के बाद फडणवीस ने बाहर मौजूद संवाददाताओं से कहा कि उनका चुनावी हलफनामा उनके वकील ने दायर किया था। फडणवीस ने कहा, 'मेरे खिलाफ जो दो मामले हैं वे सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़े हैं। मेरे खिलाफ कोई भी निजी शिकायत नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मामलों में सुलह हो चुकी है।

नियंत्रण रेखा पार 15-20 आतंकी ठिकाने : नरवणे

पेज 1 का बाकी

बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संख्या में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सेना चौकस है। सतर्कता और कार्रवाई के कारण कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और सेना आतंकी समूहों पर दबाव बनाकर रख रही है। उन्होंने पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की बैठक को लेकर कहा कि आतंकवाद के सवाल को लेकर पाकिस्तान पर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार का दबाव है। क्योंकि चीन ने भी माना है कि वह अपने इस मित्र देश का हर समय समर्थन नहीं कर सकते। वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ के एक उप-समूह ने मंगलवार को सिफारिश की थी कि पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद नहीं रोक पाने पर संदिग्ध सूची (ग्रे लिस्ट) में ही रखना चाहिए।

सेना प्रमुख ने कहा कि सेना लैंगिक समानता लाने के लिए प्रयासरत है और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस दिशा में आगे बढ़ने में काफी स्पष्टता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद महिला अधिकारियों को इस आशय के पत्र जारी किए जा रहे हैं। जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना किसी जवान से धर्म, जाति, वर्ण और यहां तक कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। भारतीय सेना का नजरिया हमेशा से ऐसा ही रहा है और इसलिए हमने 1993 में ही महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हर स्तर पर महिलाओं की भर्ती के लिए पहल की है और सैन्य पुलिस केंद्र तथा स्कूल कोर में 100 महिला सैन्यकर्मियों के पहले बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शाहीन बाग पहुंचे वार्ताकारों ने मीडिया से बनाई दूरी

पेज 1 का बाकी

दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले दो महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे गुरुवार को दूसरे दिन पहुंचे वार्ताकारों में से एक साधना रामचंद्रन थोड़ी नाराज हो गईं। बातचीत के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को गलत कह दिया था। साधना रामचंद्रन ने कहा कि यहां ऐसे ही माहौल रहा तो हमें यहां आगे क्यों आना चाहिए। हालाकि जल्द ही माहौल फिर सामान्य हो गया। गुरुवार को शाहीन बाग में संवाद का दूसरा सत्र था। पहले सत्र की बातचीत बेनतीजा रही थी। नई उम्मीदों से बात आगे बढ़ी है। वार्ताकार प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं कि आंदोलन तो हक है लेकिन ट्रैफिक रुकने से आम लोगों को हो रही दिक्कतों को भी समझना होगा। लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि बातचीत को नतीजे पर पहुंचने में समय लगेगा।

अनुच्छेद 371 को कोई नहीं हटा सकता

पेज 1 का बाकी

दायरा पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक है। इसके तहत सबसे अधिक अधिकार नगालैंड को हासिल हैं, जहां बाहर से कोई जाकर जमीन नहीं खरीद सकता और संसद से पास कई कानून लागू नहीं होते। उनके कई कानून अपनी नगा संस्कृति और कायदे से संचलित होते हैं। इसमें आगे का रास्ता क्या हो, इस पर पिछले कई साल से केंद्र और राज्य में इसके पैरोकारों के बीच वार्ता भी चल रही है। सिक्किम में जमीन पर न सिर्फ पूरी तरह स्थानीय लोगों को संरक्षण मिला है बल्कि इससे जुड़े मसले सिक्किम से बाहर की अदालत में भी नहीं जा सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक के छह जिलों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। इसके अंतर्गत इनके लिए अलग बोर्ड गठित हैं और सरकारी नौकरियों में भी तरजीह मिलती है।

गृहमंत्री ने कहा, 'जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था, तब पूर्वोत्तर में ये अफवाहें भी उड़ रही थीं कि अनुच्छेद 371 भी हटा दिया जाएगा, लेकिन अरुणाचल और मिजोरम के स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी अनुच्छेद 371 को हटा नहीं सकता और न ही किसी की ऐसी मंशा है।'

शाह ने कहा कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर सिर्फ भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से भारत से जुड़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब पूर्वोत्तर के राज्य हमारे दिलों और आत्मा से भी जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उग्रवाद और सीमा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने कि लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'हम जब 2024 में आपके पास वोट मांगने आएंगे तो पूर्वोत्तर उग्रवाद और राज्य की सीमाओं जैसी समस्याओं से आजाद हो चुका होगा।

'राष्ट्रवाद को अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता'

पेज 1 का बाकी

सिर्फ भारत ही निजात दिलवा सकता है। ऐसे में हिंदुस्तान को दुनिया का नेतृत्व करने की सोचना चाहिए। देश की एकता ही असली ताकत है। उन्होंने कहा कि हिंदू ही एक ऐसा शब्द है जो भारत को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करता है। भले ही देश में कई धर्म हों, लेकिन हर व्यक्ति एक शब्द से जुड़ा है जो हिंदू है। ये शब्द ही देश की संस्कृति को दुनिया के सामने दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संघ देश में विस्तार के साथ-साथ हिंदुत्व के एजंडे पर आगे बढ़ता रहेगा जो देश को जोड़ने का काम करेगा। भावगत ने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि संघ देश के सभी मामलों में हस्तक्षेप करता है तथा इस तरह के भ्रम फैलाने वालों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कट्टरता और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं दुनिया भर में शांति को बाधित कर रही हैं और इनका समाधान केवल भारत के पास है क्योंकि उसके पास समग्र रूप से सोचने और इस समस्याओं से निपटने का अनुभव है। उन्होंने कहा, 'दुनिया भारत का इंतजार कर रही है, इसलिए भारत को एक महान राष्ट्र बनना होगा।

नागौर में दलितों से बर्बरता, सात आरोपी गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

वह स्तब्ध करने वाले इस अपराध के दोषियों को न्याय की जद में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर मारपीट व बर्बरता का वीडियो वायरल हो गया है। यह घटना 16 फरवरी की है जो पांचौड़ी थाना क्षेत्र के करूनूं गांव में मोटरसाइकिल की सर्विस एजंसी पर हुई। एजंसी के लोगों ने दो युवकों पर चोरी का आरोप लगाकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। इसका वीडियो भी बनाया गया। आरोपियों के निजी अंगों में पेट्रोल तक डाला गया और स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल किया गया। यह वीडियो वायरल होने पर पीड़ितों ने मामला दर्ज करवाया है। उधर एजंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पैसे चुराने का मामला दर्ज कराया है।

इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सूबे के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का नाम लिए बिना कहा कि राजस्थान के गृह मंत्रालय को आत्मचिंतन करना होगा। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए तीन लोगों की समिति नागौर भेजने की बात कही है। पायलट ने कहा कि 16 फरवरी की घटना पर 20 फरवरी को मुकदमा दर्ज करना और वह भी आरोपियों की तरफ से पहले पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज करा देना गंभीर बात है।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि नागौर की भयावह घटना में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें सात आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों को न्याय मिले।

यह मुद्दा गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में भी उठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक सदन के आसन के सामने आ गए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने हाथ में बैनर ले रखे थे। हालांकि बजट के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनसे अपने-अपने स्थानों पर लौटने को कहा तो वे सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद ये तीनों विधायक नारायण बेनीवाल (खींवसर), इंद्रा देवी (मेड़ता) और पुखराज (भोपालगढ) हाथ में बैनर लेकर विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि राहुल गांधी ट्वीट से ही काम चला सकते हैं। जनता और उनकी पार्टी की सरकार गांधी की बातों को कितना तरजीह देती है, यह हमने इससे पहले के प्रकरणों में देखा है। उन्होंने कहा, 'अच्छा है अगर राहुल गांधी की ट्वीट से अशोक गहलोत सरकार सक्रिय हो जाए तो राजस्थान के लोगों को न्याय मिल जाएगा।

www readwhere com

विनय की अर्जी पर तिहाड़ के अफसरों से मांगा जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में गुरुवार को फिर मोड़ आया। फांसी की सजा पाने वाले विनय शर्मा के वकील ने अदालत को बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ और शारीरिक रूप से घायल है और बेहतर उपचार चाहता है। चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की इस याचिका पर गुरुवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा। याचिका में उसने अपनी तथाकथित मानसिक बीमारी, शिजोफ्रेनिया और सिर तथा हाथ की चोट के बेहतर उपचार का आग्रह किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शनिवार को दोषी की याचिका पर अपना जवाब पेश करें।

विनय को सिर और हाथ में चोट है। हालांकि जेल के भीतर उसका इलाज किया गया है लेकिन बकौल याची पीड़ित की हालत

निर्भया मामला

ठीक नहीं है। विनय के वकील ने अदालत को बताया कि दोषी अपनी मां सहित अन्य लोगों को नहीं पहचान पा रहा है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। लेकिन अदालत ने जेल से यथास्थिति जाननी चाही और जेल से रपट तलब किया। याचिका में दावा किया गया है कि विनय के वकील जब उसके परिवार के सदस्यों के आग्रह पर उससे मिलने जेल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दोषी के सिर में गहरी चोट लगी थी। हड्डी टूटने की वजह से उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था और वह पागलपन, मानसिक बीमारी तथा शिजोफ्रेनिया से पीड़ित था।

इसमें यह भी दावा किया गया है कि विनय लंबे समय से ठीक से नहीं सोया है और दवाओं पर निर्भरता की वजह से उसे वरिष्ठ मनोचिकित्सक के पास भेजा गया था। यह तीसरी बार है जब चारों दोषियों की मौत की सजा पर अमल के लिए यह वारंट जारी किया गया है।

विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला की सुरक्षा बढ़ाई गई

भदोही, 20 फरवरी (भाषा)।

भदोही के भाजपा विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी और उनके तीन बेटों व तीन भतीजों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी मिलने के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उससे अवैध संबंध की शुरुआत करने वाले विधायक के भतीजे संदीप तिवारी ने फेसबुक पर धमकी देते हुए कहा है कि मामला वापस ले लो वरना तेरे भाइयों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने कहा कि महिला की सुरक्षा में दो महिला और एक पुरुष कांस्टेबल तैनात किए गए हैं जो चौबीसों घंटे उसके साथ रहेंगे। महिला की शिकायत पर बुधवार को भदोही से भाजपा विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी सहित सात लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है।सिंह ने बताया कि महिला ने 10 फरवरी को एक तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके साथ भाजपा विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी और अन्य ने एक होटल में एक महीना तक बलात्कार किया। इसके अलावा एक बार जब वह गर्भवती हुई तो जबरदस्ती उसका गर्भपात करा दिया।

निर्भया के एक दोषी ने खुद को घायल किया

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने रविवार को तिहाड़ जेल की अपनी कोठरी में दीवार पर सिर पटक कर खुद को घायल कर लिया था।

अधिकारियों ने गुरुवार बताया कि घटना जेल संख्या तीन में रविवार की दोपहर हुई। उसे मामूली चोट आई है और जेल परिसर में ही उसका उपचार किया गया। जेल अधिकारियों ने बताया कि विनय ने कुछ समय के लिए खाना छोड़ दिया था। उन्होंने बताया, 'उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है और अन्य तीन दोषियों की तुलना में उसका बर्ताव भी कुछ अलग है। बाकी के तीनों की तुलना में वह अलग है, अलग तरीके से पेश आता है।' जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'रविवार दोपहर विनय ने कोठरी के भीतर दीवार पर सिर पटका, इसमें वह घायल हो गया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे तुरंत रोका तथा चिकित्सकों को बुलाया।' दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आदेश दिया था कि निर्भया मामले के चारों दोषी मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी दी जाए।

जेल परिसर में ही किया गया उसका उपचार

अदालत को सूचित किया गया कि विनय तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर था हालांकि बाद में उसने अनशन तोड़ दिया। अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे कानून के मुताबिक विनय की उचित देखभाल करें। विनय के वकील ने अदालत को सूचित किया कि दोषी के साथ जेल में मारपीट हुई है और उसे सिर में चोट आई है। उन्होंने कहा कि विनय गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती।

अदालत ने 'मानसिक रोग' के आधार को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष उठाया गया था और चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर वह याचिका अस्वीकार कर दी गई थी। रिपोर्ट में चिकित्सकों ने कहा था कि दोषी 'मानसिक रूप से संतुलित' है और 'याचिकाकर्ता की सामान्य हालत स्थिर है।' सूत्रों के मुताबिक फांसी की तारीख नजदीक आने के साथ ही चारों दोषियों की मानसिक जांच नियमित रूप से की जा रही है। चारों दोषियों को जेल संख्या तीन में अलग-अलग कोठरियों में रखा गया है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चारों दोषियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

विधि छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, आरोपी फरार

बरेली, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

जिले में विधि छात्रा के साथ अधिवक्ता और उसके मुंशी ने कचहरी परिसर स्थित कक्ष में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया।

थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत ने गुरुवार को बताया कि पुलिस ने छात्रा की मां की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ बुधवार अपराह्न रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी फरार हैं। पंत ने बताया कि छात्रा वरिष्ठ अधिवक्ता रूप किशोर के यहां वकालत का काम सीखने जाती थी। 15 फरवरी की शाम किशोर और उसका मुंशी बबलू छात्रा को लेकर कक्ष में गए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उन्होंने बताया कि छात्रा के शाम को घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोग जब अधिवक्ता के कक्ष में पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खुलवाया गया तो छात्रा बदहवास खड़ी थी। इस बीच मौका पाकर अधिवक्ता और मुंशी भाग गए।

पंत ने बताया कि परिवार के लोग छात्रा को लेकर घर आ गए। पहले तो डर के कारण छात्रा ने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन चार दिन बाद उसने बताया कि अधिवक्ता के कहने पर मुंशी ने कक्ष में बंद कर उसका फोन छीन लिया। इसके बाद अधिवक्ता और मुंशी ने बलात्कार किया। छात्रा ने आरोप लगाया है कि पहले भी अधिवक्ता शीतलपेय में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार कर चुका है। छात्रा के मुताबिक, होश आने पर अधिवक्ता ने अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाने की बात कह कर उसे डरा दिया था, इसलिए वह चुप थी।

पंत ने बताया कि बलात्कार के चार दिन बाद छात्रा की मां की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। दोनों आरोपी फरार हैं।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SUPERLATIVE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	**Superlative Infrastructure Private Limited**
2.	Date of Incorporation Of Corporate Debtor	07.12.2005
3.	Authority Under Which Corporate Debtor Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate Identity No./Limited Liability Identification No.of corporate debtor	CIN: U74899DL2005PTC143389
5.	Address of the Registered Officeand Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Address: B-292, Chandra Kanta Complex, Shop No. 8, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, New Delhi –110096.
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	19.02.2020, Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional (Hon'ble NCLT order dated 11.02.2020)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	**17.08.2020 i.e 180 days from Insolvency Commencement date.**
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Name: Mr. Udayraj Patwardhan Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-17/10057**
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Reg. Address: Sumedha Management Solutions Private Limited, C703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel West, Mumbai, Maharashtra, 400013. Reg. Email Id: udayraj_patwardhan@sumedhamanagement.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Process specific address: 809-810, 8 th Floor, B-Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel (West), Mumbai-400013 Process specific email id:superlative@sumedhamanagement.com**
11.	Last date for submission of claims	04.03.2020; being the 14 th day from the date of appointment of Interim Resolution Professional
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14	(a) Relevant Forms (b) Details of authorized representatives are available at:	**Website link for relevant forms: http://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical address: Process specific address as point per no. 10 (b) Not Applicable**

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Principal Bench, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process ("CIRP") of the Superlative Infrastructure Private Limited vide Order No. (IB)- 172(PB)/2019 dated 11.02.2020 (Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional is 19.02.2020).
The creditors of Superlative Infrastructure Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **04.03.2020** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
Note: The Hon'ble NCLT, Principal Bench, New Delhi, vide its order dated 11.02.2020 have admitted petition for Manogayan Estates Private Limited, Bhisham Infrastructure Private Limited and Superlative Infrastructure Private Limited under CIRP and ordered for consolidation of CIRP of these companies with its Holding Company i.e. Adel Landmarks Limited (undergoing CIRP).

Date:20.02.2020
Place:Mumbai

Sd/-
Udayraj Patwardhan
Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-17/10057

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF BHISHAM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	**Bhisham Infrastructure Private Limited**
2.	Date of Incorporation Of Corporate Debtor	07.12.2005
3.	Authority Under Which Corporate Debtor Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate Identity No./Limited Liability Identification No.of corporate debtor	CIN: U70101DL2005PTC143388
5.	Address of the Registered Officeand Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Address: B-292, Chandra Kanta Complex, Shop No. 8, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, New Delhi –110096.
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	19.02.2020, Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional (Hon'ble NCLT order dated 11.02.2020)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	**17.08.2020 i.e 180 days from Insolvency Commencement date.**
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Name: Mr. Udayraj Patwardhan Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-17/10057**
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Reg. Address: Sumedha Management Solutions Private Limited, C703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel West, Mumbai, Maharashtra, 400013. Reg. Email Id: udayraj_patwardhan@sumedhamanagement.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Process specific address: 809-810, 8 th Floor, B-Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel (West), Mumbai-400013 Process specific email id:bhisham@sumedhamanagement.com**
11.	Last date for submission of claims	04.03.2020; being the 14 th day from the date of appointment of Interim Resolution Professional
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14	(a) Relevant Forms (b) Details of authorized representatives are available at:	**(a) Website link for relevant forms: http://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical address: Process specific address as point per no. 10 (b) Not Applicable**

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Principal Bench, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process ("CIRP") of the Bhisham Infrastructure Private Limited vide Order No. (IB)- 172(PB)/2019 dated 11.02.2020 (Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional is 19.02.2020).
The creditors of Bhisham Infrastructure Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 04.03.2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
Note: The Hon'ble NCLT, Principal Bench, New Delhi, vide its order dated 11.02.2020 have admitted petition for Manogayan Estates Private Limited, Bhisham Infrastructure Private Limited and Superlative Infrastructure Private Limited under CIRP and ordered for consolidation of CIRP of these companies with its Holding Company i.e. Adel Landmarks Limited (undergoing CIRP).

Date:20.02.2020
Place:Mumbai

Sd/-
Udayraj Patwardhan
Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-17/10057

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MANOGAYAN ESTATES PRIVATE LIMITED
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	**Manogayan Estates Private Limited**
2.	Date of Incorporation Of Corporate Debtor	25.11.2005
3.	Authority Under Which Corporate Debtor Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate Identity No./Limited Liability Identification No.of corporate debtor	CIN: U70101DL2005PTC143002
5.	Address of the Registered Officeand Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Address: B-292, Chandra Kanta Complex, Shop No. 8, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, New Delhi –110096.
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	19.02.2020, Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional (Hon'ble NCLT order dated 11.02.2020)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	**17.08.2020 i.e 180 days from Insolvency Commencement date.**
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Name: Mr. Udayraj Patwardhan Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-17/10057**
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Reg. Address: Sumedha Management Solutions Private Limited, C703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel West, Mumbai, Maharashtra, 400013. Reg. Email Id:udayraj_patwardhan@sumedhamanagement.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Process specific address: 809-810, 8 th Floor, B-Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel (West), Mumbai-400013 Process specific email id:manogayan@sumedhamanagement.com**
11.	Last date for submission of claims	04.03.2020; being the 14 th day from the date of appointment of Interim Resolution Professional
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14	(a) Relevant Forms (b) Details of authorized representatives are available at:	**(a) Website link for relevant forms: http://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical address: Process specific address as point per no. 10 (b) Not Applicable**

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Principal Bench, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process ("CIRP") of the Manogayan Estates Private Limited vide Order No. (IB)- 172(PB)/2019 dated 11.02.2020 (Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional is **19.02.2020).**
The creditors of Manogayan Estates Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **04.03.2020** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
Note: The Hon'ble NCLT, Principal Bench, New Delhi, vide its order dated 11.02.2020 have admitted petition for Manogayan Estates Private Limited, Bhisham Infrastructure Private Limited and Superlative Infrastructure Private Limited under CIRP and ordered for consolidation of CIRP of these companies with its Holding Company i.e. Adel Landmarks Limited (undergoing CIRP).

Date:20.02.2020
Place:Mumbai

Sd/-
Udayraj Patwardhan
Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-17/10057

SBI
भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II
एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, फोन नं. 28762163, ईमेल : **sbi.51521@sbi.co.in**

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 (2002 का नं. 54) के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।** कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमों के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, **के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा। कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	प्रोप./गारंटर/ सम्पत्ति मालिक का नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
मैसर्स शिव ऑटोमाइल्स, कुचेसर चोपला (शाहपुर जट्ट), गढ़ दिल्ली हाईवे (हापुड़) यू.पी.	श्री राजेश्वर सिंह पुत्र श्री बाबू राम (प्रोपराईटर) तथा सम्पत्ति का मालिक	तीन मंजिला बिल्डिंग निर्माणित भूमि पर दो प्लॉट, खसरा नं. 382 का हिस्सा, गाँव शाहपुर जट, परगना + तहसील और जिला हापुड़ में स्थित, चौहद्दी : सेल डीड नं. 5587 दिनांकित 23.12.2003 के अनुसार यह सम्पत्ति श्री राजेश्वर सिंह पुत्र श्री बाबू राम के नाम पर है। (क्षेत्रफल 50 वर्ग गज), पूरब में – क्रेता का प्लॉट, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – गढ़ दिल्ली रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, चौहद्दी : सेल डीड नं. 4947 के दिनांकित 14.11.2003 के अनुसार, यह सम्पत्ति श्री राजेश्वर सिंह पुत्र श्री बाबू राम के नाम पर है। (क्षेत्रफल 100 वर्ग गज), पूरब में – 14फीट रास्ता, पश्चिम में – राम नाथ की भूमि, उत्तर में – गढ़ दिल्ली रोड, दक्षिण में – राम नाथ की भूमि, सभी सम्पत्ति की चौहद्दी (कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज), पूरब में – 14फीट रास्ता, पश्चिम में – राम नाथ की भूमि, उत्तर में – गढ़ दिल्ली रोड, दक्षिण में – राम नाथ की भूमि	19-11-2019 / 18-02-2020	रु. 49,54,073.04 और दिनांक 15.11.2019 तक

दिनांक : 18-02-2020 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. सं. 223/2017

इण्डियन ओवरसीज बैंक बनाम अल्पाइन मिनमेटल्स इण्डिया

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 25.11.2019 के अनुसार 18.03.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी:
यह नीलामी बिक्री वेबसाईट: https://forclosureindia.co पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समयः 18.03.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 02.00 बजे अप. से 03.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हुआ ते 03.00 बजे अप. के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	वाणिज्यिक इकाई सं. एफसी-01, दूसरी मंजिल, अंसल प्लाजा मॉल, पालम विहार, गुरुग्राम-122017, हरियाणा, क्षेत्रफल 272.01 वर्ग मीटर। सम्पत्ति फ्रीहोल्ड है और सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : सड़क, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : सड़क, पश्चिम : आवासीय कॉलोनी।	रु. 1.70 करोड़ (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र)	रु. 17 लाख (रुपये सत्रह लाख मात्र)
2.	वाणिज्यिक इकाई सं. एफसी-02, दूसरी मंजिल, अंसल प्लाजा मॉल, पालम विहार, गुरुग्राम-122017, हरियाणा, क्षेत्रफल 257.06 वर्ग मीटर। सम्पत्ति फ्रीहोल्ड है और सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : सड़क, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : सड़क, पश्चिम : आवासीय कॉलोनी।	रु. 1.60 करोड़ (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)	रु. 16 लाख (रुपये सोलह लाख मात्र)
3.	वाणिज्यिक इकाई सं. एफसी-03, दूसरी मंजिल, अंसल प्लाजा मॉल, पालम विहार, गुरुग्राम-122017, हरियाणा, क्षेत्रफल 657.56 वर्ग मीटर। सम्पत्ति फ्रीहोल्ड है और सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : सड़क, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : सड़क, पश्चिम : आवासीय कॉलोनी।	रु. 4.11 करोड़ (रुपये चार करोड़ ग्यारह लाख मात्र)	रु. 41.10 लाख (रुपये इकतालीस लाख दस हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल https://forclosureindia.co के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा की जायेगी।
2. ज.ध.रा. "वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली-खाता आर.सी. सं. 223/17 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा पहचान (वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व-प्रमाणित प्रति जिसमें भावी सम्पर्क के लिए पता हो, तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति के साथ अधिकतम 16.03.2020 को 3.30 बजे अपराह्न तक वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली के पास पहुँच जानी चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त ज.ध.रा. पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. भेजने वाले के विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर आदि सहित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. अथवा ज.ध.रा. के भुगतान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर "आरसी सं. 223/17" लिखा जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है" तथा "जो भी यही है" आधार पर की जा रही है।
5. संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय की कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल http://forclosureindia.com अवश्य देखें तथा/अथवा श्री वी.एल. सीकरी लाल (सहायक महाप्रबन्धक), इण्डियन ओवरसीज बैंक, आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा, रचना बिल्डिंग, चौथी मंजिल, राजेन्द्र प्लेस, 2 पूसा रोड, नई दिल्ली-110008, मोबाइल नं. +91-9969470263 पर सम्पर्क करें।
6. सम्भावित संविदाकारों को पहले ही पोर्टल के साथ स्वयं को पंजीकृत करना तथा मैसर्स 4क्लोजर, फ्लैट सं. 102, अमृता अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 20, मोती नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-500018 से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है जो कि उपर्युक्त ई-नीलामी के लिए अनिवार्य है। सम्पर्क : श्री विकास कुमार, मोबाइल : +91.08142000809, ई-मेल : info@bankauctions.in, vikas@Bankauctions.in, वेबसाइट : http://forclosureindia.com and http://iob.foreclosureindia.com.
7. संभावित संविदाकार मैसर्स 4क्लोजर, फ्लैट सं. 102, अमृता अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 20, मोती नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-500018 से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सम्पर्क : श्री विकास कुमार, मोबाइल : +91.08142000809, ई-मेल : info@bankauctions.in, vikas@Bankauctions.in, वेबसाइट : http://forclosureindia.com and http://iob.foreclosureindia.com.
8. जिन संविदाकारों के पास वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड धारक तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से ज.ध.रा. का सुनिश्चित भुगतान होगा केवल वे ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
9. इच्छुक संविदाकार जिन्होंने 167.03.2020 को 3.00 बजे सायं तक आरक्षित मूल्य से अधिक पर अपनी संविदाएँ जमा कर दी हैं केवल वे ही 18.03.2020 को 02.00 बजे अप. से 03.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो जायेगा।
10. संविदाकार रु. 1,00,000/ (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे।
11. सफल/उच्चतम संविदाकार को धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के पश्चात वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 223/17 के पक्ष में विक्रय राशि के 25% का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर ई-नीलामी की समाप्ति के 24 घण्टों के भीतर तैयार कराना होगा और ज.ध.रा. के समायोजन के बाद तथा इसे कार्यालय वसूली अधिकारी के पास ई-नीलामी बन्द होने के 3 दिनों के भीतर भेजना/जमा करना होगा जिसमें असफल रहने पर ज.ध.रा. जब्त कर ली जायेगी।
12. सफल/उच्चतम संविदाकार वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष विक्रय प्रक्रिया की शेष 75% राशि वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली-खाता आर.सी. सं. 223/17 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की तिथि के 15वें दिन या इससे पूर्व, ऐसे दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के पश्चात प्रथम कार्यालयी दिवस पर रु. 1,000 तक 2% की दर से तथा इस राशि के रु. 1000/- से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क सहित वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-I के समक्ष जमा करेगा। (75% की शेष राशि डाक द्वारा जमा करने के मामले में यह उपर्युक्त के अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए)।
13. असफल संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तुरन्त वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय से ईएमडी सीधे प्राप्त करेंगे।
14. वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए सभी या कोई संविदाएँ स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को निरस्त करने का अधिकार होगा।
15. सीएचएफआई/सीएच बैंक को सीडी पर विक्रय की घोषणा दस्ती, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट तथा सम्पत्ति के स्पष्ट भाग पर चिपकाकर या आसपास ड्रम बजाकर करने के लिए निर्देशित किया जाता है और इसकी एक प्रति अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी।
16. बिक्री उद्घोषणा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में ऐसे समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी जिसके वितरण का क्षेत्र व्यापक हो।
17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को समाचार-पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करने तथा इसकी फोटोकॉपी फाइल में लगाने के लिए निर्देशित किया जाता है।

मामले को बिक्री की उद्घोषणा की सेवा के शपथ-पत्र तथा भावी कार्यवाहियों हेतु 11.02.2020 को सूचीबद्ध किया जाये।

(जितेन्द्र कुमार)
रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
मौर्य एनक्लेव शाखा
एफपी ब्लॉक, सचदेवा पब्लिक स्कूल, मौर्य एनक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली -110034

देखें, नियम-8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मौर्या एनक्लेव शाखा,** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन **और धारा 13(2) तथा सपठित प्रतिभूति हित** (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों ने ऋणी पुष्पा देवी, अजय कुमार और धर्मवीर **को उल्लेखित रकम रू 44,20,427.80 (रु. चौवालीस लाख बीस हजार चार सौ सत्ताईस और पैसे अस्सी मात्र) को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्सदत करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना दिनांक 07-10-2019 को जारी किया।**
उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाएगा कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर **वर्ष 2020 की तारीख 15 फरवरी से कब्जा** कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते रू 44,20,427.80 (रु. चौवालीस लाख बीस हजार चार सौ सत्ताईस और पैसे अस्सी मात्र) साथ में उपरोक्तानुसार राशि पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।**
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का वर्णन

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि कान नं. 81, प्रथम तल, पॉकेट-1, सैक्टर-22, रोहिणी और दिल्ली-110086 में स्थित, यह सम्पत्ति पुष्पा देवी के नाम पर है।

दिनांक : 15.02.2020, स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी. मण्डल कार्यालय, गाजियाबाद, के-जी-13, कवी नगर गाजियाबाद-201002 फोन नं. (0120)2702721; 4102944, ई-मेल co.gzb@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।
उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
1	शाखा : चिकम्बरपुर, गाजियाबाद; प्रो. देवेंद्र कुमार शर्मा पुत्र दयानंद शर्मा, गारंटर श्रीमती शकुंतला शर्मा पत्नी देवेंद्र कुमार शर्मा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट जोकि श्रीमती शकुंतला शर्मा पत्नी देवेन्द्र कुमार शर्मा के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 141.11 वर्ग गज, प्लॉट नं. 48ए, खसरा नं. 193, राजेन्द्र नगर, औद्योगिक एरिया एक्स., गाँव साहिबाबाद, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, वाईड पंजीकरण टाईटल डीड दिनांकित 31.08.2009, बही नं. 1 जिल्द नं 8013, पेज नं. 397 से 432, क्र.सं. 3446 सब रजिस्ट्रार – I में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 48, पश्चिम में – प्लॉट नं. 49, उत्तर में – 20फीट चौड़ी रोड, दक्षिण में – रेलवे लाईन	04-10-2019 / 18-02-2020	₹ 9,00,072.86 और भविष्य का ब्याज इत्यादि
2	शाखा : ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद; श्रीमती नसीम बानो पत्नी मोह. शहीद, गारंटर: मोह. जहाँगीर पुत्र मोह. अब्बास मलिक	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट जोकि श्रीमती नसीम बानो पत्नी मोह. शाहिद के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 136 वर्ग मी., प्लॉट नं. 200, खसरा नं. 1342/2, खन्ना नगर, गाँव लोनी, तहसील लोनी जिला गाजियाबाद वाईड टाईटल डीड पंजीकृत दिनांक 29.07.2015, बही नं. 1, जिल्द नं. 29991, पेज 363 से 422, क्र.सं. 13890 सब रजिस्ट्रार IV में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – 12फीट सर्विस लेन, पश्चिम में – 8फीट चौड़ी रोड, उत्तर में – प्लॉट का हिस्सा, दक्षिण में – प्लॉट न. 201	04-11-2019 / 18-02-2020	₹ 6,53,675/- और भविष्य का ब्याज इत्यादि
3	शाखा : ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद; श्री संतोष कुमार बाली पुत्र श्री ब्रह्मानंद	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट जोकि श्री संतोष कुमार बाली पुत्र श्री **ब्रह्मानंद** के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 44.12 वर्ग मी., फ्लैट नं. जी-1, भूतल, प्लॉट नं. सी-224, एसएलएफ वेद विहार, मोहल्ला सादुल्लाबाद, गाजियाबाद में हिस्सा, वाईड पंजीकृत टाईटल डीड दिनांकित 25.04.2011, बही नं. 1, जिल्द नं. 17480, पेज नं. 205 से 240, क्र.सं. 9182, सब रजिस्ट्रार IV में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. सी-223, पश्चिम में – 9मी. चौड़ा रोड, उत्तर में – प्लॉट नं. सी-225, दक्षिण में – 18मी. चौड़ा रोड	18-10-2019 / 18-02-2020	₹ 6,62,469/- and future interest thereon

दिनांक 18-02-2020, स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

www.readwhere.com

मुनाफावसूली निकलने से सूचकांक 153 अंक टूटा

मुंबई, 20 फरवरी (भाषा)।

वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख और कोई ठोस संकेत नहीं मिलने से बंबई शेयर बाजार का सूचकांक बृहस्पतिवार को मुनाफावसूली चलने से 153 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपए की विनिमय दर में गिरावट और पूंजी निकासी से शेयर बाजारों पर असर पड़ा। बंबई शेयर बाजार का तीस शेयरों वाला सूचकांक 152.88 अंक यानी 0.37 फीसद की गिरावट के साथ 41,170.12 पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.05 अंक यानी 0.37 फीसद टूटकर 12,080.85 अंक पर बंद हुआ।

शेयर बाजारों सहित वित्तीय बाजार शुक्रवार को महाशिवरात्रि के मौके पर बंद रहेंगे। हफ्ते के दौरान सूचकांक की यदि बात की जाये तो पूरे सप्ताह में यह 86.62 अंक यानी 0.21 फीसद जबकि एनएसई निफ्टी 32.65 अंक यानी 0.26 फीसद नीचे रहा। सूचकांक के शेयरों में एशियन पेंट्स, एचयूएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्रा टेक सीमेंट सर्वाधिक नुकसान में रहे। इनमें 2.30 फीसद तक की गिरावट आई।

वहीं दूसरी तरफ मुख्य रूप से इंडसइंड बैंक में सर्वाधिक 3.57 फीसद की तेजी रही। इसके अलावा टाटा स्टील, एसबीआई, पावर ग्रिड और ओएनजीसी में तेजी रही। कारोबारियों के अनुसार कोरोना वायरस का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभाव पड़ने की चिंता से निवेशक थोड़े सतर्क हैं। कोरोना वायरस के कारण चीन में अब तक 2,118 लोगों की मौत हो चुकी है। इस विषाणु के कारण 114 और लोगों की मौत हुई है। हालांकि, इससे पीड़ित नये मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और यह 394 रही जो कि दिसंबर के बाद से सबसे बड़ी गिरावट रही है जब चीन के वुहान में ऐसा पहला मामला सामने आया था।

कोटक सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष (पीसीजी रिसर्च) संजीव जरबादे ने कहा- सूचकांक में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिकी और चीनी बाजारों में गिरावट के साथ वैश्विक बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, कोरोना वायरस की स्थिति स्थिर होने के साथ जिंसों के दाम में सुधार आने शुरू हो गये हैं। उन्होंने कहा- कंपनियों के तीसरी तिमाही परिणाम आने समाप्त होने के करीब हैं। इसके साथ अब ध्यान वैश्विक और घरेलू वृहत आर्थिक गतिविधियों पर होगा... हाल-फिलहाल कोई प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है .... निवेशक अभी भी कोरोना वायरस का चीन से आपूर्ति पर पड़ने वाले असर के आकलन का प्रयास कर रहे हैं।

राजस्थान : बजट में निरोगी राजस्थान और किसानों पर विशेष जोर

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 20 फरवरी।

राजस्थान के इस वर्ष के बजट में सरकार ने सात संकल्पों को पूरा करने की घोषणा की है। इसमें निरोगी राजस्थान बनाने के साथ ही किसानों के कल्याण और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी के साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूती देने की घोषणा की गई।

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में 1 लाख 85 हजार 750 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट पेश किया। गहलोत ने पूरे राजस्थान को उनके लिए एक परिवार बताते हुए कहा कि उनके लिए सात संकल्प बजट की प्राथमिकता है। इसके साथ ही बजट में उन्होंने युवाओं के लिए 53 हजार 151 नए पदों पर भर्तियां करने का भी एलान किया। गहलोत ने अपने बजट में कोई नया कर नहीं लगाया और कई करों में आम आदमी को राहत देने का एलान किया।

विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गहलोत ने केंद्र सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति को दुर्भाग्यजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य के हिस्से की राशि में बड़ी कटौती कर दी है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ गई है और इसका खमियाजा राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर कम हो गए हैं और लोगों की क्रयशक्ति घट गई है। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में भी राज्य को राशि नहीं मिल पा रही है। इसके चलते विकास योजनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट में सबसे ज्यादा जोर स्वास्थ्य योजनाओं और कृषि पर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए पहला सुख निरोगी काया है। इसी मकसद से उनकी सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया है। गहलोत ने अपने इस बजट को स्वास्थ्य राजस्थान को समर्पित करना बताया। उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों के लिए 2020-21 में 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जांच योजना, जनता, क्लिनिक, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाएं सरकार की प्राथमिकता दर्शाती हैं। उनका कहना है कि निरोगी राजस्थान अभियान के माध्यम से कोशिश रहेगी कि बीमारियां होने से पहले ही उनके रोकथाम पर फोकस किया जाए। इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की भी घोषणा की। राजस्थान के सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे करने का फैसला भी सरकार ने किया है।

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (उत्तर-पश्चिम) I
एच-ब्लॉक, उद्योग नगर इंड. एरिया, पीरागढ़ी चौक, नई दिल्ली-41
एनआईटी सं.-68/ईई (एनडब्ल्यू) I/ (2019-20)
प्रैस निविदा सूचना

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि (रु.)	ई/एम (रु.) एवं प्रॉसेसिंग शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि/आई. डी. नं.	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	जेडई-II/ईई (एनडब्ल्यू)-I के अंतर्गत एसी-12, मंगोलपुरी में जी-ब्लॉक रोड में एच.नं. जी-29 से जी-267 तक पाइप बर्स्टिंग पद्धति द्वारा स्थापित सीवर लाइन का पुनर्स्थापन।	2792914/-	55900/- 500/-	20.02.2020/ 2020_DJB_ 188353_1	03.03.2020 के 3.00 बजे अप. तक
2.	किरारी कंस्टीच्युएन्सी के वार्ड नं. 40 में इन्दर एन्क्लेव फेज-II में दुर्गा मंदिर रोड पर 250-200 एमएम डाया डी. आई वाटर मैन के पी/एल द्वारा जलापूर्ति सुधार।	3411378/-	68300/- 500/-	20.02.2020/ 2020_DJB_ 188372_1	03.03.2020 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी) हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/842 कार्यपालक अभियंता (एनडब्लयू) I

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
मानेसर कासन रोड शाखा शॉप नं. 4, भगवती कॉम्प्लैक्स, मानेसर, गुड़गांव-122051
ई-मेलः vjmane@bankof baroda.co.in एवं dbmnsr@bankofbaroda.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **बैंक आफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.11.2019 जारी कर ऋणधारक श्री दीपक, पुत्र स्व. श्री राम किशन को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.10.2019 को रु. 4,79,649/- (रुपये चार लाख उन्यासी हजार छः सौ उन्चास मात्र) के साथ आगे के ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज **15 फरवरी 2020** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4,79,649/- (रुपये चार लाख उन्यासी हजार छः सौ उन्चास मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

न्यू टाउन हाइट्स, ग्राम मोएका की राजस्व सम्पदा, सेक्टर-91, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा, माप 18.48 वर्ग मीटर (200 वर्ग फीट) में आवासीय फ्लैट यूनिट नं. 91/ईडब्ल्यूएस/501, 5 वां तल में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तर : खुला, दक्षिणः कॉरीडोर, पूर्वः 91/ईडब्ल्यूएस/502, पश्चिमः दीवार

तिथिः 15.02.2020, स्थानः मानेसर **प्राधिकृत अधिकारी**

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता पश्चिम-I
ओ.एच.टी. बेरीवाला बाग, सुभाष नगर, नई दिल्ली-110064
प्रैस निविदा सूचना सं. 82/डब्ल्यू-I (2018-19)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (पश्चिम)-I के अंतर्गत वार्ड नं. 11 एसी प्रतापनगर एस-28, हरि नगर में डी 1 ब्लॉक जनकपुरी में डीआई वाटर लाइन द्वारा पुराने क्षतिग्रस्त सीआई वाटर लाइन के विस्थापन द्वारा जल प्रणाली का सुधार। निविदा आईडीः 2020-DJB-188317-1	रु. 35,40,068/-	4.3.2020 के 3.00 बजे अप. तक
2.	पश्चिम-I के अंतर्गत सी-2 ए ब्लॉक जनकपुरी एसी-30 में ईई (ई एंड एम) कार्यालय के लिए वर्तमान कमरे का नवीकरण तथा अतिरिक्त कमरे का निर्माण निविदा आईडीः 2020-DJB-188317-2	रु. 42,30,645/-	4.3.2020 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता/-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/844 कार्यपालक अभियंता (पश्चिम) I

केनरा बैंक Canara Bank **कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एव रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के नियमानुसार तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट "एनफोर्समेंट" नियम 2002 (2002 का एक्ट न0 54) साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस को जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/गारन्टरों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। **"उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"** ऋणी/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **केनरा बैंक सम्बंधित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व खर्चों के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा/ऋणी/का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग व कब्जा नोटिस की तिथि	बकाया राशि + ब्याज व अन्य खर्चे
1.	शाखा : क्लेमेंट टाउन, देहरादून ऋणीः स्व0 श्री संजय भंडारी पुत्र कुंवर सिंह भंडारी एवं श्रीमती अंजली भंडारी पत्नी स्व0 श्री संजय भंडारी।	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय मकान स्वामी स्व0 श्री संजय भंडारी पुत्र श्री कुंवर सिंह भाई, खसरा नं0 472, मौजा, माल्दवाला ग्रांट परगना, सेन्ट्रल दून, देहरादून, उत्तराखण्ड -248002, कुल क्षेत्रफल कवर्ड क्षेत्रफल 139.55 वर्ग फीट। सीमायें:- पूर्वः विक्रेता की भूमि, साइड माप 50 फीट, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, साइड माप 50 फीट उत्तरः नाला, साइड माप 30 फीट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ा रास्ता।	मांग नोटिस की तिथि 31.10.2019 कब्जा नोटिस की तिथि 14.02.2020	रु0 1,96,997.00/- दिनांक 31.12.2018 + देय ब्याज दिनांक 01.01.2019 से + लागत एवं व्यय-वसूली दिनांक 31.12.2018 के बाद

दिनांक: 20.02.2020 स्थानः देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

INDOSOLAR LIMITED
CIN: L18101DL2005PLC134879
REGD OFFICE: C-12 FRIENDS COLONY (EAST) DELHI 110065
E-MAIL ID: cirp.indosolar@gmail.com | PHONE NO.: 9810189050
AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(Rs. In Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
I	Total Income	10.01	7.06	5,376.01	1,612.85	31,843.52
II	Profit / (Loss) before exceptional items and tax	(1,024.97)	(1,509.40)	(3,024.05)	(9,682.18)	(9,870.24)
III	Profit / (Loss) before tax	(1,024.97)	(1,509.40)	(18,724.05)	(52,501.30)	(16,281.20)
IV	Net Profit/ (Loss) after tax	(1,024.97)	(1,509.40)	(18,726.37)	(52,501.30)	(16,283.52)
V	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) and other comprehensive Income	(1,024.97)	(1,509.40)	(18,705.93)	(52,495.53)	(16,271.97)
VI	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)	37,206.71	37,206.71	37,206.71	37,206.71	37,206.71
VII	Other Equity				(135,355.20)	(82,859.67)
VIII	Earnings per equity share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) (not annualised): - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	(0.28) (0.28)	(0.41) (0.41)	(5.03) (5.03)	(14.11) (14.11)	(4.44) (4.44)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Financial Results filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Quarterly Financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nse.com respectively and on company's website at www.indosolar.co.in.
2. The Company Indosolar Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process and in terms of the order of Hon'ble NCLT dated 12th April, 2019 the powers of the board of directors are suspended and are vested in the Resolution Professional and Indosolar's affair, business and assets are being managed by the Resolution Professional. The Resolution Professional is performing the function as mentioned under Insolvency and Bankruptcy Code.

For INDOSOLAR LIMITED
(Company under Corporate Insolvency Resolution Process)
Sd/-
Gulshan Gaba
Resolution Professional

Date: 19th February, 2020
Place: New Delhi

सीपीजे कॉलेज में दो दिवसीय मार्केटेक फेस्ट का आयोजन

नई दिल्ली, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध सीपीजे कॉलेज नरेला में दो दिवसीय मार्केटेक फेस्ट का आयोजन किया गया। छात्रों के बीच पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व खपत के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रबंधन और आइटी इंटर कॉलेज फेस्ट में देश भर के 25 से अधिक विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के लगभग 300 छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसमें इको फ्रेंडली तरीके से कंप्यूटर उपकरणों को निपटाने और देश के सतत विकास में नवाचार और समावेशी विकास में मदद करने के तरीकों और साधनों का सुझाव देने पर जोर दिया गया।गुरुवार को समाप्त हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के निदेशक अकादमी प्रोफेसर संजीव मित्तल ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय अरविंदो कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ नमिता राजपूत, कॉलेज के अध्यक्ष सुभाष चंद जैन, महासचिव डॉ अभिषेक जैन और महानिदेशक युगांक चतुर्वेदी मौजूद रहे।

मप्र के दुग्ध उत्पाद बाजार में उतरी मदर डेयरी

इंदौर, 20 फरवरी (भाषा)।

अग्रणी दुग्ध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने अपने विस्तार अभियान के तहत इंदौर से शुरुआत करते हुए मध्यप्रदेश के दूध उत्पाद बाजार में कदम रखा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की इस सहयोगी कंपनी के वरिष्ठ कारोबार प्रमुख (दुग्ध) विनोद कुमार चोपड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि कंपनी ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में करीब 1,500 खुदरा बिक्री केंद्रों से शुरुआत की है। इन केंद्रों पर मदर डेयरी के दूध की चार किस्में बेची जाएंगी।

चोपड़ा ने बताया कि मदर डेयरी इंदौर के बाद भोपाल के दुग्ध उत्पाद बाजार भी में जल्द ही उतरने की योजना पर काम कर रही है। भोपाल में कंपनी की पहले चरण में करीब 1,000 खुदरा बिक्री केंद्र खोलने की योजना है। उन्होंने बताया- हमारा इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों के पैक दूध बाजार में दिसंबर अंत तक आठ से 10 फीसद हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य है।

भारतीय कंपनियों से खरीदारी नहीं करने वाले देशों के आपूर्तिकर्ताओं पर लगेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

दूरसंचार विभाग उन देशों के दूरसंचार विक्रेताओं पर रोक लगा देगा, जो अपने स्थानीय बाजारों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को नेटवर्क गियर की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं देंगे। इनका इस्तेमाल 5जी सेवाओं सहित वाईफाई, फिक्स्ड लाइन और सेल्युलर नेटवर्क के लिए होता है।

एक आधिकारिक आदेश में यह बात कही गई है। यह आदेश सरकार के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को तरजीह) आदेश 2017 का हिस्सा है, जो 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने के लिए देश में निर्मित उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देता है। विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 19 फरवरी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोई भी विदेशी सरकार, जो भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को उनके देश में दूरसंचार उपकरणों की खरीद में भाग लेने और/या प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दे रही है, तो उक्त दूरसंचार कंपनियों के संबंध में सार्वजनिक खरीद की धारा 10 (डी) के प्रावधान (मेक इन इंडिया को तरजीह) को लागू किया जाएगा।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) एक नवरत्न कंपनी
(A Govt. of India Undertaking) A Navratna Company
ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110 020
कॉनकॉर CONCOR

निविदा सूचना (केवल ई- निविदा सह रिवर्स ऑक्शन पद्धति)

[illegible]

[illegible]	[illegible]
धरोहर जमा राशि	रु. 5,00,000/- ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा की कीमत	रु. 1,000/- सभी कर एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क	रु. 5,310/- सभी कर एवं प्रभारों सहित (अ-प्रतिदेय) ई-भुगतान के माध्यम से
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	21.02.2020 (15.00 बजे) से 06.03.2020 (15.00 बजे तक)
निविदा पूर्व बैठक	27.02.2020 को 15.00 बजे
शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) जारी करना	केवल www.tenderwizard.com/CCIL पर 01.03.2020 को या उसके बाद
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	06.03.2020 को 15.00 बजे तक
खुलने की तिथि एवं समय	11.03.2020 को 15.30 बजे

[illegible] www.concorindia.com या eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIL [illegible] कार्यकारी निदेशक/ए.सी.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
शाहदरा शाखा, 1157ए, पूरब रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **देना बैंक अब बैंक ऑफ़ बड़ौदा, शाहदरा शाखा, नई दिल्ली-110032** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स मैटालिका इंडिया, प्रोपराइटर श्री बृजेश कुमार शर्मा और श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री बृजेश कुमार शर्मा (गारंटर) को मांग सूचना दिनांक 30.5.2017 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 85,91,372/- (रु. पिचासी लाख इक्यान्वे हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) + भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। साथ में दिनांक 05.10.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **18.02.2020** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **देना बैंक अब बैंक ऑफ़ बड़ौदा, शाहदरा शाखा, नई दिल्ली-110032 के प्रभार वास्ते रू 85,91,372/- (रु. पिचासी लाख इक्यान्वे हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) दिनांक 01.04.2017 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार और खर्चे इत्यादि** के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्रथम तल बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 101.87 वर्ग मी., निर्मित सम्पत्ति/प्लॉट नं. 111ए, अकांक्षा अपार्टमेंट, अभय खंड-III, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित, सैल डीड का विवरण : सैल डीड नं. 615, पंजीकृत नं. 1, जिंद नं. 16832, पेज 61 से 124, क्र.सं. 971 दिनांकित 17.01.2011 सब रजिस्ट्रार - IV में पंजीकृत, गाजियाबाद में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - फ्लैट नं. 112, पश्चिम में - फ्लैट नं. 110, उत्तर में - फ्लैट नं. 138ए, दक्षिण में - 24मी. चौड़ी रोड

दिनांक : 18.02.2020, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी नई किराया नीति : पुरी

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि बहुत जल्द आप देश में एक किराया नीति देखेंगे। किराया नीति से शहरी इलाकों में आवास की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। यह नीति देशभर में खाली पड़े लाखों मकानों को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पुरी ने कहा कि बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराए पर नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपका कानूनी आधार कमजोर हुआ तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकेंगे।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
समक्ष केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र

[illegible]

के-103, साउथ सिटी-I, गुरुग्राम, हरियाणा-122 001
बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
वास्ते एक्सीलेंट होटल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(रमेश कुमार सिंगला)
निदेशक
डीआईएन 00429586
के-103, साउथ सिटी-1,गुड़गांव-122001
तिथि : 20.02.2020
स्थान : गुड़गांव

एचडीएफसी बैंक का लघु उद्योगों को दिया कर्ज तीन साल में दोगुना हुआ

मुंबई, 20 फरवरी (भाषा)।

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का लघु व मझोले (एसएमई) क्षेत्र को दिया गया कर्ज पिछले करीब तीन साल में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यह दिसंबर 2019 में बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया जो मार्च 2017 में 74,000 करोड़ रुपए था।

इसके साथ बैंक की एसएमई के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बाजार में 9 फीसद से अधिक हिस्सेदारी हो गई है। आरबीआइ के आंकड़े के अनुसार जून 2019 तक एसएमई को दिया गया कुल कर्ज 15.7 लाख करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 10 फीसद वृद्धि को बताता है। एचडीएफसी बैंक एसएमई को कुल 1.48 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ इस मामले में दूसरे पायदान पर आ गया है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) 2.7 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई कर्ज के साथ दूसरे स्थान पर है। एसबीआइ की एसएमई कर्ज खंड में बाजार हिस्सेदारी करीब 14 फीसद है। बैंक ने मार्च 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान 3 लाख नए ग्राहक जोड़े और खातों की संख्या 30.74 लाख से बढ़कर करीब 34 लाख हो गई। एचडीएफसी बैंक का एसएमई को दिए जाने वाले कर्ज में दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 19 फीसद की वृद्धि हुई।

[illegible] punjab national bank
बीओः इलेक्ट्रानिक सिटी, सेक्टर-63, नोएडा, (उ.प्र.)

शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र तिथि 23.01.2020 में प्रकाशित "कब्जा सूचना" के संदर्भ में हमने यह पाया है कि कब्जा लेने की तिथि अनजाने में वर्णित नहीं की गई है। एतद्द्वारा हम आम जनता को सूचित करते हैं कि प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा लेने की तिथि 20.01.2020 है। अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे।

स्थानः नोएडा
तिथिः 20.02.2020 (प्राधिकृत अधिकारी)

INDOSOLAR LIMITED
CIN: L18101DL2005PLC134879
REGD OFFICE: C-12 FRIENDS COLONY (EAST) DELHI 110065
E-MAIL ID: Cirp.indosolar@gmail.com | PHONE NO.: 9810189050
Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2018

(Rs. in Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Nine months Ended		Year Ended
		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2018
		(unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
I	Total Income	7.06	137.31	5,494.50	1,602.84	26,467.51	31,843.52
II	Profit / (Loss) before exceptional items and tax	(1,509.40)	(3,397.27)	(83.97)	(8,657.22)	(6,846.19)	(9,870.24)
III	Profit / (Loss) before tax	(1,509.40)	(46,216.39)	9,205.07	(51,476.34)	2,442.85	(16,281.20)
IV	Net Profit/ (Loss) after tax	(1,509.40)	(46,216.39)	9,205.07	(51,476.34)	2442.85	(16,283.52)
V	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) and other comprehensive Income	(1,509.40)	(46,213.51)	9,202.11	(51,470.57)	2433.96	(16,271.97)
VI	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)	37,206.71	37,206.71	37,206.71	37,206.71	37,206.71	37,206.71
VII	Other Equity						(82,859.67)
VIII	Earnings per equity share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) (not annualised): - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	(0.41) (0.41)	(12.42) (12.42)	2.51 2.51	(13.84) (13.84)	0.67 0.67	(4.44) (4.44)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months ended Financial Results filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Quarterly Financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nse.com respectively and on company's website at www.indosolar.co.in
2. The company Indosolar Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process and in terms of the order of Hon'ble NCLT dated 12th April, 2019 the powers of the board of directors are suspended and are vested in the Resolution Professional and Indosolar's affair, business and assets are being managed by the Resolution Professional. The Resolution Professional is performing the function as mentioned under Insolvency and Bankruptcy Code.

For INDOSOLAR LIMITED
(Company under Corporate Insolvency Resolution Process)
Sd/-
Gulshan Gaba
Resolution Professional

Date: 19th February, 2020
Place: New Delhi

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
समक्ष केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के विषय में

तथा

एस.ए. इनफ्राडवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 114, सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122 001 में स्थित है, के विषय में
......याचिकादाता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "रा.रा.क्षे. दिल्ली" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 03 फरवरी, 2020 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधित की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, बी-2 विंग, डा. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए
प्लॉट नं. 114, सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा- 122 001
बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
वास्ते एस.ए. इनफ्राडवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(पंकज सिंह)
निदेशक
डीआईएन : 02885875
618, मॉडर्न अपार्टमेंट, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110085
तिथि : 20.02.2020
स्थान : गुड़गांव

www.readwhere.com

तमिलनाडु : बस-लॉरी की टक्कर में 20 की मौत, 28 घायल

चेन्नई, 20 फरवरी (भाषा)।

तमिलनाडु में गुरुवार सुबह बस और लॉरी की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने कहा कि यह दुर्घटना सलेम-कोच्चि राजमार्ग पर तड़के करीब चार बजे तिरुपुर के अविनाशी में हुई, जब केरल राज्य पथ परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस एर्नाकुलम से बंगलुरु जा रही थी। तिरुपुर यहां से करीब 450 किलोमीटर दूर है। जिस वक्त लॉरी की बस से टक्कर हुई बस के अधिकांश मुसाफिर सो रहे थे। एर्नाकुलम के रहने वाले लॉरी चालक हेमराज को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने कहा कि टाइल्स लदी लॉरी का टायर फट गया था और वह गलत दिशा में घुसकर बस से टकरा गई, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मारे गए 20 लोगों में से छह महिलाएं भी हैं। इन सभी की मौत मौके पर ही हो गई। घायलों को तिरुपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों को कोयंबटूर भेजा गया है। पलक्कड के पुलिस अधीक्षक शिवा विक्रम ने कहा कि यह तेज रफ्तार में हुई टक्कर थी। लॉरी चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। बस में कुल 48 लोग सवार थे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में कहा कि केएसआरटीसी बस से टक्कर से पहले लॉरी का टायर फट गया था। उन्होंने बताया कि सभी मृतक केरल के थे।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, पलानीस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हादसे पर दुख व्यक्त किया।

-मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, पलानीस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि बस हादसे से बेहद व्यथित हूं...दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि हादसे में घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

शुरुआती खबरों में ऐसे संकेत थे कि बस केरल के तिरुवनंतपुरम जा रही थी। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बस का गंतव्य एर्नाकुलम था। पलानीस्वामी ने कहा कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन से कहा है कि वह शवों को केरल भेजने समेत अन्य गतिविधियों को तेजी से पूरा करें। इसके अलावा 23 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है, जबकि पांच अन्य लोग मामूली रूप से घायल थे जो केरल रवाना हो गए। वहीं तिरुवनंतपुरम में अधिकारियों ने बताया कि विजयन ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगी परिवहन मंत्री एके ससींद्रन और कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार को तिरुपुर भेजा है, जिससे राहत अभियान में बेहतर तरीके से तालमेल हो सके।

ससींद्रन ने कहा कि प्रदेश सरकार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इनमें से दो लाख रुपए एक हफ्ते के अंदर दिए जाएंगे। बाकी रकम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केएसआरटीसी कर्मचारियों के परिजनों को बीमा योजना के तहत 30-30 लाख रुपए मिलेंगे।

गुमनामी बाबा को लेकर रहस्य और गहराया

कोलकाता, 20 फरवरी (भाषा)।

गुमनामी बाबा की वास्तविक पहचान को लेकर रहस्य और गहरा गया है और सीएफएसएल कोलकाता ने कहा है कि उसके पास उनके दांत का इलेक्ट्रोफेरोग्राम उपलब्ध नहीं है।

एक इलेक्ट्रोफेरोग्राम उस आंकड़े का क्रम दर्शाता है जो स्वचालित डीएनए क्रमावली मशीन द्वारा तैयार किया जाता है और इसका इस्तेमाल वंशावली डीएनए परीक्षण से नतीजे हासिल करने के लिए किया जाता है। नेताजी के बारे में सायक सेन द्वारा दायर आरटीआइ के जवाब में सीएफएसएल के मुख्य जनसूचना अधिकारी बीपी मिश्रा ने कहा कि इस मामले की इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट सीएफएसएल कोलकाता के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने चार फरवरी 2020 को दायर जवाब में कहा, 'अगर कोई अपील हो तो वह इस संदर्भ में यह पत्र मिलने के 30 दिनों के अंदर सीएफएसएल कोलकाता के निदेशक, अपीली प्राधिकार के समक्ष की जा सकती है।' नेताजी की रहस्यमयी मौत के मामले की जांच कर रहे विष्णु सहाय आयोग ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब (सीएसएफएल) कोलकाता की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि गुमनामी बाबा बोस नहीं थे।

शिक्षक की पिटाई से छात्रा घायल

मुंबई, 20 फरवरी (भाषा)।

सांताक्रुज के एक स्कूल में शिक्षक की कथित पिटाई से आठवीं की छात्रा की कोहनी की हड्डी टूट गई।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि घटना सोमवार की है। 13 साल की लड़की के माता-पिता ने इसकी शिकायत सांताक्रुज थाने में दर्ज कराई है। थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर श्रीराम कोरेगांवकर ने बताया कि जांच जारी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सूरज लता ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला

इंफल, 20 फरवरी (भाषा)।

पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान वाइखोम सूरज लता देवी ने अपने पति के खिलाफ हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पूर्व हॉकी खिलाड़ी ने बुधवार को कहा कि जब उनका 2005 में विवाह हुआ था, उनका पति तभी से उन्हें परेशान कर रहा था और इसका मुख्य कारण दहेज है।

सूरज लता देवी की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2002 राष्ट्रमंडल खेलों, 2003 में एफ्रो-एशियाई खेलों और 2004 में हॉकी एशिया कप में तीन स्वर्ण पदक जीते थे। बॉलीवुड फिल्म 'चक दे इंडिया' राष्ट्रमंडल खेलों की जीत से ही प्रेरित थी। सूरज लता ने कहा कि जब मैं शादी के बाद अपने पदक और तस्वीरें साथ लेकर आई तो मेरे पति शांता सिंह ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि इनका क्या फायदा है? उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि उनके अनैतिक आचरण के कारण उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला।

-सूरज लता देवी की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2002 राष्ट्रमंडल खेलों, 2003 में एफ्रो-एशियाई खेलों और 2004 में हॉकी एशिया कप में तीन स्वर्ण पदक जीते थे।

हॉकी खिलाड़ी ने कहा कि वह यह सोचकर उत्पीड़न बर्दाश्त करती रहीं कि उनके पति का व्यवहार बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि यह मामला सार्वजनिक हो, लेकिन हरेक के धैर्य और सहनशीलता की सीमा होती है। सूरज लता के दो बच्चे हैं। हॉकी खिलाड़ी ने कहा कि नवंबर 2019 में पंजाब में कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में रेल कोच फैक्टरी ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें वह मैच अधिकारी के तौर पर भाग लेने गई थीं। उसी दौरान उनके पति ने नशे की हालत में उन्हें कथित रूप से पीटा, जिसके बाद उन्होंने शिकायत करने का फैसला किया।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
राजेन्द्र प्लेस शाखा
1ला तल, रचना बिल्डिंग, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008

(परिशिष्ट IV) कब्जा सूचना

अचल सम्पत्ति के लिए [नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.10.2019 जारी कर ऋणधारक मै. सेक्वेल एलॉयज एंड बायर्स प्रा. लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय 62, श्रेष्ठ विहार, विकास मार्ग एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110092 में है (यहाँ के बाद "ऋणधारक" के रूप में वर्णित) श्री संदीप कुमार निवासीः सी-61, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, श्री असीत कुमार, निवासीः सी-61, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, श्री सुबोध कुमार, निवासीः सी-61, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, श्रीमती उर्मिला कुमार, निवासीः सी-61, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, (यहां के बाद निदेशक/ गारंटर/ मार्टगैजर' वर्णित को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 21.10.2019 को रु. 213557796.80 (रुपए इक्कीस करोड़ पैंतीस लाख सत्तावन हजार सात सौ छियानवे पैसे अस्सी मात्र) तथा अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 19 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, घटाकर मांग सूचना में वर्णित उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज, लागत के साथ 19.02.2020 को रु. 17,76,87,921/- (रुपए सत्तरह करोड़ छियत्तर लाख सतासी हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 17,76,87,921/- (रुपए सत्तरह करोड़ छियत्तर लाख सतासी हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति 1: श्रीमती उर्मिला कुमार, श्री असीत कुमार तथा श्री संदीप कुमार, पुत्र श्री सुबोध कुमार के स्वामित्व में डब्ल्यू-60, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 में आवासीय यूनिट में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः रोड, पूर्वः प्लॉट नं. डब्ल्यू-62, पश्चिमः रोड

सम्पत्ति 2: श्री सुबोध कुमार, पुत्र श्री जय कृष्ण के स्वामित्व में प्लॉट नं. सी-61, रामप्रस्थ-201011, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण आवासीय यूनिट में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. सी-62, दक्षिणः प्लॉट नं. सी-60, पूर्वः 40 फीट रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. सी-196

सम्पत्ति 3: मै. सेक्वेल एलॉयज एंड बायर्स प्रा. लि. के स्वामित्व में सम्पत्ति सं. 143, 154 ए, 154 बी, 154 सी, 154 डी, 154 ई, नोएडा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः 24 मी. चौड़ा रोड एवं प्लॉट नं. 144,145, रोड 18 मी. चौड़ा, दक्षिणः 18 मी. चौड़ा रोड, पूर्वः 10 मी. चौड़ा रोड एवं प्लॉट नं. 144, पश्चिमः 45 मी. चौड़ा रोड

तिथिः 19.2.2020 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए. नं. 430/2018

एसबीआई - आवेदक

बनाम

रमिन्दर सिंह - प्रतिवादीगण

सेवा में, 1. श्री रमिन्दर सिंह रेखी, पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासीः डी-105, ब्लॉक-डी, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024, **साथ हीं**: सेक्टर-48, सोहना रोड, गुड़गांव- 122001, **साथ हीं**: डी-209, सुशान्त लोक-1, गुड़गांव, हरियाणा, साथ हीं: मै. सिमरन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस, सी-ब्लॉक, आइरिस टेक पार्क, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुड़गांव-122001, हरियाणा

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 11,27,676.27 (रुपये ग्यारह लाख सत्ताईस हजार छः सौ छियत्तर तथा पैसे सत्ताईस मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 20.03.2020 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 28 **जनवरी**, 2020 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से,
रजिस्ट्रार के लिये

ऋण वसूली अधिकरण- III, दिल्ली 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

मामले मेंः
ओ.ए 758/2019

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम अरविन्द कुमार सिंह एवं अन्य
आवेदक प्रतिवादीगण

सेवा में,
डी-1. श्री अरविन्द कुमार सिंह, पुत्र श्री चन्द्र देव सिंह
9/7, मानेकशॉ आफिसर्स एन्क्लेव, दिल्ली कैन्ट, दिल्ली-110010
डी-2. श्रीमती अलीशा, पत्नी श्री अरविन्द कुमार सिंह (सह-ऋणधारक)
9/71, मानेकशॉ आफीसर्स एन्क्लेव, दिल्ली कैन्ट, दिल्ली-110010
तथा साथ हींः आरजेड- 37बी/271, हंस पार्क, वेस्ट सागरपुर, पावर हाउस के निकट, नई दिल्ली-110046
डी-3. मै. आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रा.लि.
पंजीकृत कार्यालयः 307, 3रा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092
तथा साथ हींः कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-56/40, सेक्टर-62, नोएडा, फोर्टिस के निकट, गौतम बुध नगर, उ.प्र.-201301

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 31.3.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 27 जन. 2020 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
मुहर डीआरटी-III, नई दिल्ली

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

एलसीआरडी/नई दिल्ली डिविजन
फेडरल टॉवर, 2/2, प्रथम तल,
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
फोन नं. 011-40733980, 40733982

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना।

(1) श्री देशराज, पुत्र श्री राम लाल
(2) श्री राकेश, पुत्र श्री राम लाल
दोनों निवासीः मकान सं. 14, राजपूत मोहल्ला, गुरुद्वारा के निकट, बरसात (42), घरौंदा, करनाल, हरियाणा-132114

आप में से प्रथम ने प्रधान ऋणधारक तथा 2 रे ने सह-आवेदक के रूप में 6.9.2017 को स्वीकृत रु. 5 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) की फेडरल प्रत्याशा ऋण सीमा **फेडरल बैंक लिमिटेड**, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अलवाये में है (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित) से पुन्द्री शाखा के माध्यम से बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद प्राप्त किया है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधाओं की प्रतिभूति के लिये आप श्री देशराज तथा श्री राकेश कुमार ने 6.9.2017 को निम्न सम्पत्तियों के मामले में मार्टगैज द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः

गिरवी रखी गई चल सम्पत्तियों का विवरण

उस पर विद्यमान तथा/अथवा निर्मित होने वाली सभी भवनों के साथ खेवत नं. 57/55, खतोनी नं. 79, रेक्ट नं. 134, किल्ला नं. 23/2 (0-16), रेक्ट नं. 145, किल्ला नं. 3 (5-16), 4 (8-10), 8(5-0), 13/1 (4-4), 18/1 (2-12) ग्राम बरसात, तहसील घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा राज्य-132114 में स्थित आवासीय मकान, एरिया माप 177.50 वर्ग याड्र्स की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दीः पूर्वः रमेश कुमार का मकान, पश्चिमः अन्य स्वामी का शेष प्लॉट, उत्तरः राधा स्वामी सतसंग भवन तथा दक्षिणः 8 फीट चौड़ी गली।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी रखी गई संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी आपको सूचित करते हैं कि बैंक की पुण्द्री शाखा में 6.1.2020 को फेडरल प्रत्याशा ऋण खाता सं. 22326600000072 में रु. 4,19,495.00/- (रुपये चार लाख उन्नीस हजार चार सौ पंचानवे मात्र) की राशि संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। उसके पुनर्भुगतान में चूक को देखते हुए आपकी ऋणखाता को भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप सभी सह-देनदार/सह-ऋणधारक तथा साथ हीं सांविधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से बैंक को यह भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 6.1.2020 से 12.80% वार्षिक दर पर आगे के ब्याज तथा 2 % प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना 10 जनवरी, 2020 को जारी की गई थी तथा यह प्रतीत होता है कि वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफैसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

आज दिनांक 19 फरवरी, 2020 कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सहायक उपाध्यक्ष
(सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

LUMAX ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड DK JAIN
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंस भवन-II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046
वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxautotech दूरभाष : 011-49857832
ईमेल : shares@lumaxmail.com, सीआईएन : L31909DL1981PLC349793

अंतरिम लाभांश के लिए अभिलिखित तिथि की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में बुधवार, 19 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए रु. 2/- प्रति पूर्णतः प्रदत्त की इक्विटी शेयरों पर रु. 2/- प्रति इक्विटी शेयर अर्थात 100% के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

पुनः कम्पनी ने उपरोक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को 'अभिलिखित तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।

कृते ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम अनिल त्यागी
दिनांक: 19.02.2020 कंपनी सचिव

Fullerton India Credit Company Limited
शाखा कार्यालय : बी-45/47, तीसरी मंजिल, निकट पीवीआर प्लाजा, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्ति(यों) की बिक्री हेतु 30 दिन की ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर फुलरटन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री कर्जदारों तथा जमानती(यों) राम राज मेडिकोज, श्री अजय कुमार गुप्ता, सुश्री अलका गुप्ता, श्री सुधीर गुप्ता, सुश्री सन्ध्या गुप्ता, सुश्री राजकुमारी से फुलरटन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के भावी ब्याज तथा वसूली की तिथि तक अन्य व्ययों सहित 07.11.2019 तक बकाया **रु. 2,30,05,434/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख पाँच हजार चार सौ चौंतीस मात्र)** की वसूली के लिए **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर 25.03.2020 **को** 11:00 **बजे प्रातः से** 01:00 **बजे अप.** (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित) की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 2,35,00,000/- (रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र) होगी तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 23,50,000/- (रुपये तेईस लाख पचास हजार मात्र) होगी। ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 23.03.2020 है।

अचल सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं. डब्ल्यूए-75, खसरा नं. 177 का भाग, गली नं. 18 एवं 19, ब्लॉक डब्ल्यूए, शकरपुर, दिल्ली-110092 का सम्पूर्ण भाग। (माप 212 वर्ग गज)

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया फुलरटन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **www.fullertonindia.com** में प्रावधानित लिंक देखें।

स्थान : दिल्ली भूपेन्दर तँवर, अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 21.02.2020 फुलरटन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

मै. एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (सीआईआरपी) के अधीन के प्रस्ताव आवेदकों के लिये अभिरुचि के अभिव्यक्ति के आमंत्रण की समय सीमा में विस्तार

मै. एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि. के मामले में दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत जारी सीआईआरपी के संदर्भ में प्रपत्र जी/ अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण के लिये 15 जनवरी 2020 को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि ईओआई जमा करने की समय सीमा सीओसी के निर्णय के अनुसार 21 फरवरी, 2020 को वर्तमान प्रकाशन की तिथि से पुनः आगे बढ़ा दी गई है।

सूचित किया जाता है कि अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि 4 फरवरी, 2020 की जगह 25 फरवरी 2020 होगी, संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी करने की तिथि 14 फरवरी, 2020 की जगह 29 फरवरी, 2020 होगी, अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, 2020 की जगह 5 मार्च, 2020 होगी, संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि 29 फरवरी, 2020 की जगह 7 मार्च, 2020 होगी, संभावित प्रस्ताव आवेदकों को सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध जारी करने की तिथि 19 फरवरी, 2020 की जगह 5 मार्च, 2020 होगी, तथा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2020 की जगह 5 अप्रैल, 2020 होगी। संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों के लिये न्यूनतम योग्यता की शर्तें एवं प्रस्ताव-कर्मी से सम्पर्क करने का विवरण पूर्ववत रहेगा।

कृपया संबंधित तिथियों का ध्यान रखें। अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे। संशोधित प्रपत्र जी प्रस्ताव-कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। आगे स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के लिये कृपया rp.ntlelectronicsindia.gmail.com अथवा pujabahry@yahoo.com को लिखें। कृपया ध्यान रहे कि प्रस्ताव कर्मी को बिना कोई कारण बताये अथवा किसी भी प्रकार की कोई भी देयता वहन किये बिना आमंत्रण को संशोधित अथवा पुनरीक्षित करने का अधिकार प्राप्त है।

हस्ता./-
पूजा बाहरी
प्रस्तावकर्मी
आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063
59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005
फोनः 9811071716, ईमेलः rp.ntlelectronicsindia.gmail.com, Pujabahry@yahoo.com

पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ....the name you can Bank upon!

शाखा कार्यालयः मुरादनगर, उ0प्र0

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत **पंजाब नेशनल बैंक, मुरादनगर, उ0प्र0 शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **28.02.2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारों एवं गारंटरों: (1) मैसर्स राम इंजी. (Engg.) मालिक श्री हिमांशु शर्मा एवं सौरभ मित्तल (2) श्रीमती वीना वती (3) श्रीमती सोनिया मित्तल,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.16,91,958.90 (सोलह लाख इक्यानबे हजार नौ सौ अठावन रुपये एवं नब्बे पैसे मात्र) 08.01.2019 को उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ भुगतान पूर्ण होने तक,** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, **कर्जदार** तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 17 फरवरी, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.16,91,958.90 (सोलह लाख इक्यानबे हजार नौ सौ अठावन रुपये एवं नब्बे पैसे मात्र) 08.01.2019** को उस पर ब्याज, लागत आदि के साथ **पंजाब नेशनल बैंक, मुरादनगर, उ0प्र0 शाखा** के प्रभार के अधीन होगा। ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती वीना वती पत्नी श्री चन्दर प्रकाश शर्मा के स्वामित्वाधीन आवासीय मकान नं.303, बाघ कालोनी, गली नं.3, तिबड़ा रोड, मोदी नगर साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से।

तिथि: 17.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मोदी नगर (उ0प्र0) पंजाब नेशनल बैंक

Syndicate Bank

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property) Rule-8(1)

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद-13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियां / गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन-देन सिंडिकेट बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणीः मौ0 ईरफान, रानी मेहताब।** **शाखाः** राकेश मार्ग, गाजियाबाद।	आवासीय ईडब्ल्यूएस फ्लेट नं0. 645, जिसकी कुल माप 18.63 स्क्वेयर मीटर, एफ ब्लॉक, नन्दग्राम, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद। मालिक मौ0. ईरफान पुत्र जामिल खान। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** में फ्लेट नं0. 646, **दक्षिण** में फ्लेट नं0. 644, **पूर्व** में 3.79 मीटर चौड़ा रोड और **पश्चिम** में फ्लेट नं0. 642.	07.12.2019	17.02.2020	रू0. 1,39,835.74 + ब्याज एवं अन्य व्यय
2.	**ऋणीः देवकी।** **शाखाः** दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद।	मकान नं0. 384 डी, जिसकी माप 41.805 स्क्वेयर मीटर, सुन्दरपुरी परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद। मालिक श्रीमति देवकी। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** में हरी शंकर का प्लॉट, **दक्षिण** में चम्पा देवी का प्लॉट, **पूर्व** में अन्य का प्लॉट और **पश्चिम** में 10 फिट चौड़ा रोड।	11.10.2019	18.02.2020	रू0. 6,08,393.37 + ब्याज एवं अन्य व्यय
3.	**ऋणीः हेमन्त कुमार त्यागी।** **शाखाः** वैशाली, गाजियाबाद।	फ्लेट नं0. 656 भूमि तल, न्याय खण्ड 2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। मालिक हेमन्त त्यागी। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** में 30 फिट चौड़ा रोड, **दक्षिण** में मकान नं0. 655, **पूर्व** में मकान नं0. 654 और **पश्चिम** में ब्लॉक।	14.11.2019	20.02.2020	रू0. 4,66,372.68 + ब्याज एवं अन्य व्यय

दिनांकः 20-02-2020 **क्षेत्रीय कार्यालयः गाजियाबाद।** **प्राधिकृत अधिकारी**

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन : 380009 **शाखा कार्यालयः** एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस, भवन सं. 59, पचकुइयाँ रोड, निकट आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना

जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) कहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना में उल्लिखित राशि तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह-कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का उसके साथ उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन-देन सम्बद्ध तिथि से भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतियों का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति का विवरण, माँग सूचना की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने की तिथि नीचे दी गयी है :

क्र. सं.	1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) कब्जा करने की तिथि
1.	1) **अपर सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड**, म.नं. 70, हरगोबिन्द एन्कलेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110042 साथ ही : 6, भारती आर्टिस्ट कॉलोनी, नई दिल्ली-110092, **साथ ही** : प्लॉट सं. 82, ब्लॉक-सी प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092, सूरज मिगलानी (**ऋण खाता संख्या 598088**), म.नं. 22, भूतल, चित्र विहार, नई दिल्ली, नई दिल्ली-110092, दीपक मिगलानी, सी-82, प्रीत विहार, नई दिल्ली, नई दिल्ली-110092, शीबानी मिगलानी (**ऋण खाता संख्या 598088**), म.नं. 22, भूतल, चित्र विहार, नई दिल्ली, नई दिल्ली-110092, मीनू मिगलानी, सी-82, प्रीत विहार, नई दिल्ली, नई दिल्ली-110092, **2)598088,1492208 तथा 950906 यूनिक आईडी संख्या 543790 से लिंक्ड; 3)** रु. 80000000/- (रुपये आठ करोड़ मात्र); **4)** प्लॉट सं. 82, ब्लॉक-सी प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092 माप 309.63 वर्ग मीटर तथा मीनू मिगलानी तथा दीपक मिगलानी के नाम से रिकार्ड, पंजीकरण दस्तावेज : वॉल्यूम सं. 3071, पृष्ठ 86 से 119 तथा 120 से 169 पर, क्रम सं. 10645 तथा 10646 पर, दिनांक 22.10.2007 को उप-रजिस्ट्रार-नई दिल्ली के कार्यालय में। **सीमाएँ** : पूर्व : सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. 81, उत्तर : सर्विस लेन, दक्षिण : सड़क। **5)** 23.10.2019, **6)** 12 अक्टूबर, 2019 तक रु. 61987586 (रुपये छः करोड़ उन्नीस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ छियासी मात्र) तथा आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज, **7)** 18.02.2020

प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री हरदीप सभरवाल-9654965496, श्री योगेश मेधावी-9310890352 एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बिल्डिंग नं. 59, पंचकुइयाँ रोड, निकट आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली-110001

स्थान : मुम्बई तिथि : 21.02.2020 ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी

TATA **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड**
7 वां तल, विडियोकॉनल टावर झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12 दिस. 2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर बयाज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋण खाता सं.	देनदार/सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं तिथि	कब्जा की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/ अचल सम्पत्ति का विवरण
7280161	1. मनोहर अरोड़ा 2. मोना अरोड़ा, मै. ओम साई एण्टर प्राईजेज द्वारा उसके प्रॉप. मनोहर अरोड़ा, सभी निवासीः एच. नं. 25/8, मारला न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा, 121102	रु. 1,24,53,778.38 (रु. एक करोड़ चौबीस लाख तिड़ेपन हजार सात सौ अठहत्तर एवं पैसे अड़तीस मात्र) 12 दिसम्बर, 2019 को	20 फरवरी 2020	सम्पूर्ण मकान सं. 25/8, माप 200 वर्ग यार्ड्स (सचिदानंद पार्क के निकट) मरला न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाण-121102, बिक्री प्रलेख तिथि 17.03.2015 के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः अन्य, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 24, दक्षिणः प्लॉट नं. 26

हस्ता./-
तिथिः 19 अगस्त, 2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः पलवल, हरियाणा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
18-ए डीडीए एससीओ कॉम्पलेक्स, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
निम्नलिखित हेतु ई निविदा आमंत्रण
1. कॉफी होम, कनॉट प्लेस एवं दिल्ली सरकार के अन्य कार्यालयों में गर्म चाय, कॉफी, सूप, शीतल पेय एवं स्नैक्स ड्रिंक्स वेंडिंग मशीनों की स्थापना। निविदा आईडी सं 2020_DTTDC_188193_1
2. डीटीटीडीसी की ओर से आउटडोर कैटरिंग के लिए प्रतिष्ठित कैटरर्स के पैनल हेतु आमंत्रण। निविदा सं 2020_DTTDC_188188_1
विस्तृत नियम एवं शर्तों सहित निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.govtprocurement.delhi.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा 02 मार्च 2020 को 3.00 बजे अपराह्न तक ऑनलाइन जमा की जायेंगी।
प्रबन्धक (खानपान)

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (ई एंड एम)
लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली-54
सार्वजनिक नीलामी सूचना
सं. ईई (ई एंड एम)/2019-20/269 दिनांक 17.02.2020
सभी संबन्धित व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बेकार वाहनों जैसे बुलडोजर, एक्सकेवेटर, टाटा ट्रक तथा स्पेयर पार्टों अर्थात् रेडिएटर, ट्रैक शू एसेम्बली आदि की सार्वजनिक नीलामी "जैसा है जहाँ है आधार" पर निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी :-
क्र.सं. : 1, लोकेशन का नाम जहाँ वाहन/स्पेयर पार्ट रखे हैं : सैनेटरी लैंड फिल भलस्वा संपर्क नं. : 9717788141; **नीलामी की तिथि :** 03.03.2020; **समय :** प्रातः 11:00 बजे; **नीलामी का स्थान :** सैनेटरी लैंड फिल भलस्वा, जी.टी. करनाल रोड बाईपास निकट मुकरबा चौक, नई दिल्ली।
नोट : नीलामी निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर "जैसा है जहाँ है आधार" पर आयोजित की जायेगी जिसे वेबसाइट अर्थात **www.mcdonline.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
अधि. अभियन्ता (ई एंड एम)/ एनडीएमसी
आर.ओ. नं. 230/डीपीआई/उत्तरी/2019-20

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (एम-I) करोल बाग जोन
सड़क सं 34, फायर स्टेशन के सामने, मोती नगर, नई दिल्ली-110015
निविदा आमंत्रण सूचना
निआसू सं : 32/ईई(एम-I)/टीसी/केबीजेड/2019-20 दिनांक : 19.02.2020
आयुक्त उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियन्ता (एम-I), करोल बाग जोन द्वारा दिल्ली नगर निगम (जनरल विंग) से पंजीकृत, स्वीकृत तथा पात्र ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार मोहरबन्द प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:
निविदा प्रपत्र की बिक्री की प्रारंभ तिथि : 19.02.2020 को सायं 18:00 बजे से
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 11.03.2020 को सायं 15:00 बजे तक
वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 12.03.2020 को सायं 15:30 बजे
क्र.सं. : 1. कार्य का नाम : बी ब्लॉक बी-19 की सड़क एवं ड्रेन का नारायणा गाँव एमसीडब्ल्यू केन्द्र, नारायणा विहार, 104-एन/केबीजेड तक विकास एवं पुनः निर्माण। **निविदा सं.** : ईईएम-I/टीसी/केबीजेड/2019-20/32-I; **लेखा शीर्षक** : XL-VIII-S(d); **निविदा राशि** : रु. 1,50,90,887/-; **धरोहर राशि** : रु 3,01,900/-; **पूर्णता अवधि** : 3 माह; **दर वैधता अवधि** : 5 माह; **निविदा मूल्य** : रु. 1,500/-.
धरोहर जमा राशि एवं निविदा मूल्य का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से करना होगा। ई-पेमेंट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से फॉर्म शुल्क का भुगतान करते समय भुगतान के माध्यम में आप चालान नं. को चुन सकते हैं।
दिल्ली नगर निगम द्वारा इस एनआईटी को जारी करने की तिथि तक समय-समय पर जारी सभी सर्कुलर लागू होंगे। निविदा का विवरण **http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** पर देखा जा सकता है।
नोट : इस एनआईटी से सम्बन्धित किसी शुद्धिपत्र/संशोधन/सूचना हेतु कृपया वेबसाइट **http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** देखें।
आर.ओ. नं. 229/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधिशासी अभियन्ता (एम)-I करोल बाग जोन

अनुसूची-I
प्रपत्र-क
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 का विनियम 14)
(बीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
के पक्षकारों के ध्यानार्थ

1.	कारपोरेट व्यक्ति का नाम	बीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट व्यक्ति के निगमन की तारीख	29/05/2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कारपोरेट व्यक्ति निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा
4.	कारपोरेट व्यक्ति की कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता भागीदारी संख्या	U74140DL2013FTC253008
5.	कारपोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	503, चिरंजीव टॉवर, 43 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
6.	कारपोरेट व्यक्ति का समापन प्रारंभ होने की तारीख	17/02/2020
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या	अमरेश कुमार सूद IBBI/IPA-001/IP-P01165/2018-19/11836 ई-मेल पता: amreshksood@gmail.com मोबाइल नं:-9873930140 पता: बीजे-131 (पश्चिम), शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088
8.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18/03/2020

सूचित किया जाता है कि **बीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ने 17/02/2020 को स्वैच्छिक समापन प्रारंभ किया है।
बीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकारों को 18/03/2020 को अथवा उससे पहले मद संख्या 7 में उल्लिखित पते पर परिसमापक के समक्ष उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके में प्रस्तुत करें। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावों का गलत अथवा गुमराह करने वाला प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
हस्ता./-
अमरेश कुमार सूद
परिसमापक
IBBI/IPA-001/IP-P01165/2018-19/11836
ई-मेल पता:- amreshksood@gmail.com
मोबाइल नं:-9873930140
पता: बीजे-131 (पश्चिम), शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088
तारीख: 20/02/2020
स्थान: नई दिल्ली

इंडियन ओवरसीज बैंक
राजीव सर्किल शाखा
एम-5 ए, मैत्री हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23415421
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिये) [(नियम 8 (1)]
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.11.2019 जारी कर ऋणधारक/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों चित्रो, पत्नी सुखवीर एवं सुखवीर पुत्र बुध राम (यहाँ के बाद "ऋणधारक" एवं "मार्टगैजरों" के रूप में वर्णित) की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.10.2019 को रु. 49,16,020.00 (उन्चास लाख सोलह हजार बीस मात्र) तथा अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
1) ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 18 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, घटाकर मांग सूचना में वर्णित उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज, लागत के साथ 31.10.2019 को रु. 49,16,020.00/- (रुपए उन्चास लाख सोलह हजार बीस मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे ब्याज, चार्जेज आदि के साथ 31.01.2019 को रु. 50,26,006.00 (रुपए पचास लाख छब्बीस हजार छह मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
सम्पत्ति सं. 121, प्रथम तल, छत के अधिकार के बिना, भूमि क्षेत्रफल माप 100 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 213 में, ग्राम नासिरपुर, वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः 8 फीट गली
तिथि: 18.2.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक

एअरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत का निर्देश

चार मई तक जांच पूरी करें ईडी और सीबीआइ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम हैं इस मामले में आरोपी

इस मामले में चार देशों को अनुरोध पत्र (लेटर्स रोगेटरी) भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है

एअरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सीबीआइ और ईडी को चार मई तक का वक्त दे दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि इस मामले में चार देशों को अनुरोध पत्र (लेटर्स रोगेटरी) भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है।

अदालतें जांच एजंसी के आग्रह पर अनुरोध पत्र जारी करती हैं। ये तब जारी किए जाते हैं जब जांच एजंसी को किसी दूसरे देश से किसी सूचना की आवश्यकता होती है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने 14 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत में एअरसेल-मैक्सिस मामले में अपनी जांच की स्थिति की रपट दाखिल की। ईडी ने कहा कि इस मामले में अभी भी सक्रियता से जांच जारी है। वहीं सीबीआइ ने बताया कि जांच के संबंध में एक न्यायिक अनुरोध-पत्र मलेशिया भेजा गया है और उसे वहां से उसका जवाब मिलने का इंतजार है।

बता दें कि सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एअरसेल-मैक्सिस मामले ने अदालत ने 28 जनवरी को फिर से सुनवाई शुरू की। अदालत ने पिछले साल पांच सितंबर को इस मामले की सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की थी और इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। अदालत ने कहा था कि दोनों जांच एजंसियां बार-बार स्थगन की मांग कर रही हैं।

अदालत ने 28 जनवरी को स्वतः संज्ञान लेकर मामले दोनों एजंसियों से जांच की मौजूदा स्थिति पर रपट दाखिल करने के लिए कहा था। तब दोनों एजंसियों ने और समय की मांग की थी जिसके बाद अदालत ने उन्हें दो हफ्ते का समय दिया था। इसके अलावा अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को अग्रिम जमानत भी दे दी थी। इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर चार मार्च को सुनवाई होगी।

जांच एजंसियां यह पता लगा रही हैं कि कार्ति चिदंबरम को 2006 में एअरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी कैसे मिली। उस समय उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

सीबीआइ और ईडी का आरोप है कि यूपीए सरकार के वक्त वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इस सौदे को मंजूरी दी और उसके बदले में घूस ली।

प्रपत्र सं. आरएससी-4
[नियम 3 (3) के अनुपालन में]
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
सीपी/ 40/ एनडी/ 2020
सेरेनडिपिटी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
-आवेदक
सूचना का प्रकाशन
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रु. 36,01,00,000 (रुपये छत्तीस करोड़ एक लाख मात्र से उपरोक्त कंपनी की शेयर पूंजी में कटौती कर उसे रु. 20,77,77,700 (रुपये बीस करोड़ सतहत्तर लाख सतहत्तर हजार सात सौ मात्र) करने की पुष्टि के लिए 18 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली (कोट नं. IV) में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वैयक्तिक क्रेडीटरों को सूचनाएं जारी की गई थी। कम्पनी द्वारा 28 जनवरी, 2020 को तैयार की गई सूची कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा मै. अर्थ एडवोकेट्स एंड लीगल एडवायजर्स के पास बी-36, एलजीएफ, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, मो.नं. 9212173310 के पास सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों को 11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।
यदि कम्पनी के किसी भी क्रेडीटर के इस आवेदन पर अथवा क्रेडीटरों की सूची में विवरणों पर कोई आपत्ति हो, वे (समर्थक दस्तावेजों के साथ) तथा अपने नाम एवं पते तथा प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई हो, के नाम एवं पते के साथ उसे कम्पनी अर्थात सेरेनडिपिटी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय अर्थात 2/48, शॉपिंग सेन्टर, मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110021 में अथवा यहां नीचे दिये गये पते पर अधोहस्ताक्षरी के पास इस सूचना की तिथि से तीन माह के भीतर भेजें।
यदि उपरोक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो क्रेडीटरों की सूची में वर्णित प्रविष्टियां कम्पनी की शेयर पूंजी में कटौती के लिये उपरोक्त आवेदन के अंतर्गत सभी कार्रवाइयों में सही मानी जायेगी।
यह भी ध्यान रहे कि इस संदर्भ में 13 अप्रैल, 2020 को सुनवाई निर्धारित की गई है जब माननीय अधिकरण द्वारा आवेदन पर सुनवाई की जायेगी। यदि कोई क्रेडीटर सुनवाई में उपस्थित रहना चाहते हों, वे अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, के साथ अनुरोध करें।
सेरेनडिपिटी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
आवेदक कम्पनी द्वारा सलाहकार
सौगत सिन्हा, अधिवक्ता
मै. अर्थ एडवोकेट्स एंड लीगल एडवायजर्स
एलजीएफ बी-36, डिफेंस कॉलोनी,
नई दिल्ली- 110024
आज, 19 फरवरी, 2020 को
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "नई दिल्ली" से "कर्नाटक" में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
...
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ... "कर्नाटक राज्य" ... तारीख गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 ...
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी/ओ ज्योति कम्प्यूटर आर-36 टीटी ब्लॉक शकरपुर नई दिल्ली ईस्ट 110092
कृते और उसकी ओर से
हाई टेक जेनेटिक क्रॉप साइंस प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
प्रेम आनंद नीरज
निदेशक
तिथि : 13.02.2020
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन : 02844660

गृह मंत्रालय को पीएफआइ पर ईडी से मिली रिपोर्ट

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

गृह मंत्रालय को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कथित कट्टरपंथी समूह, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) को लेकर एक रिपोर्ट मिली है, जिस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हाल में हुए कुछ विरोध प्रदर्शनों का वित्तपोषण करने का आरोप लगाया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों और अन्य एजंसियों से भी इसको लेकर जानकारियां मांगी हैं कि क्या पीएफआइ संबंधित राज्यों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित रूप से शामिल था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'गृह मंत्रालय को पीएफआई पर ईडी से एक रिपोर्ट मिली है और इसकी जांच की जा रही है।' पीएफआइ ने कई बार देश में सीएए के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन के साथ कोई संबंध होने से इनकार किया है। ईडी ने संभवतः समूह और इससे जुड़े एक एनजीओ के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के संबंध में पीएफआइ के पदाधिकारियों से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।

आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जे के लिए याचिका पर सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की आबादी के आधार पर किसी समुदाय विशेष को 'अल्पसंख्यक' परिभाषित करने और इस संबंध में दिशानिर्देश प्रतिपादित करने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। पीठ ने उन्हें राहत के लिए उचित मंच पर जाने की भी छूट प्रदान कर दी।

याची उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बहस के दौरान कहा कि शीर्ष अदालत के 2002 के फैसले के अनुरूप राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करने और इस संबंध में दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का जिक्र है लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

सिंह ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में हिंदू वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। पीठ ने कहा कि अगर याचिका के पास राहत का कोई उपाय है तो इसके लिए शीर्ष अदालत नहीं बल्कि कोई अन्य मंच है।

पीठ ने कहा कि इसके दो ही विकल्प हैं या तो न्यायालय याचिका खारिज करेगा या फिर याची इसे वापस ले सकता है। सिंह ने इस पर कहा कि वे याचिका वापस लेना चाहेंगे लेकिन साथ ही राहत के लिए उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता चाहते हैं। पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज कर दिया और याची को उचित मंच पर जाने की छूट प्रदान कर दी। अब ये याची पर निर्भर है कि वह कहां जाता है।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना ई निविदा सूचना सं0 ETC/MU/T-275/2019-20, ETC/MU/T-276/2019-20 & ETC/MU/T- 283/2019-20 के सम्बन्ध में सूचित करना है पर्याप्त निविदा उद्धरण (बिड) प्राप्त न होने के फलस्वरूप उक्त निविदाओं को दिनांक 27.02.2020 तक विस्तारित किया जाता है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांक/ No. 340/वि.पा.म. (ETC)/ मु. नगर (MZN) दिनांक/ Dated 20.02.2020

COURT NOTICE
In the court of sh. Satish Kumar Sharma JMIC Ludhiana
CNR NO:PBLD03-014156-2019
NEXT DATE: 25-03-2020
M/s Sn Paper Mills Limited
V/s
M/s Prashant Paper Agency
Publication Issued To: 1. M/s Prashant Paper Agency, N-216, Phase II, Pallav Puram, Meerut (u.p) Through its Prop. 2. Bijendra Singh C/o M/s Prashant Paper Agency, N-216, Phase II, Pallav Puram, Meerut (u.p)
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused/ (accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **25-03-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the Seal of the court. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-058938-2018
NEXT DATE: 05-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Vinay Batra
Publication Issued To: Vinay Batra
Address: Hno 46 Arya Nagar Moradabad Uttar Pradesh
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ (accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **05-03-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
JMIC LUDHIANA

विकास योजनाओं का जायजा लेने कश्मीर जाएंगे केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

केंद्र और स्थानीय प्रशासन की ओर से कश्मीर में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए 40 केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा शिष्टमंडल अप्रैल में केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर जाएगा। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। कश्मीर दौरे पर जाने वाले मंत्रियों के शिष्टमंडल में कौन कौन शामिल होंगे इसका निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा।

इससे पहले पिछले महीने भी मंत्रियों का एक शिष्टमंडल कश्मीर के दौरे पर गया था। मंत्रियों के समूह का मौजूदा दौरा पहले किए गए दौरे की अनुवर्ती कार्रवाई होगी। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा शिष्टमंडल कश्मीर के दौरे पर जा सकता है। दौरे की तारीख तथा इसमें कौन-कौन लोग शामिल होंगे, इसके बारे में अभी निर्णय नहीं किया जा सका है लेकिन संसद के बजट सत्र के तुरंत बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मध्यावकाश के बाद संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा दो मार्च से शुरू होगा और तीन अप्रैल को इसका समापन होगा।

अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देगा और प्रत्येक मंत्री को एक जिले में भेजा जाएगा और कश्मीर घाटी पर ध्यान केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि पहले शिष्टमंडल में शामिल कुछ मंत्री दूसरे का भी हिस्सा हो सकते हैं। पिछले महीने 37 मंत्रियों का एक दल कश्मीर गया था और वहां विकास कार्यों का मुआयना किया था।

केनरा बैंक Canara Bank
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के नियमानुसार तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट "एनफोर्समेंट" नियम 2002 (2002 का एक्ट नं0 54) साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस को जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ...
[illegible]
दिनांक: 20.02.2020 स्थान: देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सिविल जज अपर सिविल जज (प्रवर खन्ड)/ रूद्रपुर जिला- उधमसिंहनगर।
दीवानी वाद संख्या 18 सन् 2016
वादी- पायनियर पाली लेदर्स प्रा0 लि0 ...
[illegible]
आज दिनांक 10.02.2020 मेरे दस्तखत व मोहर से जारी किया गया।
रीडर/ मुन्सरिम
10.02.2020

दो शीर्ष माओवादी नेताओं की संपत्तियां जब्त

पटना, 20 फरवरी (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पटना इकाई ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दो शीर्ष नेताओं की करीब 26 लाख रुपए की चल एवं अचल संपत्ति जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय की पटना इकाई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी की एक टीम ने गुरुवार की सुबह भाकपा माओवादी के सब-जोनल कमांडर अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव की 16.49 लाख रुपए की चल एवं अचल संपत्ति जब्त की। अभिजीत की जब्त संपत्ति में उसकी पत्नी गीता देवी के नाम पर झारखंड के पलामू जिले में अधिग्रहित 16,04,745 रुपए कीमत के छह भूखंड तथा गीता के बैंक खाते में उपलब्ध 44,867 रुपए शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने फरार अभिजीत के खिलाफ यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की है। उसके खिलाफ 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना ईडी की एक अन्य टीम ने बुधवार शाम भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य पिंटू राणा उर्फ राजेश राणा उर्फ राजेश मिस्त्री और उसके परिवार के सदस्यों के नाम अधिग्रहित की 9.67 लाख रुपए से अधिक की चल संपत्ति जब्त की।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
कब्ज़ा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
आंचलिक कार्यालय- 1, पल्टन बाजार, क्लॉक टॉवर, देहरादून, फोन नं0 0135-2710107
[illegible]
दिनांक: 20.02.2020 स्थान - देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
... वर्टिकल वेयरहाउसिंग डोमेन प्राइवेट लिमिटेड ...
"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" ...
[illegible]
दिनांक : 20.02.2020
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन : 07086715

मानवाधिकार आयोगों से साझे पोर्टल से जुड़ने की अपील

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों से गुरुवार को साझे पोर्टल के साथ जुड़ने की अपील की ताकि एक ही शिकायत दो बार दर्ज न की जा सके। आयोग ने यहां सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों की बैठक बुलाई है।

दत्तू ने कहा कि अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आयोग ने शिकायत दर्ज कराने की अपनी प्रणाली को केंद्र के साझे सेवा पोर्टल के साथ समेकित किया है। वह राज्य मानवाधिकार आयोगों को भी एचआरसीएनईटी पोर्टल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकतर राज्य आयोग इस पोर्टल से जुड़ गए हैं। कुल 22 राज्यों के मानवाधिकार आयोग अब तक इस पोर्टल से जुड़े हैं।

www.readwhere.com

जर्मनी के हुक्का बारों में गोलीबारी, नौ की मौत

हनाऊ (जर्मनी), 20 फरवरी (एएफपी)।

जर्मनी के हुक्का बारों को निशाना बना कर की गई गोलीबारी में नौ लोगों की मौत हो गई जिसके बाद रातभर हमलावरों की तलाश की गई। एक संदिग्ध बंदूकधारी गुरुवार तड़के अपने घर में मृत पाया गया। ये हमले फ्रैंकफर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर हनाऊ के दो बारों में हुए। हनाऊ हेस्से राज्य में स्थित है।

हेस्से में पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर हनाऊ स्थित अपने घर में मिला। एक अन्य व्यक्ति का शव वहीं से बरामद हुआ है। यहां खबरों के अनुसार पहला हमला रात करीब 10 बजे शहर के बीच स्थित 'मिडनाइट' बार में हुआ। स्थानीय मीडिया ने बताया कि इमारत के बाहर तीन लोगों की मौत हो गई और प्रत्यक्षदर्शियों ने दर्जनों गोलियां चलने की आवाज सुनीं। पुलिस ने बताया कि हमलावर कार में सवार होकर घटनास्थल से भाग गए। इसके अलावा 'अरीना बार' में भी गोलीबारी हुई।

'बिल्ड' समाचार पत्र ने कहा कि एक बंदूकधारी ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और लोगों पर गोलियां चलाईं। इस हमले में एक महिला समेत पांच लोगों की मौत हो गई। 'पीडीए' संवाद समिति ने बार प्रबंधक के बेटे के हवाले से कहा, 'पीड़ितों को वे कई वर्षों से जानते थे।' पुलिस ने बताया कि इस हमले में घायल हुए एक अन्य व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।

खबरों में पहले बताया गया था कि इस हमले में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हनाऊ के मेयर क्लाउस कामिंस्की ने 'बिल्ड' समाचार पत्र से कहा, 'इससे खराब रात नहीं हो सकती। हम इसमें लंबे समय तक व्यस्त रहेंगे और यह हमेशा एक दुखद याद रहेगी।'

संदिग्ध हत्यारे और एक अन्य का शव मिला

हनाऊ, 20 फरवरी (एपी)।

जर्मनी के हनाऊ शहर में दो हुक्का लाउंज के अंदर और बाहर गोलीबारी कर नौ लोगों की हत्या करने का संदिग्ध गुरुवार को अपने घर में मृत मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को उसी घर से एक और शव मिला है।

पुलिस ने संदिग्ध बंदूकधारी का कोई विवरण नहीं दिया है। पुलिस ने कहा, 'अन्य साजिशकर्ताओं के अभी कोई संकेत नहीं हैं।'

चीन में मरने वालों की संख्या 2,118 हुई

बीजिंग, 20 फरवरी (भाषा)।

चीन में घातक कोरोना वायरस के कारण 114 और लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ कर 2,118 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल पुष्ट मामलों की संख्या बढ़ कर 74,576 हो गई है। चीनी प्राधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना दर्ज होने वाले मामलों में गिरावट आई है और इसके 394 मामले सामने आए। इस संक्रमण का पहला मामला दिसंबर में दर्ज किया गया था। तब से यह आंकड़ा सबसे कम है।

एनएचसी ने बताया कि 31 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में बुधवार को 114 लोगों की मौत हुई। चीनी मुख्यभूमि में इसके कुल 74,576 मामलों की पुष्टि हुई है और इस घातक बीमारी से 2,118 लोगों की मौत हो गई। आयोग ने बताया कि 4,922 लोगों के इस वायरस से संक्रमित होने का संदेह है। उसने बताया कि इस विषाणु के कारण हुबेई में 108 और हेबेई, शंघाई, फुजियान, शनदोंग, युन्नान और शानक्सी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई।

दक्षिण कोरिया में पहली मौत: दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से पहली मौत होने की खबर है।

यमन में हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत, 19 बच्चे शामिल : संरा

सना, 20 फरवरी (एएफपी)।

यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी हिस्से में पिछले सप्ताह हवाई हमलों में 19 बच्चों सहित कुल 31 नागरिक मारे गए।

संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा, 'यूनीसेफ को यह पुष्टि करते हुए दुख हो रहा है कि उत्तरी यमन के अल जौफ में 15 फरवरी को हुए हमले में 19 बच्चों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए।' यूनीसेफ के क्षेत्रीय संचार प्रमुख जे तोउमा ने कहा, 'यह हमला असैन्य आबादी वाले क्षेत्र में हुआ जहां बच्चे भी थे।' शनिवार का हवाई हमला ईरान से जुड़े विद्रोहियों द्वारा सरकार समर्थित सऊदी नीत गठबंधन के विमान को गिराने के दावे के एक दिन बाद हुआ है।

यूनीसेफ ने सभी पक्षों से संघर्ष समाप्त करने की अपील की और कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में बढ़ रही हिंसा याद दिलाती है कि यमन में बच्चे हिंसा की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। सऊदी नीत गठबंधन ने युद्ध में 2015 में उस वक्त हस्तक्षेप किया जब कुछ ही दिन पूर्व विद्रोहियों ने राजधानी सना में कब्जा किया था। उसके बाद से अब तक लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर असैन्य नागरिक हैं।

कोरोना वायरस से कम हो सकती है वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण का असर जून के बाद भी बना रहा तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि करीब एक फीसद नीचे आ सकती है। डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के संक्रमण का चीन की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर दिखने लगा है। इसका दुष्प्रभाव वैश्विक कंपनियों पर बढ़ता जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस के संक्रमण को 30 जनवरी को वैश्विक चिकित्सकीय आपातकाल घोषित किया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में कारोबारी गतिविधियों में जनवरी के अंत में नववर्ष के अवकाश के कारण नरमी आना सामान्य है। इस कारण वैश्विक कंपनियां पहले ही भंडार बढ़ा लेती हैं। इसलिए कोरोना वायरस के कारण आपूर्ति व परिचालन बाधित होने का अभी तक खास असर देखने को नहीं मिला है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'हालांकि वैश्विक कंपनियों पर इस संक्रमण का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी इसे काबू किया जाता है।' डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का योगदान कई गुना बढ़ा है। उसने कहा कि चीन में करीब 2.2 करोड़ कंपनियां यानी चीन की आर्थिक गतिविधियों का 90 फीसद उन क्षेत्रों में ही स्थित है, जहां वायरस के संक्रमण का अधिक असर है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर धीरे-धीरे फैलकर वैश्विक स्तर पर असर दिखाने लगेगा और यदि संक्रमण जून के बाद भी बना रहा तो इसके कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में करीब एक प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।'

अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए चीन ने कम की ब्याज दरें

बीजिंग, 20 फरवरी (एएफपी)।

चीन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को दूर करने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने की गुरुवार को घोषणा की।

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक बयान में कहा कि ऋण की मुख्य ब्याज दर (एलपीआर) में कटौती की जा रही है, ताकि कंपनियों को इस आपदा से उबरने में राहत मिल सके। बयान के अनुसार, एक साल की परिपक्वता अवधि के लिए एलपीआर 4.15 फीसद से घटा कर 4.05 फीसद कर दिया गया है।

कार्बन उत्सर्जन कम करने में भारत बड़ी समस्या : ब्लूमबर्ग

वाशिंगटन, 20 फरवरी (भाषा)।

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल न्यूयॉर्क के पूर्व महापौर माइकल ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने और खासतौर पर कार्बन उत्सर्जन करने के मामले में चीन के मुकाबले भारत ज्यादा बड़ी समस्या है।

लास वेगास में बुधवार को डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी की प्राइमरी डिबेट में अपने पहले भाषण में ब्लूमबर्ग ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने का लिया गया फैसला हास्यास्पद था।

ब्लूमबर्ग ने जलवायु परिवर्तन पर एक सवाल के जवाब में कहा, 'पूरी तरह ईमानदारी से कहूं तो चीन ने कमी लाई है। भारत ज्यादा बड़ी समस्या है, बल्कि यह असाधारण समस्या है। कोई इस बारे में कुछ नहीं कर रहा।' ब्लूमबर्ग से उनके कारोबार के बारे में पूछा गया था जिसका दुनिया के सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश चीन में काफी निवेश है। उनसे यह भी पूछा गया था कि वह बेजिंग पर कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु संकट से निपटने के लिए किस तरीके से दबाव बना सकेंगे।

उन्होंने जवाब में कहा, 'आप उनसे युद्ध करने नहीं जा रहे। आपको उनसे बातचीत करनी होगी और हमने टैरिफ के मामले में यह देख लिया है। आपको चीनियों को मनाना होगा कि यह उनके भी हित में है, जिस तरह हमारे लोग मर जाएंगे, उसी तरह उनके लोग भी मर जाएंगे और हम मिल कर काम करेंगे।'

ब्लूमबर्ग का बयान ऐसे में आया है जबकि भारत ने पेरिस समझौते के तहत संकल्प किया है कि वह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 30-35 फीसद तक कमी करेगा और अतिरिक्त वन्य क्षेत्र के जरिये 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाईआक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाएगा।

ट्रंप ने की थी असांजे को सशर्त माफी की पेशकश

लंदन, 20 फरवरी (एपी)।

विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे अपनी प्रत्यर्पण सुनवाई के दौरान यह दावा करने वाले हैं कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें सशर्त माफी की पेशकश की थी। असांजे के अनुसार उनसे कहा गया था कि वह यह कह दें कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान डेमोक्रेट नेशनल कमेटी (डीएनसी) के ईमेल लीक होने में रूस का हाथ नहीं था। असांजे फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और जासूसी के आरोप में अमेरिका प्रत्यर्पण का मुकदमा लड़ रहे हैं। अदालत में इसकी पूरी सुनवाई अगले सप्ताह से शुरू होगी।

जापानी जहाज पर एक और भारतीय कोरोना से संक्रमित

तोक्यो, 20 फरवरी (भाषा)।

जापान तट के पास अलग-थलग खड़े क्रूज पोत पर एक और भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है जिसे अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही पोत 'डायमंड प्रिंसेस' पर इस विषाणु से संक्रमित होने वाले भारतीयों की संख्या आठ हो गई है।

पोत गत तीन फरवरी को तोक्यो के नजदीक योकोहामा पहुंचा था जिसमें सवार 3,711 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 621 लोग घातक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पोत में विषाणु संक्रमण का तब पता चला जब पिछले महीने इससे हांगकांग में उतरा यात्री इस विषाणु से संक्रमित मिला। 'डायमंड प्रिंसेस' में से 138 भारतीय थे जिनमें चालक दल के 132 सदस्य और छह यात्री शामिल थे।

जापान में भारतीय दूतावास ने ट्वीट में कहा, 'डायमंड प्रिंसेस पर कल सामने आए सीओवीआईडी-19 के 79 नए मामलों में संक्रमित मिले चालक दल के एक भारतीय सदस्य को भी उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।' पूर्व में पोत पर सात भारतीय 'सीओवीआईडी-19' से पीड़ित पाए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को 'सीओवीआईडी-19' नाम दिया है।

राष्ट्रीय संग्रहालय में भारत के आहार इतिहास पर कार्यक्रम

मांसाहारी व्यंजन हटाए गए

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

भारत की पाककला के इतिहास को लेकर राष्ट्रीय संग्रहालय में एक सप्ताह चलने वाली भारत के आहार इतिहास पर प्रदर्शनी से मांसाहार व्यंजनों को भावनात्मक कारणों से हटा दिया है। इस अलिखित नियम को 'भावनात्मक' बताया गया है। संग्रहालय के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

आयोजकों को उस समय गुस्से का सामना करना पड़ा जब मांसाहारी व्यंजनों की सूची संग्रहालय के वेबसाइट पर डाली गई। इसके कुछ देर के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रदर्शनी में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही परोसे जाएंगे। यह प्रदर्शनी 25 फरवरी तक है। खाद्य पदार्थ प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय और निजी कंपनी वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज (ओएसएमएस) ने किया है।

संग्रहालय के अतिरिक्त महानिदेशक सुब्रत नाथ ने बताया कि ओएसएमएस ने विस्तृत तरीके से मांसाहार व्यंजनों के बारे में चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कहा, 'एक दिन तक वेबसाइट पर मांसाहर व्यंजन की सूची रहने के बाद हमें जैसे इसका पता चला, हमने इसे हटा लिया।'

नाथ ने बताया कि मांसाहार व्यंजन नहीं परोसने का फैसला कोई लिखित नीति नहीं है बल्कि भावनात्मक है।

कोरोना वायरस की पहली संदिग्ध मरीज को अस्पताल से छुट्टी

त्रिशूर, 20 फरवरी (भाषा)।

केरल में कोरोना वायरस के एक मरीज को इलाज के बाद रविवार को छुट्टी दे दी गई। यह महिला भारत में कोरोना वायरस की पहली मरीज थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लगातार दो जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय मेडिकल बोर्ड ने किया।

देश में अभी तक कोरोना वायरस से पीड़ित सभी तीनों व्यक्ति इस संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इससे पहले अलप्पुझा के एक छात्र और कासरगोड के एक छात्र को छुट्टी दी गई थी। संक्रमण के बाद दोनों का इलाज चला और फिर जांच में नतीजे निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई।

महिला का इलाज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पृथक वार्ड में चल रहा था। वह पिछले महीने चीन के वुहान शहर से लौटी थी। वुहान से लौटने के बाद ये तीनों व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में बताया, 'त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीसरे मरीज की हालत संतोषजनक है।

गुमशुदा लड़के की तलाश

नितिन तिवारी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का (फोटो में दिखाया गया) जिसका नाम नितिन तिवारी S/o दया नन्द तिवारी R/o म.नं.21, सनडे मार्केट, फेस-IV, आया नगर, नई दिल्ली **उम्र** 14 साल जो कि 05.02.2020 को पुलिस थाना क्षेत्र, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली से लापता है। इस बाबत **FIR No.45/20 दिनांक 06.02.2020** भा.द.सं. 363 के तहत थाना फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली में दर्ज है। इसका शारीरिक ब्यौरा इस प्रकार है:

रंग: गोरा, **कद:** 5'1", **चेहरा:** अण्डाकार, **शरीर:** सामान्य, **बाल:** भूरे, जिसने नीले रंग की जींस, संतरी रंग की कमीज, काले रंग का स्वेटर और काले रंग के जूते पहने हैं।

अगर किसी व्यक्ति को इस लापता लड़के के बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो थानाध्यक्ष फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली को ई-मेल: **cic@cbi.gov.in** और वेबसाइट : **http://cbi.nic.in** पर सूचित करने की कृपा करें।

फोन नं.: 011-24368638, 24368641
फैक्स नं.: 011-24368639
DP/5966/SD/2020

हस्ता/-
थानाध्यक्ष: फतेहपुर बेरी नई दिल्ली
फोन: 011-26659511, 26659611

ट्रैक्टर पलटने से चालक समेत चार लोगों की मौत

जगदलपुर, 20 फरवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में गुरुवार को एक ट्रैक्टर के पलट जाने के कारण उस पर सवार कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर तीर्थम चौक पर उस वक्त हुआ, जब पीड़ित कोडेनार गांव से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार ट्रैक्टर पलटने की घटना में चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए।

डीजीपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

इससे पहले कर्नाटक सरकार की ओर से पैरवी कर रहे महान्यायवादी तुषार मेहता ने पीठ से कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक असाधारण आदेश पारित किया है। उन्होंने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि अदालत के फैसले का निष्पादन राज्य गृह सचिव के जरिए किया जाना है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

ओ.ए सं. 647/219 के मामले में
भारतीय स्टेट बैंक ... आवेदक
बनाम
कौशल्या देवी एवं अन्य ... प्रतिवादी

सेवा में,
डी-1 श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार राणा, बी-3/35, द्वितीय तल, पॉकेट-3, सैक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली -110085 और: ए-3/250, सैक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली -110085।
डी-2 श्री सुरेश कुमार राणा पुत्र श्री रिशाल सिंह, बी-3/35, द्वितीय तल, पॉकेट-3, सेक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली-110085, और: ए-3/250, सेक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली -110085
डी-3 टीडीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. इसके निदेशकों, यूजीएफ, वंदना बिल्डिंग, 11, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001, और: - टीडीआई सिटी, कुंडली, सोनीपत हरियाणा, और: 9, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली -110001

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस नोटिस के माध्यम से आपको दिनांक **03-03-2020** को पूर्वाह्न 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 23 दिसम्बर, 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
सहायक रजिस्ट्रार डीआरटी-III, नई दिल्ली

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
PROCLAMATION OF SALE
O.M.P. (ENF.) (COMM.) 25/2016
(Arising out of Award dated 28-08-2015 passed by Arbitral Tribunal of Learned Sole Arbitrator, Mr. A Sikdar)

M/s. S.E. Investments Ltd. ..... Decree Holder
VERSUS
M/s. Star Bazaar Private Limited & Ors. .... Judgment Debtors

To
The General Public

Whereas the above noted petition for execution has been filed by the aforesaid Decree Holder for the execution of the award /decree dated 28.08.2015 passed by Learned Sole Arbitrator, Mr. A. Sikdar, Under Section 36 Arbitration Conciliation Act, 1996 Order XXI of Code of Civil Procedure and whereas this Court has ordered **to sell the agricultural land admeasuring 1 bigha 2 biswas located at Khasra no. 255 min (1-02) situated in Village Ladha Sarai, Tehsil and District Mehrauli, New Delhi** by Public Auction by Court Auctioner on **26.03.2020** at the aforesaid property. The Details of the property for realization of the amount shown herein above are as under:-

1. Schedule of property : The agricultural land admeasuring 1 bigha 2 biswas located at Khasra no. 255 min (1-02) situated in Village Ladha Sarai, Tehsil and District Mehrauli, New Delhi
Date of Sale : 26.03.2020
Reserved Price : Rs. 3,00,11,520/-
The date and time of inspection of the suit property by the prospective buyers:
4th March to 19th March, 2020 between, 10.00 am to 1.00 p.m.

All persons interested in the purchase of above mentioned immovable property are invited to bid at the auction as specified in the proclamation of sale. However, the sale of the property will be subject to confirmation by the Hon'ble Court.

Given under my hand and the Seal of this Court, **in terms of orders dated 15.01.2020 & 14.02.2020.**

Sd/
Seal
DEPUTY REGISTRAR (O)
FOR REGISTRAR GENERAL

गुमशुदा व्यक्ति की तलाश

दीपक

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नाम दीपक पुत्र श्री जय सिंह निवासी मकान नं. ई-1/110, मदनगिर, नई दिल्ली **उम्र** : 19 साल, **कद** : 170 सेमी., **रंग** : सांवला, **शरीर** : पतला, **चेहरा** : लम्बोतरा, जिसने स्लेटी रंग की जैकेट, नीले रंग की जीन्स और पांव में चप्पल पहने हुए है, दिनांक 29.01.2020 से थाना अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली के क्षेत्र से लापता है। इस संदर्भ में डीडी सं. 47-ए दिनांक 30.01.2020 थाना अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें:-

ई-मेल: cic@cbi.gov.in
वेबसाईट: http://cbi.nic.in
फैक्स: 24368639,
दूरभाष: 24368638/24368641

थानाध्यक्ष :
थाना अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली
दूरभाष सं. 011-29052304, 29051917

DP/5958/SD/2020

प्रारुप संख्या आईएनसी-25 अ
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
एमराल्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(CIN:U36999DL1989PLC037300)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **एस-553, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048** में स्थित है, के मामले में,
.......आवेदक

आम जनता को सूचित किया जाता है की कम्पनी ने केंद्रीय सरकार को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत अपना नाम **'लिमिटेड'** से हटाकर **'प्राइवेट लिमिटेड'** कम्पनी में परिवर्तित कर रही है, जिसके हेतु विशेष प्रस्ताव कम्पनी की असाधारण बैठक में **18 फरवरी, 2020** को पारित किया गया है जिसके अंतर्गत रूपांतरण स्वीकृत किया गया है।

कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर **एस-553, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048** में भी भेज दें।

कृते एमराल्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अनिल ज्ञान चंद भंसाली
(निदेशक)
DIN: 00533601

तिथि : 21.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

गुमशुदा / अपहृत की तलाश

कमला

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला जिसका नाम **कमला पत्नी सुदान** निवासी J-1880 C.R. पार्क, नई दिल्ली जो थाना चितरंजन पार्क, दिल्ली एरिया से दिनांक 12.12.2019 से लापता/अपहृत है। इस बाबत **DD No. 18A दिनांक 29.12.2019 थाना चितरंजन पार्क, दिल्ली** में दर्ज है। इस महिला का शारीरिक ब्यौरा इस प्रकार है :

उम्र : 31 वर्ष, **रंग** : साफ, **कद** : 5', **चेहरा** : गोल, **पहनावा** : नीले रंग का सूट सलवार और सैन्डल पहने है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस महिला का कोई सुराग नही मिल पाया है। अगर किसी व्यक्ति को इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिले तो थानाध्यक्ष चितरंजन पार्क, दिल्ली को निम्नलिखित न. व ई-मेल : cic@cbi.gov.in और वेबसाइट http://cbi.nic.in पर सूचित करें।

फोन : 011-24368638, 24368641
फैक्स नं.: 011-24368639
DP/5962/SD/2020

हस्ता/- थानाध्यक्ष
थाना : चितरंजन पार्क, दिल्ली
फोन : 011-26271374

झारखण्ड सरकार उद्योग विभाग
हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय
निविदा सूचना

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड राँची के अधीन विभिन्न रेशम केन्द्रों में तकनीकी कार्यबल(परियोजना प्रबंधकों एवं परियोजना सहायकों) की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली जानी है। इस हेतु बिड बोली प्रणाली के तहत दो बोली(तकनीकी एवं वित्तीय) के अंतर्गत श्रमशक्ति एजेंसी की सेवाएँ लेने हेतु योग्य फर्मो से मुहरबंद बोली आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा दस्तावेज(Terms & Conditions के साथ) दिनांक 27.02.2020 से 07.03.2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के समय में प्रातः 10.00 से 6.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त दस्तावेज उद्योग विभाग के वेबसाइटwww.jharkhandindustry.gov.inएवं https:jharkhandindustry.gov.in/tenders पर भी उपलब्ध है।
3. श्रमशक्ति एजेंसी अपनी निविदाएँ तकनीकी एवं वित्तीय दरों के अलग-अलग सील मुहरबन्द लिफाफों में दिनांक 13.03.2020 के अपराह्न 2.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।
4. निविदाएँ निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, उद्योग भवन, तृतीय तल, रातु रोड, राँची -834001 पते पर प्रेषित की जा सकती हैं।
5. प्राप्त निविदाओं को दिनांक-13.03.2020 को शाम 3.00 बजे निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में समिति के समक्ष खोला जायेगा।

निदेशक
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

PR 225739 Directorate of Handloom Sericulture and Handicraft (19-20)D

ujjivan SMALL FINANCE BANK
दूसरा तल, जीएमटीटी भवन
डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8 (1)]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] खेवट नं. 1274, गाव सिकन्दराबाद, [illegible]	11.11.19	19.02.2020	रु. 9,61,621/- [illegible] रु. 9,11,925/- [illegible]

[illegible] ऋण खाता सं. 22627620000013 में

दिनांक : 20.02.2020 स्थान : सिकन्दराबाद प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com

खबर कोना

इंडिया ओपन गोल्फ 19 मार्च से

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

स्कॉटलैंड के गत चैंपियन स्टीफन गैलाशर सहित दुनिया और भारत के शीर्ष गोल्फ खिलाड़ी 19 मार्च से गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ एवं कंट्री क्लब में होने वाले 17 लाख 50 हजार डॉलर (12 करोड़ रुपए से अधिक) इनामी राशि के हीरो इंडिया ओपन में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे। पूर्व चैंपियन ज्योति रंधावा (2000, 2006 और 2007), एसएसपी चौरसिया (2016 और 2017) और अनिर्बान लाहिड़ी (2015) के अलावा शिव कपूर, राशिद खान, राहिल गंगजी और शुभंकर शर्मा 22 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से खिताबी दावेदारों में शामिल हैं। पिछले तीन सत्र से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे उदयन माने, गगनजीत भुल्लर, विराज मदप्पा, खलिन जोशी, एस चिकारंगप्पा, अजितेष संधू, अमन राज, पर सभी की निगाहें रहेंगी।

भारतीय ग्रैंडमास्टर अधिबान, सेतुरमन ने जीत के साथ की शुरुआत

मॉस्को, 20 फरवरी (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर बी अधिबान और एसपी सेतुरमन ने एयरोफ्लोट ओपन शतरंज टूर्नामेंट के ग्रुप ए के पहले दौर में जीत दर्ज की। शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के ब्लादिस्लाव अर्तमीव ने पहले दौर में वेलिमीर इविच को हराया। छठी वरीयता प्राप्त अधिबान ने सर्जेइ ग्रिगोरियेंट्स को 35 चालों में मात दी। वहीं 12वीं वरीयता प्राप्त सेतुरमन ने ग्रैंडमास्टर रौनक साधवानी को 43 चालों में हराया। भारत के एनआर विशाख, कार्तिकेयन मुरली, दीप सेनगुप्ता और भरत सुब्रहमण्यम ने भी जीत दर्ज की। युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ड्रॉ खेला। भारत के 25 खिलाड़ी इस वर्ग में भाग ले रहे हैं जिनमें 14 ग्रैंडमास्टर हैं।

गुजराती और हरिकृष्ण ने सातवें दौर में ड्रॉ खेला

प्राग, 20 फरवरी (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने प्राग शतरंज महोत्सव के मास्टर्स वर्ग के सातवें दौर में हमवतन पी हरिकृष्ण से ड्रॉ खेला। सात दौर के बाद उनके पांच अंक हैं और वह रूस के निकिता वी और शीर्ष जूनियर खिलाड़ी अलीरजा फिरोजा से एक अंक आगे हैं। गुजराती और हरिकृष्ण ने 29 चालों के बाद ड्रॉ पर रजामंदी जताई। आठवें दौर में गुजराती का सामना चेक गणराज्य के डेविड नवारा से और हरिकृष्ण का मार्कस राजेर से होगा।

बेसिन रिजर्व पर पुरानी यादों में खोए शास्त्री

वेलिंगटन, 20 फरवरी (भाषा)।

मुंबइया भाषा में 'खडूस' कहे जाने वाले रवि शास्त्री आम तौर पर जज्बात जाहिर नहीं करते। लेकिन बेसिन रिजर्व पर पहुंचकर वह यादों के गलियारों में चले गए। इसी मैदान पर 39 साल पहले उन्होंने भारत के लिए पहला टैस्ट खेला था। शास्त्री ने 39 साल पहले 19 वर्ष की उम्र में भारत की 151वें नंबर की टैस्ट कैप पहनी थी। बेसिन रिजर्व पर ठंडी हवाओं के बीच छह फुट लंबे इस युवा क्रिकेटर को तीन स्वेटर पहनने पड़े थे। लकड़ी की बेंचों और सफेद ग्रिल की सीमारेखा को निहारते अपनी तस्वीर के साथ शास्त्री ने ट्वीट किया,' 39 वर्ष हो गए। इतिहास खुद को दोहराता है। कल यही दिन, यही मैदान, यही टीम और यही शहर होगा जहां मैने 39 साल पहले पहला टैस्ट खेला था।' उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम अब भी वही है। कुछ नहीं बदला। शास्त्री को दरअसल विकल्प के तौर पर न्यूजीलैंड बुलाया गया था क्योंकि दिलीप दोशी आस्ट्रेलिया दौरे पर घायल हो गए थे।

महिला पहलवानों का जलवा, भारत को मिले तीन स्वर्ण

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

दिव्या काकरान, सरिता मोर और पिंकी ने गुरुवार को अपने वजन वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए जिससे भारत ने एशियाई चैंपियनशिप की महिला स्पर्धाओं में पहले दिन दबदबा बनाया। मेजबानों के लिए दिन यादगार रहा जिसमें भारतीय पहलवान पांच में से चार के फाइनल में पहुंची और दिव्या (68 किग्रा), पिंकी (55 किग्रा) और सरिता (59 किग्रा) ने शीर्ष स्थान हासिल किया। निर्मला देवी को 50 किग्रा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा जबकि किरण (76 किग्रा) ही एकमात्र पहलवान रहीं जो पदक हासिल नहीं कर सकीं।

हालांकि चीन और कोरियाई पहलवानों की अनुपस्थिति में और जापान के अपने सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को नहीं भेजने से टूर्नामेंट में चुनौती थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। इससे पहले भारत के लिए सीनियर एशियाई चैंपियनशिप महिला स्पर्धा में एकमात्र स्वर्ण नवजोत कौर ने हासिल किया था जिन्होंने 2018 में किर्गिस्तान के बिशकेक में 65 किग्रा का खिताब जीता था।

जकार्ता एशियाई खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली दिव्या ने मजबूत प्रदर्शन किया और अपने सारे मुकाबले प्रतिद्वंद्वियों को चित करके जीते जिसमें जापान की जूनियर विश्व चैंपियन नरूहा मातसुयुकी को हराना भी शामिल रहा।

वहीं सरिता 2017 में 58 किग्रा में रजत पदक जीतने के बाद अपनी पहली एशियाई प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। उन्होंने कजाखस्तान की मदीना बाकबेरजेनोवा और किर्गिस्तान की नाजिरा मार्सबेकिजी के खिलाफ अपने पहले दो मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीते। इसके बाद उन्होंने जापान की युमी कोन पर 10-3 से जीत हासिल की।

इसके बाद उन्होंने फाइनल में मंगोलिया की बातसेतेग अटलांटसेतसेग को 3-2 से हराया। वह स्कोर बराबरी के बाद अंक जुटाकर इस प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक जुटाने में सफल रहीं। पहली बार सीनियर एशियाई प्रतियोगिता में भाग ले रहीं पिंकी ने उज्बेकिस्तान की शोकिदा अखमेदोवा को चित करके शुरूआत की और फिर अगले मुकाबले में जापान की काना हिगाशिकावा को पराजित किया।

फिर उन्होंने सेमीफाइनल में मारिना जुयेवा को 6-0 से हराया। उन्होंने मंगोलिया की डुलगुन बोलोरमा पर 2-1 की जीत से स्वर्ण पदक हासिल किया।

दिव्या ने मजबूत प्रदर्शन किया और सारे मुकाबले प्रतिद्वंद्वियों को चित करके जीते जिसमें जापान की नरूहा मातसुयुकी को हराना भी शामिल रहा

एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप

55 किग्रा वर्ग में मंगोलियाई खिलाड़ी पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय पहलवान पिंकी

रणजी ट्राफी क्वार्टर फाइनल

पटेल के शतक से गुजरात के चार विकेट पर 330 रन

अनुष्टुप मजूमदार के शतक की मदद से बंगाल ने ओड़ीशा के खिलाफ 46 रन तक पांच विकेट गिरने के बावजूद शानदार वापसी की और स्टंप तक छह विकेट गंवाकर 308 रन बना लिए

कटक में गुरुवार को बंगाल के खिलाफ मुकाबले के दौरान विकेट के लिए अपील करते ओड़ीशा के खिलाड़ी

वलसाड/ जम्मू/ तांगी/ ओंगोर, 20 फरवरी (भाषा)।

कप्तान पार्थिव पटेल के 27वें प्रथम श्रेणी शतक की बदौलत गुजरात ने गोवा के खिलाफ रणजी ट्राफी क्वार्टर फाइनल के पहले दिन चार विकेट पर 330 रन बना लिए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गोवा के गेंदबाजों के खिलाफ 15 चौके जमाते हुए सरदार पटेल स्टेडियम में 156 गेंद में नाबाद 118 रन बना लिए। इस दौरान पटेल ने 11,000 प्रथम श्रेणी रन भी पूरे किए।

बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद गुजरात के सलामी बल्लेबाज समित गोहिल (52) और प्रियांक पंचाल (28) ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। लेकिन पंचाल विकेट गंवा बैठे और भार्गव मेराई (113 गेंद में 84 रन) क्रीज पर उतरे।

वहीं अनुष्टुप मजूमदार के शतक की मदद से बंगाल ने ओड़ीशा के खिलाफ 46 रन तक पांच विकेट गिरने के बावजूद शानदार वापसी की और स्टंप तक छह विकेट गंवाकर 308 रन बना लिए। ओड़ीशा के तेज गेंदबाजों के आगे बंगाल को पहले सत्र में काफी परेशानी हुई।

कर्नाटक ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खराब मौसम से प्रभावित रणजी ट्राफी क्वार्टर फाइनल के पहले दिन सिर्फ छह ओवर के खेल में दो विकेट पर 14 रन बनाए। आसमान में बादल छाए होने के कारण पूरे दिन में रोशनी खराब रही।

विश्वराज सिंह जडेजा (73), चिराग जानी (नाबाद 53) और शेल्डन जैकसन (50) के अर्धशतक से सौराष्ट्र ने आंध्र के खिलाफ छह विकेट पर 226 रन बनाए।

भ्रष्टाचार निरोधक जांच पूरी होने तक पाक खिलाड़ी अकमल निलंबित

करांची, 20 फरवरी (भाषा)।

विवादों से घिरे उमर अकमल के करिअर को गुरुवार को एक और झटका लगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार निरोधक जांच पूरी होने तक उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बोर्ड ने हालांकि यह नहीं बताया कि अकमल ने किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

पीसीबी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को गुरुवार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वह पीसीबी की भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई की जांच पूरी होने तक क्रिकेट से जुड़ी किसी गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। इसमें कहा गया कि मामले की जांच चल रही है। पीसीबी इस मामले पर आगे कोई बयान नहीं देगा।

बोर्ड ने हालांकि यह नहीं बताया कि अकमल ने किस तरह आचार संहिता का उल्लंघन किया

अकमल की पीएसएल टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स को गुरुवार से शुरू हो रहे 2020 सत्र में उनके विकल्प के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल के छोटे भाई उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 16 टैस्ट, 121 वनडे और 84 टी-20 मैच खेलकर क्रमसे 1003, 3194 और 1690 रन बनाए हैं।

उसने आखिरी बार अक्तूबर में पाकिस्तान के लिए खेला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टैस्ट क्रिकेट में पदार्पण के साथ उम्मीदें जगाने वाले अकमल अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। अधिकारियों से लगातार विवादों का असर भी उनके करिअर पर पड़ा। इस महीने की शुरुआत में भी वह प्रतिबंध से बाल-बाल बचे थे जब उन्होंने लाहौर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिटनेस टेस्ट के दौरान ट्रेनर को कथित तौर पर अपशब्द कहे थे।

उछाल वाली पिच पर दमखम दिखाने को तैयार टीम इंडिया

बेसिन रिजर्व पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टैस्ट आस

मैच का समय
सुबह चार बजे से

वेलिंगटन, 20 फरवरी (भाषा)।

देश-विदेश में विजय पताका फहराने वाली भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से बेसिन रिजर्व की तेज पिच पर पहले टैस्ट में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। इस मुकाबले में उसके सामने विश्व टैस्ट चैंपियनशिप में यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। शीर्ष रैंकिंग वाली विराट कोहली की टीम के 360 अंक हैं। कागजों पर उसका पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन केन विलियमसन की कीवी टीम संयम की पूंजी है जो इन पिचों पर उपयोगी साबित होगी।

न्यूजीलैंड ने आखिरी बार मार्च 2017 में अपनी सरजमीं पर टैस्ट श्रृंखला गंवाई थी। उसके बाद से यहां दस में से पांच टैस्ट उसने जीते हैं। आस्ट्रेलिया में 3-0 से हारने के बाद न्यूजीलैंड के इरादे जीत की राह पर वापसी के होंगे। वहीं भारतीय टीम यह साबित करना चाहेगी कि पिछले साल आस्ट्रेलिया में मिली जीत तुक्का नहीं थी और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीतने का शऊर उसे बखूबी आता है।

विपरीत दिशा से आती हवाओं के कारण बेसिन रिजर्व गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में पृथ्वी साव और मयंक अग्रवाल की नई सलामी जोड़ी को ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और टैस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने जा रहे काइल जैमीसन जैसे गेंदबाजों का सामना करना है।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नील वेगनर की गैर मौजूदगी में भारतीय मध्यक्रम ने राहत की सांस ली होगी। वेगनर अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण ब्रेक पर हैं। न्यूजीलैंड टीम में हरफनमौला डेरिल मिशेल और बाएं हाथ के स्पिनर ऐजाज पटेल में से एक को जगह मिलेगी। कप्तान कोहली टॉस जीतने पर गेंदबाजी चुन सकते हैं ताकि जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी पिच से मिलने वाली शुरुआती मदद का फायदा उठा सकें। न्यूजीलैंड टीम चार तेज गेंदबाजों और एक तेज गेंदबाज हरफनमौला के साथ उतर सकती है।

360 अंक हैं टैस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष रैंकिंग वाली विराट कोहली की टीम के

2017 में अपनी सरजमीं पर टैस्ट श्रृंखला गंवाई थी कीवियों आखिरी बार

"इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विरोधी टीम में कितना संयम है, हमें और सब्र दिखाना होगा। हम ऐसे तैयारी नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड अपने संयम के दम पर हम पर दबाव बना दे। - विराट कोहली

बेसिन रिजर्व पर खेलना चुनौतीपूर्ण

विपरीत दिशा से आती हवाओं के कारण बेसिन रिजर्व गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है।

भारत की निगाहें शानदार प्रदर्शन पर

भुवनेश्वर, 20 फरवरी (भाषा)।

एफआइएच प्रो लीग

मेजबान भारत एफआइएच प्रो लीग में शुक्रवार को पिछले चैंपियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगा तो उसका इरादा शानदार फॉर्म कायम रखने का होगा। भारत ने एफआइएच प्रो हॉकी लीग में पदार्पण करते हुए शानदार शुरुआत की और चार मैचों में आठ अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ छह में से पांच अंक बनाए। इसके बाद विश्व और यूरोपीय चैंपियन बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज कर-के तीन अंक हासिल किए। बेल्जियम ने दूसरा मैच 3-2 से जीता। ग्राहम रीड की कोचिंग में भारत ने पिछले कुछ समय में शानदार हॉकी खेली है। इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम लीग के अगले कुछ मैच विदेश में खेलेगी।

दुनिया की दूसरे नंबर की टीम आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पिछले 30 में से 22 मैच जीते हैं। उसने 2016 में आस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच के बाद कभी पराजय का सामना नहीं किया। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कोच का एफआइएच पुरस्कार जीतने वाले कोलिन बैच आस्ट्रेलिया के कोच हैं। आस्ट्रेलिया ने कलिंगा स्टेडियम पर चैंपियंस ट्रॉफी 2014 सेमी फाइनल में जर्मनी से मिली हार के बाद निर्धारित समय में कोई मैच नहीं गंवाया है।

इसी मैदान पर 2017 हॉकी विश्व लीग फाइनल में सभी छह मैच जीतकर आस्ट्रेलिया अपराजेय रहा था। इसके बाद 2018 विश्व कप सेमी फाइनल में नीदरलैंड ने उसे पेनल्टी शूटआउट में हराया था। आस्ट्रेलिया इस समय लीग में चार मैचों में छह अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। बेल्जियम के खिलाफ दो मैचों में उसे एक ही अंक मिला।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों के बाद भारतीय टीम जर्मनी (25 और 26 अप्रैल) और ब्रिटेन (दो और तीन मई) में खेलेगी। इसके बाद 23 और 24 मई को न्यूजीलैंड से यहां खेलना है। फिर अर्जेंटीना में पांच और छह जून को खेलेगी और आखिरी चरण के मैच 13 और 14 जून को स्पेन के खिलाफ यहां खेले जाएंगे।

टी-20 विश्व कप पहली बार आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर आयोजित हो रहा टूर्नामेंट

रण जीतने उतरेंगी भारतीय महिलाएं

संदीप भूषण
नई दिल्ली, 20 फरवरी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप के शुरुआती मुकाबले में शुक्रवार को आस्ट्रेलियाई टीम का सामना करेगी। पहली आइसीसी ट्रॉफी जीतने के सपने देख रही टीम इंडिया अब तक कभी फाइनल में नहीं पहुंच सकी है। पहले मैच में उसके सामने कड़ी चुनौती है और इस टूर्नामेंट में शीर्ष क्रम के साथ मध्य खिलाड़ियों को भी निरंतर प्रदर्शन करना होगा।

पहली बार आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में मेजबान टीम चार बार विजेता रही है। वहीं भारतीय टीम महज तीन बार सेमी फाइनल में जगह बना पाई है। इस बार अगर उसे फाइनल तक पहुंचना है तो मध्यक्रम और निचले क्रम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम को सोलह बरस की शेफाली वर्मा से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही कप्तान हरमनप्रीत कौर से भी बेहतरी की उम्मीद रहेगी।

त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में पदार्पण करने वाली 16 साल की ऋचा घोष को लगातार मौका मिलता है या नहीं, यह देखना होगा। गेंदबाजी में भारतीय टीम स्पिनरों पर ज्यादा निर्भर है। उसके पास तेज गेंदबाजों की कमी है। आम तौर पर अंतिम एकादश में अकेली स्पिनर रहने वाली शिखा पांडे पर शुरुआती सफलता दिलाने की जिम्मेदारी होगी।

"नई गेंद संभालने के कारण मैं शुरुआती कामयाबी के बारे में सोच रही हूं। हम पहले छह ओवर में विकेट लेना चाहेंगे। -शिखा पांडे

"2018 टी-20 विश्व कप से अब तक हालात बहुत बदले हैं। हमारे प्रदर्शन और बल्लेबाजी के रवैये में बदलाव आया है। - डब्लू वी रमन, कोच

सेमी फाइनल तक का सफर भी आसान नहीं

टी-20 रैंकिंग में आस्ट्रेलिया पहले, न्यूजीलैंड तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। सेमी फाइनल में ग्रुप से दो टीम को जगह मिलेगी। ऐसे में भारतीय टीम को सेमी फाइनल में पहुंचने के लिए आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से किसी भी एक को धूल चटानी होगी। विश्व कप में अब तक आस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन मुकाबले हुए हैं। इसमें आस्ट्रेलिया ने दो और भारत ने एक मैच जीता है।

सिंधू लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी

नई दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा)।

विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधू ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार इएसपीएन की 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी' का पुरस्कार जीता। युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी पुरुष वर्ग में चुने गए। सौरभ ने विश्व कप में पांच स्वर्ण पदक जीते जिनमें दो 10 मीटर एअर पिस्टल और तीन 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्रित टीम में मिले।

फर्राटा धाविका दुती चंद को मैदान के भीतर और बाहर प्रेरणास्रोत बनने के लिए 'करेज' पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने लिंग संबंधी नियमों को लेकर आइएएएफ से लड़ाई जीती और ट्रैक पर लौटीं। उन्होंने समलैंगिक रिश्ते में होने की बात भी स्वीकार की थी। शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वापसी' का पुरस्कार मिला जिन्होंने मॉस्को में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। वह 2016 से 2018 के बीच मातृत्व अवकाश के कारण ब्रेक पर थीं। पहलवान दीपक पूनिया को 'वर्ष का उदीयमान खिलाड़ी' चुना गया। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया।

सिंधू की विश्व चैंपियनशिप जीत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खेल पल चुना गया। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीता। दिव्यांग खिलाड़ी मानसी जोशी को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट चुना गया। तीन बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को 'लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार' के लिए चुना गया। बलबीर ने लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। वह 1975 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कोच भी थे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 96, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com